खण्ड-195, अंक-1
सोमवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1880
(21 जुलाई, 1958 ई0)

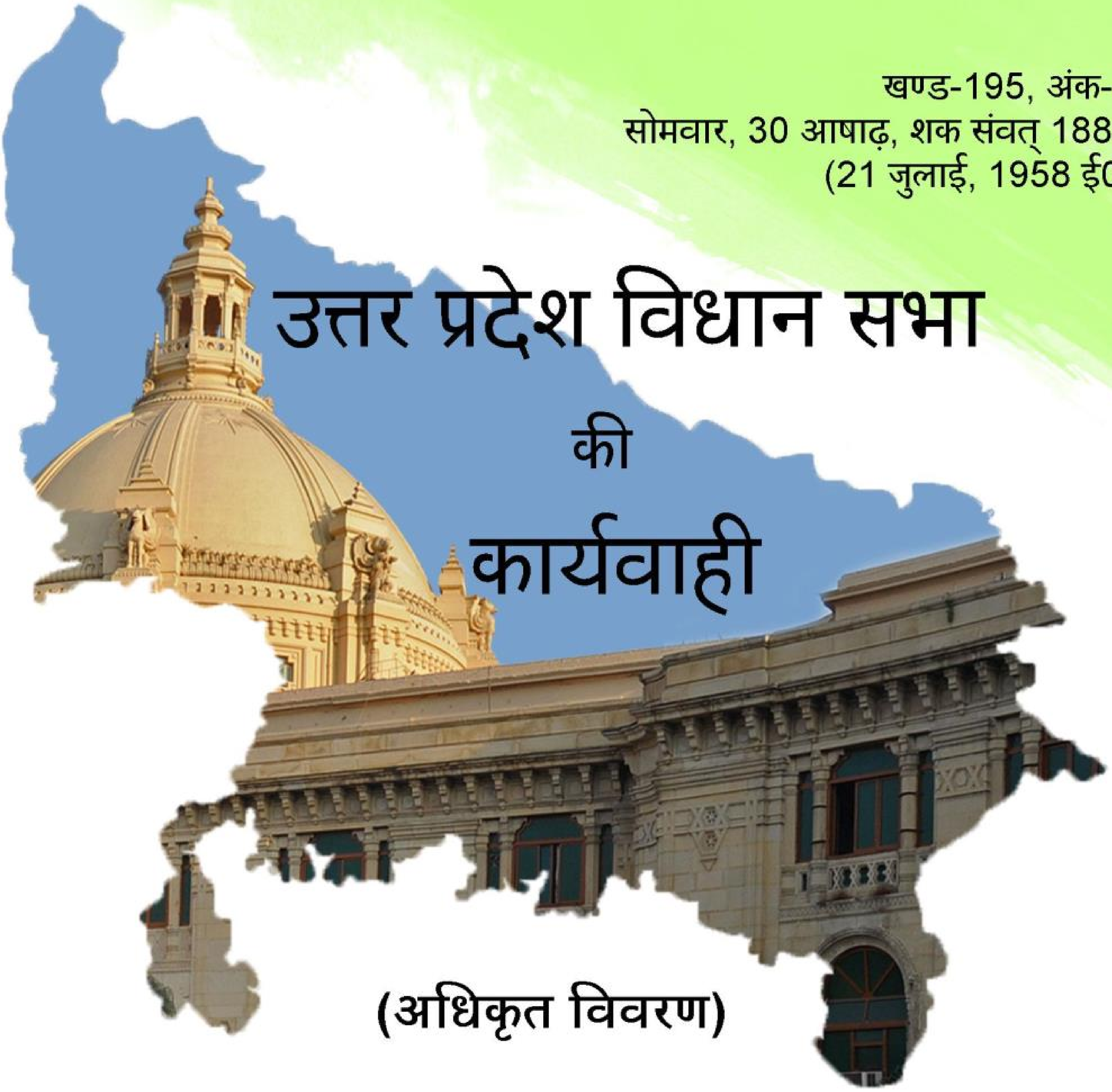

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
श्री राज्यपाल से हिन्दी में अभिभाषण करने की प्रार्थना	५
राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण ..	६–२९
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	२९
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् उसी दिन अन्य कार्यों के किये जाने पर आपत्ति	२९–३०
श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	३०–३३
प्रदेश की गम्भीर खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (स्थगित)	३३–३४
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विवादार्थ समय बढ़ाने की प्रार्थना ..	३४
खाद्य स्थिति से संबंधित प्रस्तावों के विषय में जानकारी	३४–३५
कोपागंज टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ के कम्युनिस्ट चेयरमैन, श्री मुस्तफा की हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३५
जिला उन्नाव में कुछ जूनियर हाई स्कूलों के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३५
इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा गृह कर बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६
सर्वश्री जयेन्द्रसिंह विष्ट, राजाराम अरोड़ा तथा नवाब मुहम्मद इस्माईल के निधन पर शोकोद्गार	३६–४०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के हिन्दी रूपान्तर का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पठन	४०–४१
सर्वश्री रामप्रसाद देशमुख, नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ तथा बलदेवसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	४२
उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	४२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	४२
उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	४२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	४२
उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	४३
म० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४३

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर नियमावली १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	४३
फाइनेन्स एकाउन्ट्स आडिट रिपोर्ट १९५५–५६ ऐण्ड दि आडिट रिपोर्ट १९५६ तथा ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स १९५५–५६ ऐण्ड दि आडिट रिपोर्ट १९५७, पार्ट २ (मेज पर रखे गये)	४३
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ (मेज पर रखा गया) ..	४४
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (मेज पर रखा गया)	४४
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (मेज पर रखा गया)	४४
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (मेज पर रखा गया)	४४
गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (मेज पर रखा गया) ..	४४
कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ पर संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदनार्थ अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४४—५६
इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ (संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन मेज पर रखा गया)	५६
हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर की पुनःसंगठित परामर्श-दात्री समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५६
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५६–५७
लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५७
नियम प्रवर समिति में श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के स्थान पर श्री हुकुमसिंह विसेन के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५७–५८
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	५८
नत्थी	५९—७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ जुलाई, १९५८

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मंडल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजे सभा मंडप, लखनऊ में पधारे ।

विधान सभा के निम्नलिखित ३९४ सदस्य उपस्थित थे:—

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरूद्दीन, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री

गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जटाव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री

नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मा धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)

यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री

शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (लौरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री राज्यपाल से हिन्दी में अभिभाषण करने की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन आप से करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आज इन दोनों सदनों को आप अपना संबोधन हिन्दी में दें, अंग्रेजी में न दें और यदि आप हिन्दी में देने में दिक्कत महसूस करें तो आप तैलगू में दें या भारतीय संविधान के अन्दर जो अन्य मान्य भाषायें हैं उसमें दें। यदि श्रीमन्, आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमने आपको पत्र द्वारा सूचित कर दिया है कि हमें अपने कर्तव्यपालन हेतु-आपके प्रति आदर और सम्मान रखते हुए भी इस बैठक का त्याग करना पड़ेगा।

राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मण्डल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया--

Chairman, Legislative Council, Speaker Legislative Assembly and Members of the Legislature,

In opening my Address I am offering my apologies to the Hon'ble legislators who are here that I have my inability of speaking in Hindi however much I may like to do so, because I have always recognised that Hindi alone shall be our common language. (Cheers).

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

Before I proceed any further, I must offer an apology to the Hon'ble Members of this Legislature. Nothing would have given me greater pleasure than to have been able to address this House on this occassion in our own national language, Hindi. Unfortunately, in spite of my best efforts, I have not yet been able to acquire the necessary proficiency to be able to do so. I hope Hon'ble Members will appreciate my difficulty and hear with me in my inability to address them in Hindi, howsoever keen I am to do so.

Sri Speaker has been requested by me to kindly read the Hindi version of my Address immediately after the end of my address.

It is a great honour and privilege for me to be here this morning to address the two Houses of the State Legislature for the first time, since taking over my present office. I am particularly happy that before doing so I have had the good fortune of visiting many places in this State, where I have also met a large number of people representing different walks of life. I am indeed proud to be associated with everything that is in this State, with the infinite variety of its rich heritage, its traditions and its culture.

Our State, with the active co-operation and interest which you have always extended, has, in recent years, achieved considerable progress in the raising of the social, economic and political standards of its people. Its position in relation to the rest of the country is unique. I have no doubt in my mind that we will always maintain this high place. For our success and progress. apart from the tribute which I would like to pay to my distinguished predecessors, to the first Chief Minister of this State, Pandit Govind Ballabh Pant, and to my present Chief Minister and his distinguished colleagues, who have through very difficult times been steering the ship of State with great credit. I also wish to place on record my great appreciation for the work which you all have been doing and to congratulate each one of you for your valuable contribution in the various spheres of public activity, both in and outside the Legislature. This session will, doubtlessly, feel the absence of Sri Hafiz Mohammad Ibrahim, who was Minister in this State ever since the introduction of popular ministries. With his departure as a Minister at the Centre, our State has been a great loser. It is, however, a matter of considerable consolation to us that our loss will make it possible for the whole country to derive the benefit of his statesmanship, his foresight and his mature experience. Some few months ago, as the Finance Minister of Uttar Pradesh, in presenting his Budget Speech, he placed before you the various programmes and policies, which my Government proposed to undertake. It is, therefore, unnecessary for me to reiterate what was said and also subsequently discussed by you. I

will content myself by now placing briefly before you what my Government has been able to do and what further it proposes to effect in the current year.

The planning and co-ordination of various activities is, as is now generally accepted everywhere, a prerequisite of good government. Our First Five-Year Plan was completed with heartening success and led to our undertaking a much more ambitious programme in the shape of our Second Five-Year Plan. It is in the carrying out of the tasks which have been allotted to us in our Second Five-Year Plan that we are now engaged. This Plan is more intimately than even the last, a joint venture by the Centre and the States, both with regard to the pooling of resources and the efforts required to achieve our aims and objects and the fulfilment of the needs of our people. In keeping with our needs, increased agricultural production continues to be the most important aspect of our Plan. However, there is to be observed in it a significant and positive shift of emphasis towards industrialization. Within the limited resources available to us, attempts have also been made to give due priority to our social services. It is now fully realized in all quarters that the willing co-operation and active participation of our entire people is a *sine qua non* for the fulfilment of the objectives. We are now in the third year of this Plan. Already there are 333 development blocks operating in this State. These cover almost 42 per cent of our total area and 43 per cent of our entire rural population. We had originally hoped to cover the entire State with our development blocks during this Plan period. For various practical reasons and in keeping with the recommendations made by the Balwantrai Mehta Committee, we subsequently decided to stagger our programme slightly. In the Planning Research and Action Institute at Lucknow we have a pioneer institution of its kind in the entire country, of which we can justifiably be proud. Here are conducted research and experiments in the various village projects, before they are recommended for adoption in the field. Functioning as a field laboratory of this Institute is the Pilot Project at Etawah. Several experiments such as Soil Conservation, Youth Work, Co-operative Member Education, Co-operative Open Pan Crystal Sugar Project, etc. have been carefully worked out prior to the projects being taken over by the various departments concerned. Apart from trying to complete the physical targets in our various development blocks, our main objective is to bring about necessary transformation in the minds and attitudes of our people, to make them realize that all this is essentially the people's own programme. Unfortunately, success in this direction cannot easily be measured. A carefully worked out survey is being now made to assess scientifically the impact produced on the people by our programme in our Post-Intensive Development Blocks. A committee has also been set up, with Sri Govind Sahai as its Chairman, to study the details of this programme and to make recommendations, particularly with regard to the manner in which greater public co-operation and initiative can be secured.

The great importance of the Co-operative Movement for the development of the State has been fully realized by my Government who, along with the rest of the country, are doing everything possible for the early achievement of a society on a socialistic pattern which is our objective. I am glad to find that during the last year or two, there has been a marked increase of activity in this direction. Apart from strengthening the various Co-operatives, Marketing Societies, Processing Societies, etc. already in

existence, efforts are being made to de-officialize, in as large a measure as possible, all important co-operative institutions in the State. Some changes in the law on the subject become necessary as a result of this. A careful study of the Model Bill of the Government of India has already been made by my Government and it will place before you very shortly the legislation necessary to meet the needs of our own State. A significant step in the right direction has been to entrust the Registrar, Co-operative Societies, with the task of looking after all the Co-operatives, including the Cane and the Industrial Co-operatives. This will ensure greater co-ordination and better control.

I venture to express the hope that in the not distant future it will be possible to adopt the Co-operative technique in all spheres of life, particularly in all economic activities undertaken by the State. As a first step in this direction, it has been decided that buying and selling on behalf of the State, and all supplies of foodgrains to the State Jails would be affected through the agency of Co-operative Societies as far as possible. Co-operative Societies of labourers for construction work under Public Works and Irrigation Departments are also to be set up. A Ware housing Corporation has also been constituted under the Central Act. It is further proposed to establish warehouses in the State so as to provide proper facilities for the storage of our agricultural produce. A Bill for this purpose will be placed before you during the current session.

The intensive effort which has been relentlessly pursued through the last few years in the matter of increased agricultural production is undoubtedly bearing fruit. In the fourth year of the First Five-Year Plan, namely 1954-55, we in this State had, in fact, achieved more in this regard than what was the full target for the First Five-Year Plan. Unfortunately, owing to natural calamities, including drought and floods, the year 1955-56 saw a considerable fall in our production. The targets of production, which were fixed for the Second Five-Year Plan period, were very high. Nevertheless, we made steady progress and were up to the mark during the first two years of the present Plan. Natural causes, however, once again stood in our way and the last *rabi* crop showed 5 per cent less area sown as compared to the previous year. Production itself was 16·6 per cent less than in the last year. As you are aware, my Government mustered all its resources to ensure a bumper *Kharif* crop this year. In this drive it had your complete support and active co-operation. Every possible effort was made to carry the knowledge of improved methods and the employment of new technique to the cultivators in the remotest corners of the State. Our people responded and we were sure of our success. We have, however, been let down again by the vagaries of nature : this time the failure of the rains. The prospect of our early paddy crop is extremely gloomy, except where irrigation facilities are available. The fate of our late paddy crop will depend very much on what rain we are fortunate in getting and at what time. Unfortunately, over such ill luck we have no control. Owing to these reasons the food situation in our State has once again become very difficult. I, however, wish to assure Hon'ble Members that my Government is fully alive to the situation and every possible measure necessary to meet it has been taken. My Government considers it its sacred duty to see that our people are not exposed to any avoidable hardship. Among the measures adopted is the release of large quantities of imported wheat and locally purchased coarse food grains

through a large network of fair-price shops in the various deficit areas. The Inter-Zonal Scheme for wheat has also been implemented, and the export of rice, including paddy, has been banned from the fourteen eastern districts; the licensing of foodgrain dealers and rice mills has also been enforced. My Government is carefully watching the situation and I have no doubt that it will enforce whatever measures may become necessary. In this connexion, I wish to express our heartfelt thanks to the Government of India for all the assistance and co-operation which it has extended to us.

For decades past, when we were under foreign rule, certain areas in our State were ignored and neglected. The result of this has been the extreme poverty and hardship from which our people in the eastern districts of Uttar Pradesh have been suffering. The population of these areas is very large and the pressure on the limited quantity of land available is very great. These areas are also constantly visited by natural calamities, such as drought and floods. With the dawn of Independence our Government has given its undivided attention to improving the lot of the unfortunate people living here. Considerable developmental activity has taken place here, including the setting up of small-scale and cottage industries. To satisfy the aspirations of the people there, my Government recently set up the Gorakhpur University. This will go a long way to meet their educational needs. The task, however, is a stupendous one and the result of our efforts will be noticeable only after several years. I, however, wish to assure Hon'ble Members that my Government is determined to leave no stone unturned in achieving a reasonable standard of living for these unfortunate brothers of ours in the shortest possible time. I have no doubt in my mind that in this great task everyone of you, irrespective of political affiliations, will give your entire support to my Government in its difficult task for raising the economic standards of the people living in these areas.

Another problem which we have had to face recently was the scarcity of drinking water in several areas, particularly in Banda, Allahabad and Mirzapur. Arrangements had to be made for the transport of water from far off distances to the areas affected. The task was difficult and the results achieved were certainly creditable. To provide employment for those in distress in these areas, a large number of relief works were also opened. The delay in the rainfall has added to our difficulties and the standing crops, particularly in our hill districts, are bound to suffer. The monsoon has shown signs of at least arriving and we certainly hope that the damage done will be retrieved to some extent.

If we have to achieve self-sufficiency in foodgrains we cannot afford to depend entirely on the kindness of Nature. It is absolutely essential to undertake extension of irrigation facilities to all cultivable land in the State. The Planning Commission has already called for the doubling of the area under irrigation within the next fifteen to twenty years. If the programme for the construction of the 11 major and 23 minor irrigation works, which comprise of 3,740 miles of additional channels, 1,500 additional tube-wells at a cost of nearly Rs. 35 crores, as envisaged in our Second Five-Year Plan, can be achieved, we shall have additional irrigation facilities for more than 21 lakh acres. With this, 30 per cent of our total cultivable area will be brought under irrigation. The only difficulty which we apprehend at present is the shortage of foreign exchange, which would limit the procurement of necessary machinery for this work.

Of late there has been some mention in certain quarters about the non-utilization of a portion of our available irrigation potential. If this is so

it is a serious matter. My Government has immediately undertaken a careful examination of this. The difficulty experienced by some tube-wells not being electrified has been re-solved by the completion of these works. The first indication is that if there has been non-utilization of the full irrigation potential, it is mainly due to the fact that in some places our cu tivators have not constructed the necessary field channels. In previous years, owing to adequate rainfall, the farmers did not feel the need of irrigation facilities but as time passes, there has been a progressive utilization of these facilites. My Government has now given this matter its fullest attention and field channels under expert departmental guidance are being completed everywhere. I am glad to say that the work is receiving the active co-operation of the people in the areas.

Floods, as you are aware, have now become a regular menace to our State. In their wake, there is always much misery for large sections of our people. The absolute control of these floods, however, is beyond the scope of my Government to tackle alone. The Central Government has been giving us all possible assistance and I am glad that a large number of very valuable schemes has also been prepared by us. All this work, however, requires considerable funds and we have to limit the work which we can take up immediately to the extent of the money which is available to us.

During the First Five-Year Plan we incurred an expenditure of about Rs.270 lakhs on 322 miles of marginal embankments, in raising the level of 3,500 marooned villages and in constructing drains in certain water-logged areas. The Second Plan has seen an increase in the tempo of this work and includes measures to protect certain towns also from devastation by floods. During the first two years of this Plan period, 339 embankments, 486 miles of drains, 45 miles of roads and the raising of the level of 3,836 marooned villages has been completed. Protective works in the towns of Varanasi, Ballia, Anupshahr, Kankhal and Rajapur have also been undertaken. That there is a great deal still to be done is fully appreciated by my Government. Its chief difficulty, as I have said, is t e lack of sufficient funds.

By far the chief concern of my Government is its anxiety to bring the maximum possible prosperity to our agriculturists as early as possible.

In the sphere of land reforms we have been able to achieve a uniform land tenure in practically the whole State, except in the Jaunsar-Bawar area and the Kumaon Division. In the case of Jaunsar-Bawar we hope to abolish zamindari and introduce necessary land reforms immediately after the completion of the Settlement Operations. With regard to the Kumaon Division, the Kumaon Zamindari and Land Reforms Bill is already before you. As soon as it is passed, zamindari will be abolished there also. In the light of the experience gained during the last several years since the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, was enforced, my Government proposes to place before you in the very near future a comprehensive Bill with the necessary amendme nts.

The Consolidation of Holdings Scheme was started in 1954 in two tahsils of the State and is now being carried out in 32 tahsils of 27 districts, comprising 13,409 villages. Up to June 30, 1958, possession has been transferred on the new chaks in 5,887 villages, covering an area of 23·60 lakhs acres, reducing the number of plots from 49·92 lakhs to 9·67 lakhs of chaks. In one-third of these villages, possession has been transferred only within the last six months and the tenure-holders have not yet had time to execute works of improvement in their new chaks. Even so, they have

constructed or are constructing 1,740 masonry and 281 tube-wells. They have pruchased 150 tractors during this period and have constructed 1·56 lakhs manure pits. It is also noteworthy that as a result of Consolidation of Holdings and re-arrangement of plots, it has been possible for the villagers to construct 2,252 miles of inter-village roads and 2,332 miles of chak roads. The above will show how quickly works of improvement follow in the wake of Consolidation of Holdings. To the cultivators of these villages a sum of about rupees 56 lakhs has been distributed as takavi of various kinds. It may also be of interest to know that in these villages a thorough scrutiny of the records and the correction of mistakes have resulted in the discovery of a number of holdings on which land revenue was not recorded, and thus an increase of 8·20 lakhs of land revenue per year has been brought about. We are also experimenting with consolidation on a rectangular basis as has been done in the Punjab. Some amendments will have to be made in the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953, also and the necessary bill will be placed before you during this session.

With increasing agricultural production and all-round development of the countryside, it is inevitable that there would be need for increased transport facilities. During 1957-58, 394 miles of new metalled roads were constructed, 270 miles of roads belonging to local bodies were either improved or repaired, 168 miles of national highways were widened and modernized and 13 major bridges were completed. Before the end of the current financial year it is expected that 674 miles of new metalled road 125 miles of C. C. tracks and 42 major bridges will have been completed and 506 miles of existing roads with local bodies will be repaired and improved. The nationalization of road transport in our State was undertaken in 1947 with only six buses ; we have now 1,994 buses, 149 trucks and 50 taxis. Over 11,000 people have been given employment as a result of this.

With regard to the industrial advancement of the State, some indication of what my Government proposes to do was given in the last Budget Speech by the Finance Minister. I need only add that my Government is paying its fullest attention to the promoting of industries both in the heavy and the light sector throughout the State. The U. P. Financial Corporation has provided substantial loans for both the promotion and the setting up of medium-scale industries. Financial, technical and marketing facilities are also being provided literally to small-sclale and village industries through our Directorate of Industries. For the marketing of goods manufactured by small scale and cottage industries and for the management of industrial estates, a Small-Scale Industries Corporation has also been set up.

We have also given a great deal of attention to the subject of technical education. A scientific assessment has been made into the requirements of technical personnel both in the Public and the Private sectors and arrangements have been made for making available at the right time the requisite number of technical personnel. Additional degree courses have been started in the Roorkee University. A large number of institutions have also been opened for conducting courses for overseers, draughtsmen, surveyors and computors. A Board of Technical Education has also recently been set up.

In the modern age, power is necessarily one of the chief requisites for any significant development of an area ; it is vital for both agricultural and industrial needs. It was for this reason that a very high priority was given to our power projects in the First Five-Year Plan. The Second Five-Year Plan also has recognized the need for this. Good progress is

being made on the Rihand Dam which is our biggest project. Not so long ago we had some anxious time with regard to this and it was apprehended that foreign exchange difficulties might stand in the way of the early completion of this project. I am happy to note that my Government was successful in having it included in the essential core of the Plan itself.

The Thermal Stations at Gorakhpur, Mau, Sohawal and Mainpuri have already been brought into commission and electrification of 37 towns has been completed. The Harduaganj Power Station will be in working order, it is hoped, before the end of the current Plan period. The electrification of tube-wells also, as I have said before, has been satisfactorily affected. The Kanpur Electric Supply Administration has increased its production of electricity to meet increasing demands. Advanced thinking, Survey and Study in respect of future has also been started.

The importance of the role of labour in all industrial development cannot be over-emphasized. The primary need of the moment is to bring about the necessary conditions for increased production. It is only when labour is given its due place and share in what is after all a joint venture that we can expect to have the much-needed industrial peace. To ensure this my Government has set up a carefully planned organization to administer both the Central and the State Labour Laws. The labour courts and industrial tribunals, set up under the U. P. Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, have played a big part in re-solving industrial conflicts. A special organization has also been set up for the settlement of labour disputes in State-owned undertakings. I am very happy to note that employers have, on the whole shown great co-operation in observing the spirit and the letter of the various labour laws. Our conciliation machinery has worked extremely well and my Government is constantly studying ways and means of improving it so as to bring about improved industrial relations between employers and employees everywhere. In the matter of labour laws and their effective enforcement, our State is second to none in the country.

My Government continues to give its careful attention to the question of labour welfare measures. There has been a steady increase in the number of welfare centres in all parts of the State to cater for the recreational, medical, educational, social and cultural needs of the workers and their families. With regard to industrial housing, our State occupies a leading position. Out of a scheme for the construction of 1,500 quarters in 65 sugar factories, 1,235 quarters in 50 sugar factories have already been completed and 125 further quarters are to be completed very shortly. Under the Subsidized Industrial Housing Scheme of the Government of India, 19,834 tenements have already been built in Kanpur, Lucknow, Agra and Firozabad and we have a large programme for more tenements during the current year. All the colonies which have been so developed have been provided with modern amenities such as parks, schools, dispensaries and bazaars. The Employees' State Insurance Scheme has also extended to towns with industrial population of over 1,000 and the Employees' Provident Fund Scheme has been made applicable to many more industries.

The slums in our towns are bad and the tackling of this problem has been particularly difficult for want of suitable legislation. It is proposed to place this before you for consideration in the very near future. A scheme is also being considered whereby necessary assistance and loans can be provided to rural areas for the construction of houses on a self-help basis.

Apart from the problem of labour housing there is a great need for providing houses also for government servants and others of the middle classes. A large number of such houses has already been built and made available on reasonable rents. Liberal loans have also been given to people for the construction of houses. Nevertheless, in urban areas the shortage of housing still persists and my Government, therefore, proposes to extend the life of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947 and the U. P. (Temporary) Accommodation Requisition Act, 1947. Necessary action in this regard will be taken during the current session.

Of all the welfare activities undertaken by our State, the place of pride has always been that of Education. It is universally recognized that the future greatness of any country must depend entirely on the intellectual and spiritual development of our future generations. The position of the teacher, therefore, is unique and extremely important. His lot, unfortunately, has been rather poor hitherto. My Government is doing its very best to improve this and to provide him with every possible facility, so that he can give his very best to the education and training of the young mind. Schemes for the proper training of our teachers and steps to effect improvement in their pay scales have already been taken. Legislation covering some of these matters is already before you in the shape of the Intermediate Education (Amendment) Bill and I hope you will pass this during the current session.

Alongside with the programme for the expansion of educational facilities, steps are also being taken to consolidate whatever is already there in this field to make it really effective. Liberal grants are being given to schools, pathshalas and madarsas. A very large number of institutions have also been given libraries in recent years. A special degree of attention has been given to schools in the backward areas. Two new universities, namely the Gorakhpur University and the Sanskrit University, have been recently established. With regard to the universities within our jurisdiction, it is the firm determination of my Government to ensure that a high standard is maintained. With this in view certain amendments have become necessary with regard to the Gorakhpur University Act, 1956, the Varanasi Sanskrit Vishva Vidyalaya Act, 1956 and the Agra University Act, 1926, and the amending Bills will be placed before you during the session.

The other very important welfare activity of the State is to ensure the good health of our people. The only effective way to fight poverty is to increase production. This, however, can only be done when our people are in proper health and, therefore, it is vital that every possible attention should be given to both curative and preventive measures with regard to fighting disease. For the expansion of medical facilities the first essential is the availability of trained personnel. With the establishment of the Medical College at Kanpur, we have now three such colleges in the State. Satisfactory progress has been made in the training of nurses, laboratory and X-ray technicians. All possible encouragement is being given also to Ayurvedic, Unani and Homoeopathic systems of medicines. A committee has been formed, with the Chief Minister as Chairman, to review Ayurvedic education. I am sure that its report will prove of great use not only to ourselves but to all other State Governments. Particular attention is also being paid for the provision of medical facilities in the rural areas. Primary health units, consisting of a dispensary, four maternity and child welfare centres, a sanitary inspector and health visitor in each, were set up in 50 blocks last year. Each of these will look after a population of 70,000 for preventive and curative medical care. We hope to add 20

more such units during the current year. In the hill areas too, several more women dispensaries, allopathic dispensaries, maternity and child welfare centres, Ayurvedic and Unani centres were established. Steps have also been taken for the control of epidemics such as plague, cholera, etc. and for the treatment of tuberculosis specialized domiciliary service has been introduced with the establishment of four T. B. clinics.

The great part which games and sport must p'ay in improving the health of the people has been adequately recognized by my Government, and it has taken keen interest in encouraging this. With this in view, several stadia have been built and several coaching camps and tournaments have been held. Liberal grants have also been given to various sports associations. Efforts were also made to revive many of our old Indian games which were gradually disappearing owing to neglect. A very successful Sports Festival in this regard was held at Lucknow a few months back.

Our Social Welfare Department has been doing extremely notable work in helping rural women and c ildren and in providing institutional and individual care to the destitutes and physically handicapped and the rehabilitation and reformation of fallen women. Much attention has also been given to the all-round development of member of the Scheduled Castes and Backward Classes with particular reference to their educational, social and economic requirements. The rehabilitation of displaced persons has also continued apace. Recently many unfortunate people have come from East Pakistan and they have been provided with necessary facilities to rehabilitate themselves in the Tarai area.

The success of the scheme of Open Prison Camps has encouraged Government to embark on a still more bold experiment. A batch of 50 star class prisoners was sent to the Tarai State Farm, Naini Tal by granting them parole for a period of one year. They work there like free men without any watch and ward earning wages from Rs.1·50 to Rs.2·50 per day. They have their own arrangements for food, clothing, etc. They have also been allowed to keep their families with them in the huts which they have constructed at the Farm. On their work and conduct during the period of parole remaining satisfactory, their release will be made absolute.

An event which provoked considerable interest both in our own and in other countries was the recent Conference of Prisoners and Ex-prisoners, convened by the State Government. Many useful suggestions in the matter of prison reform were made by the delegates to it and these are now under the consideration of my Government. A conference of this nature was a unique event in the history of prison administration.

Our State has always been extremely rich in art and culture. Unfortunately, for lack of proper organization, our progress in this direction was slow. As a result of the keen interest taken by the Chief Minister, great impetus has been given to the revival of cultural, literary and scientific activity. The Government College of Arts and Crafts, Lucknow, has been completely reorganized and its Architectural Section has been considerably expanded. Several additional buildings have been constructed to meet its expanded needs. This College is now definitely amongst the best of its kind in the entire country. A new Museum is also being constructed at Lucknow and the Mathura Museum is being expanded. Much useful research work has been conducted in recent months at the Central Records Office, Allahabad. At Naini Tal several new buildings for the Astronomical Observatory have been set up. This is the only institution in I dia which has been selected for co-ordination of activities for the International

Geophysical Year. Considerable success has also been achieved by our Directorate of Geology and Mining in its investigations with regard to limestone for the manufacture of cem nt and for ceramic clay.

The time has now come when people in the rural areas must be entrusted with greater responsibility than is possible under the existing District Board Act or the Panchayat Raj Act. At present much of our development activity is being carried on through official agencies. While every effort is being made to secure popular co-operation, till now direction, execution and initiative have for obvious reasons remained in official hands. The District Planning Committees are merely advisory bodies and have no statutory existence. It is now proposed to combine the functions of District Boards with those of Planning Committees and to transfer powers of direction and execution also to non-official hands. The overall control must, of course, continue to rest with the State Government. At the same time, as large a measure of authority as is possible is to be transferred to the Zila Parishads, which will now take the place of District Boards and Planning Committees. This is a great experiment in decentralization and I am sure will be keenly watched by all those who are interested in the progress of Local Self-Goverment institutions. Necessary legislation for this is being drafted and I trust will be before you during the session.

As declared in several quarters, both inside this Legislature and outside, our District Boards had positively outlived their utility. They were, therefore, abolished as from May 1, 1958, and their place was taken over by the Antarim Zila Parishads. As you were not in session then, I had to promulgate an Ordinance for the purpose. It is far too early to judge the work of these Parishads. I am, however, confident that through their efforts, the transition to the new era will be made easier and the Zila Parishads will come into existence in a happy atmosphere. My Government is also taking steps to entrust greater powers to our Gaon Sabhas and Nyaya Panchayats.

With regard to our system of administration of justice, there is no denying that it definitely needs streamlining, if it is to secure speedy and efficient dispensation of justice. I am very glad to note that, with the co-operation of all concerned, both the writ and criminal work has now been brought almost up-to-date. The speedy eradication of corruption from our courts is extremely vital and my Government has shown its appreciation of the offer recently made by the Lawyers Conference, extending their co-operation in this work. It is proposed to set up a committee under a High Court Judge to suggest ways and means to fight this evil.

In the ultimate analysis, all our plans and schemes have necessarily to depend on what finance is available to us. To meet the expenditure on various development schemes of a Capital nature, my Government went to the market for a loan only a few days back and it is a matter of gratification to all of us that the loan was heavily oversubscribed on the very first day and was closed early on the day following. The total subscription asked for was Rs.7 crores, but the actual subscription received came to over Rs.12 crores. This shows the tremendous confidence of the people of our own State as well as outside in the soundness of our financial administration and my Government take this opportunity to thank all those who contributed so generously to our loan.

While making every effort to find new sources of revenue, my Government is doing its best to economize in every direction. The U. P. Economy Committee which was set up to enquire into the expenditure incurred

by departments of Government and to recommend economy measures has now submitted the first part of its report. These recommendations aim both at economy and at reorganization, so as to bring about greater efficiency in the departments concerned. These are under consideration and will be shortly placed before you.

The success of our efforts and our progress towards our goal for economic salvation depends to a very large extent on the maintenance of peaceful conditions both internally and abroad. I am very happy to say that the law and order situation in our State continues to be satisfactory. Our Police Force has met with commendable success in its war on lawless elements, particularly dacoits. The rural population has extended its fullest co-operation to them in this respect. In fact, without such help it would not have been possible to destroy several notorious gangs of marauders and dacoits. Our Police Force continued to maintain a very high standard of morale and my Government has been vigorously pursuing its efforts to effect improvements in administration and methods of investigation and in the service conditions of our subordinate Police personnel. The Provincial Armed Constabulary deserves our special congratulations for their devotion to duty and for their bravery in the face of danger both within the State and in various other places in the country.

I have already referred to some of the legislative business which you will be required to transact during this session. In addition, you will also be called upon to consider the U. P. Government Estates Thekedari Abolition Bill, 1957, the U. P. Court Fees (Amendment) Bill, 1958 and the U. P. Stamp (Amendment) Bill, 1958, which are already pending before you, as well as some other Bills such as the Jaunsar-Bawar Pargana (District Dehra Dun) Revenue Officials (Special Powers) Bill, 1958, the U. P. Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Bill, 1958, the Societies Registration (U. P. Amendment) Bill, 1958, the U. P. Weights and Measures Bill, 1958, the U. P. Excise (Amendment) Bill, 1958, the U. P. Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1958 and the U. P. Home Guards Bill, 1958, which are likely to be brought before you in this session. A Bill to regulate charitable endowments and to improve the management of Temples, was circulated for public opinion some time ago. This Bill has now been re-drafted in the light of the public opinion expressed and will be placed before you very shortly. Besides, a Bill to regulate the terms and conditions of licenses and leases of house sites in Urban areas is also under consideration and is likely to be brought before you, if possible, in this session. It is also proposed to bring a Bill to provide for the registration of trade unions and in certain respects to define the law relating to registered and representative trade unions in U. P.

The question of giving some relief to the petty dealers of foodgrains in the matter of sales tax is at present under the consideration of my Government. With this object in view the Government will, if necessary, come up to the Legislature with the amendment in the U. P. Sales Tax Act.

Before I close I must sound a note of warning. The structure of a Welfare State is slowly and surely emerging, but we have a very long way to travel. We have set ourselves an extremely difficult task in the shape of our Plan and our resources are very limited. It will also be idle to deny that there have been many mistakes and shortcomings. We can, however, find consolation in the fact that there can be no human endeavour which does not involve mistakes. So far as I am concerned, I have absolutely no doubt in my mind of our ultimate success. The way may be very difficult

and full of hurdles, but if we decide to sink our differences and make a joint effort to inspire and enthuse our people so as to secure their fullest possible participation in our schemes, we are bound to achieve our goal. You must never forget that in all our activity we have adopted the democratic way and our march to the socialistic pattern of society will be always with the entire willingness and participation of our people. We have no use for regimentation or dogma. My Chief Minister has on many occasions appealed to you to bring about a kind of truce so far as the welfare activities of the people are concerned. I have no doubt that in your great wisdom you will extend your fullest support and heartily respond to his appeal. We have a glorious adventure before us and only by our joint efforts can we create feelings of self-reliance, self-confidence and faith among our people. I am confident that with your wide experience, maturity of wisdom, sober deliberations and intense patriotism you will continue to make your high contribution for the public good. May success always attend your efforts.

JAI HIND

†विधान परिषद् के सभापति,
विधान सभा के अध्यक्ष, तथा
विधान मण्डल के सदस्यगण,

अपने भाषण को प्रारम्भ करते हुये मैं विधान-मंडल के उन माननीय सदस्यों से जो यहां उपस्थित हैं क्षमा मांगता हूं कि चाहे ऐसा करने की मेरी कितनी ही इच्छा हो, मैं हिन्दी बोलने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं क्योंकि मैंने सदैव इस बात को माना है कि केवल हिन्दी ही हमारी सबकी भाषा होगी ।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

अपना वर्तमान पद-भार सम्हालने के बाद पहली बार राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिये इस समय यहां उपस्थित होना मेरे लिए बड़े सम्मान और गौरव का विषय है । मुझे विशेष हर्ष है कि इसके पहले मुझे राज्य के विभिन्न स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जहां पर मेरी भेंट विभिन्न जीवन-वृत्तियों वाले व्यक्तियों से हुई । इस राज्य की प्रत्येक वस्तु से, इसकी बहुमुखी एवं सम्पन्न परम्परा और संस्कृति से सम्बद्ध होने का मुझे वास्तविक गर्व है ।

कुछ और कहने से पहले मुझे विधान मंडल के माननीय सदस्यों से क्षमा मांगनी है । इस अवसर पर सदन को अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी में सम्बोधित करने में मुझे सर्वाधिक हर्ष होता । किन्तु अभाग्यवश भरसक कोशिश करने पर भी मुझे इसके लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं हो पायी है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण मेरी कठिनाई को समझेंगे तथा बहुत कुछ चाहते हुए भी हिन्दी में अभिभाषण की मेरी असमर्थता के लिए मुझे क्षमा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष से मैंने प्रार्थना की है कि वह कृपा करके मेरे अभिभाषण के समाप्त होते ही उसका हिन्दी रूपान्तर पढ़ देंगे ।

आपके सतत एवं सक्रिय सहयोग और अभिरुचि के कारण हमारे राज्य ने इन वर्षों में जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों को ऊंचा करने में पर्याप्त प्रगति की है । देश के शेष भाग की तुलना में इसकी स्थिति अद्वितीय है । मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि हम अपना यही उच्च स्थान बनाये रक्खेंगे । अपनी सफलता और प्रगति के लिए मैं अपने प्रसिद्ध पूर्वाधिकारियों, इस राज्य के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त तथा मेरे वर्तमान मुख्य मंत्री और उनके योग्य सहयोगियों के प्रति, जो बड़े कठिन समयों में भी राज्य की नौका का संचालन बड़ी सफलता के साथ करते रहे हैं, अपनी प्रशंसा-भावना व्यक्त करता हूं । साथ ही मैं उस कार्य की भी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं,

†अंग्रेजी से अनूदित ।

जो आप सब करते रहे हैं और विधान-मण्डल के भीतर और बाहर विभिन्न लोक-कार्यों में आपके बहुमूल्य योगदान के लिये मैं आपमें से प्रत्येक को बधाई देता हूं ।

इस सत्र में श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की, जो कि इस राज्य में लोकप्रिय मंत्रि-मंडल के प्रारम्भ से ही मंत्री थे, अनुपस्थिति अवश्य अनुभव होगी । उनके केन्द्रीय मंत्री बन कर चले जाने से हमारे राज्य की बड़ी क्षति हुई है । फिर भी हमारे लिए यह बड़ी सान्त्वना की बात है कि हमारी इस क्षति से सारा देश उनकी राजनीतिज्ञता एवं दूरदर्शिता तथा उनके परिपक्व अनुभव का लाभ उठा सकेगा । कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की हैसियत से अपना बजट-भाषण देते समय उन्होंने उन विभिन्न कार्य-क्रमों और नीतियों को आपके सामने रक्खा, जिन्हें मेरी सरकार ने अपनाना चाहा । अतएव, मेरे लिए उन बातों का दोहराना अनावश्यक है जो पहले कही जा चुकी हैं और जिन पर आप लोग चर्चा भी कर चुके हैं । मैं केवल इस बात की रूपरेखा आपको बतलाऊंगा कि मेरी सरकार अब तक क्या कर सकी है तथा इस वर्ष में और क्या करना चाहती है ।

जैसा कि अब सभी स्वीकार करते हैं, योजना बना कर तथा समन्वित रूप से कार्य करना अच्छे शासन के लिए आवश्यक है । प्रथम पंचवर्षीय योजना को हमने उत्साहवर्धक सफलता के साथ पूरा किया जिससे कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में उससे कहीं बड़ा कार्य-क्रम प्रारम्भ किया । अब हम उन्हीं कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हमें सौंपे गये हैं । साधनों के समुच्चय तथा देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों के दृष्टिकोण से यह योजना पहली योजना से कहीं अधिक मात्रा में केन्द्र और राज्यों का संयुक्त उपक्रम है । हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप ही खेती की उपज बढ़ाना हमारी योजना का अब भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है । फिर भी इसमें औद्योगीकरण पर जोर पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया गया दिखलाई देता है । प्राप्य सीमित साधनों के सहारे ही सामाजिक सेवाओं को यथेष्ट प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है । सभी लोग इस बात को पूर्णतया अनुभव करते हैं कि सब देश-वासियों का हार्दिक सहयोग और सक्रिय योगदान उद्देश्य-प्राप्ति के लिए नितान्त आवश्यक है । अब योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है । इस राज्य में इस समय ३३३ विकास-खंड कार्य कर रहे हैं । इनके अन्तर्गत कुल क्षेत्र का लगभग ४२ प्रतिशत तथा गांवों की आबादी का लगभग ४३ प्रतिशत आ जाता है । प्रारम्भ में इस योजनाकाल में सारे राज्य को विकास-खण्डों के अन्तर्गत लाने की आशा थी । परन्तु कुछ व्यावहारिक कारणों से तथा बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार हमने अपने कार्य-क्रम को किंचितमात्र विचलित करने का निर्णय किया । लखनऊ का विकास अन्वेषणालय (Planning Research and Action Institute) देश में अपने ढंग की एक अग्रगामी संस्था है, जिसके लिये कि हमारा गर्व ठीक ही होगा । विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के क्षेत्रों में कार्यान्वित की सिफारिश किये जाने के पहले यहां उन पर अनुसन्धान और उनका परीक्षण किया जाता है । इटावा का अग्रगामी योजना-खंड (Pilot Project) इस संस्था की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का कार्य करता है । यहां सम्बद्ध विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए जाने के पहले भूमि-संरक्षण, युवक-कार्य, सहकारी-सदस्य-शिक्षा, सहकारिता के आधार पर खुली कढ़ाई में दानेदार शक्कर बनाने की योजना (Co-operative Open Pan Crystal Sugar Project) आदि बहुत-सी योजनाओं का परीक्षण ध्यानपूर्वक किया गया है । अपने विभिन्न विकास-खंडों में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों में आवश्यक परिवर्तन करना है, जिससे कि वे यह अनुभव करें कि यह वास्तव में जनता का अपना कार्य-क्रम है । ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी सफलता का माप सरल नहीं है । तथापि इस बात का वैज्ञानिक रूप से पता लगाने के लिये कि हमारे सघनोत्तर विकास-खंडों (Post-Intensive Development Blocks) में इस कार्य-क्रम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, सावधानी से सर्वेक्षण

किया जा रहा है। इस कार्य-क्रम के ब्योरों का अध्ययन करके सिफारिशें करने के लिये, विशेषतः उस रीति के सम्बन्ध में जिससे सर्वसाधारण का अधिकतर सहयोग प्राप्त हो सके तथा उनमें स्वयं प्रारम्भ करने की भावना का विकास हो, श्री गोविन्द सहाय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है।

राज्य के विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन की महत्ता मेरी सरकार ने पूर्णरूप से अनुभव की है और सारे देश के साथ-साथ वह भी साम्यवादी व्यवस्था की, जो कि हमारा लक्ष्य है, प्राप्ति के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रही है। मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि विगत एक या दो वर्षों में इस दिशा में प्रयत्नों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न सहकारी संस्थाओं, क्रय-विक्रय समितियों, वस्तुप्रक्रिया समितियों (Processing Societies) आदि को, जो पहले ही से विद्यमान थीं, सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य की सब महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं को सरकारी संचालन से अधिकतम संभव मात्रा में अलग कर दिया जाय। इसके लिये तत्सम्बन्धी विधि में कुछ परिवर्तन आवश्यक है। मेरी सरकार ने भारत सरकार द्वारा बनाये गये आदर्श विधेयक (Model Bill) का सावधानी से अध्ययन किया है और वह शीघ्र ही इस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित विधायन आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया है, वह यह कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को गन्ने और उद्योग की सहकारी समितियों के सहित सब सहकारी समितियों की देखरेख सौंप दी गयी है। इससे और अधिक समन्वय और नियंत्रण सुनिश्चित रहेंगे।

मैं यह आशा करता हूं कि निकट भविष्य में ही जीवन के सभी क्षेत्रों में और विशेषकर राज्य सरकार के सारे आर्थिक कार्य-कलापों में सहकारी पद्धति अपनायी जा सकेगी। इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में यह निश्चय किया गया है कि राज्य की ओर से क्रय-विक्रय तथा राज्य की जेलों को अनाज की सप्लाई यथासम्भव सहकारी समितियों के माध्यम से की जाय। सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई विभागों के अधीन निर्माण-कार्यों में लगे श्रमिकों की भी सहकारी समितियां बनायी जायेंगी। केन्द्रीय अधिनियम के अधीन एक गोदाम निगम (Warehousing Corporation) का भी संघटन किया गया है। इस राज्य में खेती की उपज को ठीक से जमा रखने की सुविधा के लिये राज्य में गोदामों की स्थापना का भी विचार है। इस सत्र में ही इस आशय का एक विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया जायगा।

विगत कई वर्षों से खेती की उपज को बढ़ाने के लिये जो प्रगाढ़ प्रयत्न बराबर किये जा रहे हैं निस्संदेह ही वे अब सफल हो रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष अर्थात् सन् १९५४–५५ में ही हम इस राज्य के प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्ण लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये थे। दुर्भाग्यवश सूखा और बाढ़ जैसी दैवी आपदाओं के कारण १९५५–५६ में हमारे यहां उपज काफी कम हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उत्पादन के लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हम दृढ़ता के साथ बढ़ते गये और वर्तमान योजना के प्रथम दो वर्षों में हम योजना के अनुसार प्रगति भी कर सके। किन्तु प्राकृतिक कारणों ने फिर हमारे मार्ग में बाधा डाली और पिछली रबी की फसल के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा यह रबी की फसल ५ प्रतिशत कम क्षेत्र में बोई गयी। उत्पादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा १६.६ प्रतिशत कम रहा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसल की वृद्धि के लिये अपने सभी साधन जुटा डाले। इस योजना में आपका पूरा-पूरा समर्थन तथा सक्रिय सहयोग भी प्राप्त हुआ। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के कृषकों के पास तक खेती की उन्नत प्रणालियों की जानकारी तथा नवीन पद्धति (technique) का उपयोग पहुंचाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया। हमारी जनता की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण रही और हमें अपनी सफलता का विश्वास था। परन्तु

प्राकृतिक विषमताओं ने हमें फिर धोखा दिया—इस बार पानी ही नहीं बरसा। सिंचित क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में धान की पहले आने वाली फसल का भविष्य अंधकारमय है। धान की बाद में आने वाली फसल का भविष्य सामयिक वर्षा की मात्रा पर निर्भर है। दुर्भाग्यवश इन बातों पर हमारा कोई वश नहीं है। इन कारणों से राज्य की खाद्य-स्थिति फिर कठिन हो गयी है। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार को परिस्थिति का पूरा-पूरा ध्यान है तथा स्थिति सम्हालने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है। मेरी सरकार यह अपना पुनीत कर्त्तव्य समझती है कि जनता को किसी निवार्य कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए किये गये उपायों के अन्तर्गत विदेश से आये गेहूं तथा यहां खरीदे गये मोटे अनाज को बड़ी मात्रा में उचित मूल्य वाली अनेक दूकानों द्वारा विभिन्न अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में बांटना भी है। गेहूं की अन्तर्प्रभागीय योजना (Inter-Zonal Scheme) भी लागू की गयी है तथा १४ पूर्वी जिलों से चावल एवं धान बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गयी है। चावल मिलों एवं खाद्यान्न व्यापारियों के लिये लाइसेंस का विधान कर दिया गया है। मेरी सरकार स्थिति पर गौर कर रही है और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि वह इस सम्बन्ध में सारे आवश्यक उपाय करेगी। मैं भारत सरकार को भी उसकी सहायता और उसके सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

पहले जब हम परतंत्र थे, तब हमारे राज्य के कतिपय क्षेत्र बहुत समय तक उपेक्षित रहे। फलतः उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की हमारी जनता घोर निर्धनता और कठिनाइयों से पीड़ित है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत है तथा प्राप्त सीमित भूमि पर भार भी बहुत अधिक है। इन्हीं क्षेत्रों पर लगातार सूखा और बाढ़ जैसी दैवी विपत्तियां आया करती हैं। स्वतंत्रता के आरम्भ से ही हमारी सरकार इस क्षेत्र में बसने वाली दुःखी जनता की स्थिति सुधारने के लिये निरन्तर प्रयत्न करती रही है। इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास-कार्य हुआ है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना भी है। इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिये मेरी सरकार ने अभी हाल में ही गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इससे उनकी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा में पूरी हो जायेंगी। किन्तु यह कार्य विशाल है और हमारे प्रयासों का फल कई वर्षों बाद ही प्रकट हो सकेगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार इन दुःखी भाइयों के लिये कम से कम समय में उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न उठा न रखेगी। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि आप में से प्रत्येक, राजनीतिक विचारों में विभिन्नता होते हुए भी, मेरी सरकार को इन क्षेत्रों के निवासियों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के कठिन कार्य में पूरी सहायता करेगा।

एक दूसरी समस्या जिसका हमें अभी हाल ही में सामना करना पड़ा था वह थी विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषतः बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर में, पीने के पानी की कमी। दूरस्थ क्षेत्रों से पीड़ित क्षेत्रों में पानी लाने की व्यवस्था करनी पड़ी। कार्य कठिन था और इसमें जो सफलता मिली वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। इस क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये बहुत से सहायता-कार्य भी चालू किये गये। वर्षा में देरी होने से हमारी कठिनाइयां बढ़ गयी हैं और खड़ी फसलों को, विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों में, अवश्य हानि पहुंची है। किन्तु अब वर्षा आ गयी प्रतीत होती है और हमें आशा है कि जो क्षति हुई है वह किसी अंश तक पूरी हो जायगी। यदि हमें खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी है तो पूर्णरूप से प्रकृति की कृपा पर निर्भर नहीं रह सकते। यह परमावश्यक है कि राज्य की समस्त कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया जाये। योजना आयोग (Planning Commission) ने अपेक्षा की है कि आगामी पन्द्रह-बीस वर्षों के भीतर सिंचित क्षेत्र दुगुना हो जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजित सिंचाई की ११ बड़ी

तथा २३ छोटी योजनाओं के कार्य-क्रम में लगभग ३५ करोड़ रुपयों की लागत के ३,७४० मील लम्बे अतिरिक्त जलमार्ग तथा १,५०० अतिरिक्त नलकूप आते हैं। इनके पूर्ण हो जाने पर २१ लाख एकड़ से भी अधिक अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार हमारे ३० प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई होने लगेगी। इस समय हमें एक ही कठिनाई की आशंका है, वह है विदेशी मुद्रा की कमी, जिसके कारण इस कार्य के लिये आवश्यक मशीनें मंगाना सीमित हो सकता है।

अभी थोड़े ही दिनों से कई क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचन सुविधाओं का उपयोग न किये जाने की भी चर्चा है। यदि ऐसा है तो यह बड़ी गम्भीर बात है। मेरी सरकार ने तुरन्त ही इसकी सावधानी से जांच आरम्भ कर दी है। कुछ नलकूपों में बिजली न होने के कारण जिस कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था वह इन कार्यों के पूर्ण हो जाने से समाप्त हो गई है। प्रथमतः प्रतीत यही होता है कि यदि सिंचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है तो उसका मुख्य कारण यही है कि कुछ स्थानों पर कृषकों ने खेतों में आवश्यक नालियां नहीं बनायीं। विगत वर्षों में पर्याप्त वर्षा होने के कारण कृषकों ने सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं अनुभव की। किन्तु जैसे ही समय बीतता गया इन सुविधाओं का उपयोग बढ़ता गया। मेरी सरकार ने अब इस ओर अधिकतम ध्यान केन्द्रित कर दिया है और अब सब जगह विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में खेतों में नालियां बनायी जा रही हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि इस कार्य में स्थानीय जनता सक्रिय सहयोग दे रही है।

जैसा कि आप जानते हैं, बाढ़ इस राज्य के लिये नित्य का कंटक बन गयी है। बाढ़ आ जाने पर अपार जनसमूह को संकट का सामना करना पड़ता है। किन्तु बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकना अकेले मेरी सरकार की सामर्थ्य के बाहर है। केन्द्रीय सरकार भी हमारी सभी संभव सहायता करती रही है और मुझे हर्ष है कि हमने इस सम्बन्ध में बहुत-सी मूल्यवान योजनाएं तैयार कर ली हैं। इस सारे कार्य के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। अतः हमें तुरन्त प्रारम्भ किये जाने वाला कार्य उपलभ्य धनराशि की मात्रा के अनुसार सीमित करना है।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में हमने ३२२ मील लम्बे किनारे के बंधे बनाने, ३,५०० नीचे बसे गांवों की भूमि को ऊंचा करने तथा कतिपय जल-प्लावित क्षेत्रों में नालियां बनाने में २७० लाख रुपये खर्च किये। द्वितीय योजना में इस कार्य की प्रगति बढ़ा दी गयी है तथा उसमें बाढ़ की बरबादी से कुछ नगरों की रक्षा का प्रबन्ध भी है। इस योजना के प्रथम दो वर्षों में ३३९ बंधे, ४८६ मील लम्बी नालियां तथा ४५ मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं और ३,८३६ नीचे बसे गांवों की भूमि ऊंची की गयी। वाराणसी, बलिया, अनूपशहर, कनखल और राजापुर के नगरों में सुरक्षा का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। मेरी सरकार यह अनुभव करती है कि अभी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है, किन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा है, उसकी मुख्य कठिनाई धन की कमी है।

कृषकों को शीघ्रतम अधिक से अधिक मात्रा में समृद्ध बनाना मेरी सरकार का मुख्य प्रयत्न है।

भूमि-सुधार के क्षेत्र में जौनसार बावर क्षेत्र और कुमायूं डिवीजन को छोड़कर शेष सारे क्षेत्र राज्य में भौमिक अधिकारों की यथासम्भव समानता प्राप्त कर ली गयी है। जौनसार बावर में बंदोबस्त का कार्य पूरा होने के बाद तुरन्त जमींदारी का उन्मूलन तथा आवश्यक भूमि-सुधार करने का विचार है। कुमायूं डिवीजन के सम्बन्ध में तो कुमायूं जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक आप के समक्ष है ही। इसके पारित हो जाते ही वहां भी जमींदारी उन्मूलित कर दी जायगी। उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के प्रचलित होने से अब तक के कई वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर आवश्यक संशोधनों का एक पूर्ण विधेयक आपके सामने निकट भविष्य में प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है।

जोत चकबंदी की योजना सन् १९५४ में राज्य की दो तहसीलों में प्रारम्भ की गयी थी और अब २७ जिलों की ३२ तहसीलों में, जिनके अन्तर्गत १३,४०९ गांव आते हैं, कार्यान्वित की जा रही है। ३० जून, १९५८ तक ५,८८७ गांवों में २३.६० लाख एकड़ क्षेत्रफल वाले नये चकों पर कब्जे का हस्तान्तरण किया जा चुका है। फलस्वरूप ४९.९२ लाख खेतों से घटकर अब ९.६७ लाख चक हो गये हैं। इनमें एक-तिहाई गांवों में कब्जे का हस्तान्तरण पिछले ६ महीनों के अन्तर्गत ही हुआ और खातेदारों को अभी तक अपने नये चकों में सुधार-कार्य करने का समय नहीं मिला है। फिर भी १,७४० पक्के कुएं तथा २८१ नलकूप या तो उन्होंने बना लिये हैं या वे बना रहे हैं। उन्होंने इस अवधि में १५० ट्रैक्टर खरीदे हैं और १.५६ लाख खाद के गड्ढे बनाये हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जोतों की चकबन्दी तथा खेतों की पुनर्व्यवस्था के फलस्वरूप गांव वालों के लिये २,२५२ मील लम्बी अन्तर्ग्रामीण सड़कें तथा २,३३२ मील लम्बी चकों की सड़कें बनाना सम्भव हो सका है। इससे यह प्रकट होगा कि चकबन्दी के बाद सुधार-कार्य कितनी शीघ्रता से होते हैं। इन गांवों के कृषकों को विभिन्न प्रकार की तकावी के रूप में ५६ लाख रुपया बांटा गया है। यह जानना भी रुचिकर होगा कि इन गांवों में अभिलेखों की ठीक से जांच तथा भूल-सुधार के फलस्वरूप ऐसी अनेक जोतों का पता लगा है जिनकी मालगुजारी दर्ज नहीं थी और इस प्रकार वार्षिक मालगुजारी में ८.२० लाख की वृद्धि हुई है। पंजाब की भांति हम भी समचतुष्कोण-योजना (Rectangulation basis) के अनुसार चकबन्दी का परीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ में भी कुछ संशोधन करने होंगे तथा यथेष्ट संशोधक विधेयक इस सत्र में ही आपके सामने लाया जायगा।

बढ़ते हुए कृषिक उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास के साथ-साथ परिवहन की और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता अनिवार्य है। १९५७-५८ में ३९४ मील लम्बी नयी पक्की सड़कें बनायी गयीं और स्थानीय निकायों की २७० मील लम्बी सड़कों की या तो मरम्मत की गयी या उनमें सुधार किया गया। १६८ मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ चौड़े किये गये और उन्हें आधुनिक रूप दिया गया तथा १३ बड़े पुल पूरे किये गये। यह आशा है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ६७४ मील लम्बी नयी पक्की सड़कें, १२५ मील लम्बी पक्की पगडंडियां तथा ४२ बड़े पुल पूरे किये जा सकेंगे। स्थानीय निकायों की ५०६ मील लम्बी सड़कों की भी मरम्मत की जा सकेगी तथा उनका सुधार किया जा सकेगा। सन् १९४७ में उत्तर प्रदेश में पथ-परिवहन का राष्ट्रीयकरण केवल ६ बसों से प्रारम्भ किया गया था। अब हमारे पास १,९४४ बसें, १४९ ट्रकें तथा ५० टैक्सियां हैं। फलस्वरूप ११,००० से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सका है।

राज्य के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में मेरी सरकार जो कुछ करना चाहती है उसका आभास वित्त मंत्री के गत बजट-भाषण में दिया गया था। मैं केवल इतना ही और कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार सारे राज्य में भारी तथा हल्के दोनों प्रकार के उद्योगों के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (U.P.Financial Corporation) ने मध्यमवर्गीय उद्योगों (medium-scale industries) की स्थापना तथा वृद्धि के लिये पर्याप्त ऋण स्वीकृत किये हैं। उद्योग-संचालकालय के माध्यम से लघुवर्गीय तथा ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक, औद्योगिक एवं क्रय-विक्रय सम्बन्धी सुविधाएं उदारतापूर्वक दी जा रही हैं। लघुवर्गीय एवं कुटीर उद्योगों द्वारा बनाये गये माल के विक्रय तथा औद्योगिक आस्थानों (Industrial estates) के प्रबन्ध के लिये एक लघुवर्गीय उद्योग निगम (Small Scale Industries Corporation) की भी स्थापना की गयी है।

हमने प्रौद्योगिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में प्रौद्योगिक कर्मचारियों की मांग की मात्रा का वैज्ञानिक रूप से निर्धारण किया गया है तथा

उचित समय पर यथावश्यक संख्या में प्रौद्योगिक कर्मचारी उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। रुड़की विश्वविद्यालय में डिग्रियों के और पाठ्य-क्रम आरम्भ किये गये हैं। ओवर-सियरों (Overseers), ड्राफ्ट्समैनों (Drafts men) सर्वेयरों (Surveyors) तथा कम्प्यूटरों (Computors) की शिक्षा प्रदान करने वाली अनेक संस्थाएं खोली गयी हैं। हाल ही में एक प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड (Board of Technical Education) की भी स्थापना की गयी है।

आज किसी भी क्षेत्र के पर्याप्त विकास के लिये बिजली-शक्ति बड़ी आवश्यक है। यह कृषि एवं औद्योगिक, दोनों ही प्रकार के कार्यों के लिये आवश्यक है। इसीलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली-शक्ति की योजनाओं को उच्च स्थान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इनकी आवश्यकता स्वीकार की गयी है। रिहन्द बांध नामक हमारी सबसे बड़ी योजना अच्छी प्रगति कर रही है। कुछ समय पूर्व हमें इसकी बड़ी चिन्ता हो गयी थी और यह आशंका की गयी थी कि कहीं विदेशी मुद्रा-विनिमय की कठिनाइयां इस योजना के शीघ्र पूरी होने में विघ्न न डालें। किन्तु मुझे हर्ष है कि मेरी सरकार के प्रयास से इसे योजना के प्रमुख भाग में सम्मिलित कर लिया गया है।

गोरखपुर, मऊ, सुहावल और मैनपुरी के ऊष्मीय स्टेशनों (Thermal Stations) काम करने लग गये हैं तथा ३७ नगरों में बिजली लग गयी है। आशा की जाती है कि योजना-काल की समाप्ति के पूर्व ही हरदुआगंज का बिजली-स्टेशन भी कार्य-योग्य हो जायेगा। जैसा-कि मैं पहले कह चुका हूं, नलकूपों में भी सन्तोषजनक रूप से बिजली लग गयी है। कान-पुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन ने बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये बिजली का अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। भविष्य के सम्बन्ध में उच्चकोटि का चिन्तन, सर्वेक्षण तथा अध्ययन अभी से प्रारम्भ कर दिया गया है।

औद्योगिक विकास में श्रम के महत्व के सम्बन्ध में अत्युक्ति असम्भव है। इस समय की प्रथम आवश्यकता उत्पादन बढ़ाने वाली परिस्थितियों का सृजन है। औद्योगिक शांति की, जिसकी इतनी आवश्यकता है, हम तभी आशा कर सकते हैं जबकि श्रमिकों को इस कार्य में जोकि अन्ततोगत्वा एक संयुक्त प्रयास है समुचित स्थान और अंश प्राप्त हो। इसको सुनिश्चित करने के लिये मेरी सरकार ने केन्द्रीय और राज्यीय श्रम-विधियों के प्रशासनार्थ एक सावधानी से आयोजित संघटन स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश झगड़ा (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम के अधीन स्थापित श्रम-न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने औद्योगिक झगड़ों की समस्या को सुलझाने में बहुत कुछ सहायता की है। राज्य अधिकृत अधिष्ठानों (State-owned undertakings) के श्रमिक झगड़ों को निपटाने के लिये एक विशेष संघटन स्थापित किया गया है। मुझे यह देख कर बड़ा हर्ष है कि लगभग सभी मालिकों ने विभिन्न श्रम-विधियों के अक्षरशः और वस्तुतः पालन में महान् सहयोग किया है। हमारे समझौता संघटन ने सुचारु रूप से कार्य किया है तथा मेरी सरकार सदैव ही उसको और सुधारने का मार्ग खोजती रहती है, जिससे कि मालिकों और श्रमिकों के बीच में और अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना हो सके। श्रम-विधियों तथा उनके सफल प्रशासन में हमारा राज्य इस देश में किसी से भी पीछे नहीं है। श्रम-कल्याण की समस्या पर मेरी सरकार बराबर ध्यान दे रही है। ऐसे कल्याण-केन्द्रों की संख्या बराबर बढ़ाई जा रही है जो श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिये आमोद-प्रमोद, चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं का प्रबन्ध करें। औद्योगिक गृह-निर्माण-क्षेत्र में हमारे राज्य को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ६५ चीनी मिलों के लिये १,५०० घर बनाने की योजना में से ५० चीनी मिलों के १,२३५ घर पूरे हो चुके हैं और १२५ घर भी शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे। भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना (Subsidized Industrial Housing Scheme) के अधीन कानपुर, लखनऊ, आगरा तथा फिरोजाबाद नगरों में १९,८३४ आवास (tenements) अब तक बन चुके हैं। इस

प्रकार बनाये गये उपनिवेशों में पार्क, स्कूल, औषधालय और बाजार जैसी आधुनिक सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया गया है। एक हजार से अधिक श्रमिक जन-संख्या वाले नगरों में राज्य-कर्मचारी-बीमा-योजना (Employees' State Insurance Scheme) प्रसारित की गयी है तथा कर्मचारी-भविष्य-निधि-योजना (Employees' Provident Fund Scheme) और अधिक उद्योगों में लागू की गयी है।

हमारे नगरों में गंदी बस्तियां बड़ी खराब स्थिति में हैं तथा उपयुक्त विधि के अभाव में यह समस्या और भी कठिन हो गयी है। शीघ्र ही तत्सम्बन्धी एक विधायन आपके विचारार्थ प्रस्तुत करने का विचार है। स्वावलम्बता के आधार पर घर बनाने के हेतु आवश्यक सहायता तथा ऋण देने के लिये एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

श्रमिक-गृह-व्यवस्था की समस्या के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये मकानों की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे अनेक मकान बना कर उचित किराये पर उठाये जा चुके हैं। घर बनाने के लिये ऋण भी उदारतापूर्वक दिये गये हैं। तथापि नागर-क्षेत्रों में निवास-स्थान की कमी अब भी है। अतएव मेरी सरकार का विचार है कि यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ [U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947] तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ [U. P. (Temporary) Accommodation Requisition Act, 1947] की अवधि बढ़ा दी जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही इसी सत्र में की जायगी।

राज्य के लोक-कल्याण कार्यों में शिक्षा का सदा से ही गौरवमय स्थान रहा है। यह सर्वसम्मत है कि देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास पर निर्भर है। इसलिये शिक्षक का स्थान भी अद्वितीय और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश अभी तक उसकी दशा हीन ही रही है। मेरी सरकार इसे सुधारने और उसके लिए प्रत्येक सम्भव सुविधा की व्यवस्था करने के लिए अधिकतम प्रयत्न कर रही है, जिससे कि वह शिक्षा तथा तरुण मस्तिष्क के विकास के लिए अधिकतम योग्यता से कार्य कर सके। शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण की योजनाएं बनाई गयी हैं और उनके वेतन-क्रमों में सुधार की कार्यवाही भी की जा चुकी है। इनमें से कुछ विषयों के सम्बन्ध में विधायन इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक के रूप में आप के सामने है ही और मुझे आशा है कि आप इसे इसी सत्र में पारित कर देंगे।

शिक्षा सुविधाओं के प्रसार के कार्य-क्रम के साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो कुछ पहले से विद्यमान है उसे प्रभावशील बनाने के प्रयोजन से संहत किया जा रहा है। स्कूलों, पाठशालाओं और मदरसों को उदारता से अनुदान स्वीकृत किये जा रहे हैं। बहुत-सी संस्थाओं को हाल ही में पुस्तकालय दिये गये हैं। पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय, ये दो नये विश्वविद्यालय हाल ही में स्थापित किये गये हैं। मेरी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के स्तर ऊंचे रहें। इस दृष्टिकोण से गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ तथा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में कुछ संशोधन आवश्यक हो गये हैं और संशोधक विधेयक इसी सत्र में आप के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

राज्य का लोक-कल्याण-सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कार्य जनता का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। केवल उत्पादन बढ़ा कर ही निर्धनता दूर की जा सकती है और यह तभी संभव है जब हमारी जनता का स्वास्थ्य ठीक हो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि रोगों के उपचार और निरोध दोनों पर आवश्यक ध्यान दिया जाय। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार के लिए पहली आवश्यकता प्रशिक्षित कर्मचारियों की है। कानपुर में मेडिकल कालेज

की स्थापना के फलस्वरूप अब राज्य में इस प्रकार के तीन कालेज हो गये हैं। नर्सों तथा प्रयोगशाला एवं क्ष-रश्मि (X' Ray) के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण का कार्य संतोषप्रद प्रगति कर रहा है। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा-पद्धतियों को भी सभी संभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक शिक्षा पर पुनर्विचार करने के लिये मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है। मुझे विश्वास है कि उसकी रिपोर्ट केवल हमारे लिये ही नहीं अपितु राज्य-सरकारों के लिये भी लाभदायक सिद्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गत वर्ष ५० खंडों (Blocks) में रोगों को रोकने एवं उनका उपचार करने के लिये स्वास्थ्य-रक्षक-वर्गों (Primary Health Units) की स्थापना की गयी। ऐसे प्रत्येक वर्ग में एक औषधालय (dispensary), चार प्रसूति गृह एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, एक स्वच्छता-निरीक्षक (Sanitary Inspector) और एक स्वास्थ्य-निरीक्षक (Health Visitor) होते हैं। इनमें से प्रत्येक ७० हजार जनसंख्या के रोगों के निरोध तथा उपचार का प्रबन्ध करेगा। चालू वर्ष में ऐसे २० और वर्ग स्थापित कर सकने की आशा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनेक महिला औषधालय, एलोपैथिक औषधालय, प्रसूति-गृह एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-केन्द्र स्थापित किये गये। प्लेग, हैजा आदि व्यापक रोगों को नियन्त्रित करने के लिये भी प्रयत्न किये गये हैं। क्षय रोग के उपचार के लिये चार क्षय रोग चिकित्सालयों की स्थापना द्वारा रोगियों के घरों पर विशेषज्ञ-चिकित्सा-सेवा-कार्य प्रारम्भ हो गया है।

मेरी सरकार स्वास्थ्य की उन्नति के लिये खेल-कूद का बड़ा महत्व समझती है और उसके प्रोत्साहन में उसने बहुत रुचि दिखलाई है। इसी दृष्टि से अनेक क्रीड़ा-शालाएं (stadia) बनायी गयीं और अनेक प्रशिक्षण कैम्पों तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल-कूद की विभिन्न संस्थाओं को सहायता के लिये उदारतापूर्वक अनुदान दिये गये हैं। उपेक्षा के कारण अस्तोन्मुख भारतीय खेलों के पुनरुत्थान के लिये भी प्रयास किया गया है। कुछ महीने हुए तब इस सम्बन्ध में एक खेल-कूद-समारोह लखनऊ में किया गया था।

हमारे समाज कल्याण विभाग ने ग्रामीण महिलाओं और बालकों की सहायता, निराश्रितों एवं असमर्थ व्यक्तियों की वैयक्तिक तथा संस्था द्वारा देखभाल तथा पतित स्त्रियों के सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य किया है। अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की सर्वतोमुखी उन्नति के लिये और विशेषतः उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक अपेक्षाओं के अनुसार उन्नति के लिये बहुत ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन का कार्य भी होता रहा है। हाल में ही पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति आये थे। उन्हें तराई क्षेत्र में बसने के लिये आवश्यक सुविधाएं दे दी गयी हैं।

खुले बन्दी कैम्पों (Open Prison Camps) की योजना की सफलता ने सरकार को और अधिक साहसपूर्ण परीक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया है। ५० तारांक श्रेणी के बन्दियों (Star Class Prisoners) के एक वर्ग को वचन-प्रतीति (parole) पर एक वर्ष के लिये छोड़ कर तराई स्टेट फार्म, नैनीताल, भेजा गया था। वे वहां बिना किसी पहरे और रक्षा के स्वतंत्र व्यक्तियों की भांति कार्य करके नित्य १·५० रुपये से लेकर २·५० रुपये तक कमाते हैं। अपने भोजन आदि का वे स्वयं प्रबन्ध करते हैं। उनको यह भी अनुमति दे दी गयी है कि वे फार्म पर अपने द्वारा बनायी गयी झोपड़ियों में अपने परिवारों को भी रख सकें। वचन-प्रतीति पर छोड़े जाने की इस अवधि में उनका कार्य और आचरण संतोषजनक रहने पर उन्हें पूर्णरूप से मुक्त कर दिया जायगा।

एक कार्य-क्रम जिसने देश तथा विदेश में बहुत अभिरुचि उत्पन्न की वह राज्य सरकार द्वारा संयोजित बंदियों और पूर्व बन्दियों का सम्मेलन था। इसमें आये प्रतिनिधियों ने

बहुत से लाभदायक सुझाव दिये, जिन पर मेरी सरकार विचार कर रही है। बन्दीगृह-प्रशासन के इतिहास में इस प्रकार का सम्मेलन एक अनोखी घटना है।

हमारा राज्य सदा से ही कला और संस्कृति में सुसम्पन्न रहा है। किन्तु अभाग्यवश उपयुक्त संघटन के अभाव के कारण इस दिशा में हमारी प्रगति धीमी रही है। हमारे मुख्य मंत्री की तीव्र अभिरुचि के फलस्वरूप सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक कार्यों के पुनरुत्थान को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। राजकीय कला व शिल्प महाविद्यालय (Government College of Arts and Crafts), लखनऊ का पूर्णतया पुनः संघटन किया गया है और इसके वास्तुकला विभाग (Architectural Section) का पर्याप्त प्रसार हुआ है। इसकी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त भवनों का निर्माण भी किया गया है। निःसन्देह अब यह सारे देश में अपने प्रकार का सर्वोत्तम कालेज है। लखनऊ में एक नये संग्रहालय-भवन का निर्माण हो रहा है तथा मथुरा-संग्रहालय का प्रसार हो रहा है। इलाहाबाद के केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय (Central Records Office) में बहुत उपयोगी अनुसन्धान कार्य अभी हाल के महीनों में किया गया है। नैनीताल में वेधशाला (Astronomical Observatory) के लिये कई नये भवन बनाये गये हैं। भारत में केवल यही एक संस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष (International Geo-physical year) के कार्यों के समन्वय के लिये चुनी गयी है। हमारे भू-विज्ञान एवं खनि-कर्म के संचालकालय (Directorate of Geology and Mining) को सिरेमिक मिट्टी के लिये तथा सीमेन्ट बनाने के लिये चूने के पत्थर पर अनुसन्धान में पर्याप्त सफलता मिली है।

अब समय आ गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट तथा पंचायत राज ऐक्ट द्वारा अनुमत उत्तरदायित्व से अधिक उत्तरदायित्व सौंपा जाय।

इस समय विकास-कार्य अधिकतर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रत्येक उपाय करते हुये भी अभी तक संचालन, निष्पादन तथा प्रारम्भ सरकारी अधिकारियों के ही हाथों में रहे हैं। कारण स्पष्ट है। जिला नियोजन समितियां (District Planning Committees) केवल परामर्शदात्री समितियां हैं, जिनका विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है। अब विचार यह हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा नियोजन समितियों के कृत्य मिला दिये जायं तथा संचालन और निष्पादन की शक्तियां गैरसरकारी व्यक्तियों को दे दी जायं। सर्वोपरि नियन्त्रण अवश्य राज्य सरकार के हाथों में बना रहना चाहिये। साथ ही साथ अधिकतम संभव मात्रा में प्राधिकार जिला-परिषदों को हस्तान्तरित किया जायगा। यही डिस्ट्रिक्ट बोर्डों एवं नियोजन समितियों का स्थान ग्रहण करेंगी। विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह एक महान् प्रयोग है। मुझे विश्वास है कि सभी व्यक्ति जो स्वायत्त शासन संस्थाओं की प्रगति में अभिरुचि रखते हैं, इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके लिये आवश्यक विधायन तैयार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इसी सत्र में वह आपके सामने आ जायेगा।

जैसा कि विधान मण्डल में तथा इसके बाहर कई क्षेत्रों में व्यक्त किया गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। अतः उन्हें १ मई, सन् १९५८ से विघटित कर दिया गया और उनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की गयी। उस समय आप लोगों का सत्र नहीं हो रहा था। अतः मुझे इसके लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा। इन परिषदों के कार्य के सम्बन्ध में इतनी जल्दी कुछ भी मत प्रकट करना कठिन है। तथापि मुझे विश्वास है कि उनके प्रयासों से नवयुग की ओर संक्रमण सुकर हो जायगा तथा जिला-परिषदों की स्थापना प्रसन्नता के वातावरण में होगी। मेरी सरकार गांव सभाओं तथा न्याय पंचायतों के अधिकार बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही कर रही है।

अपने न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि न्याय-कार्य में दक्षता के साथ-साथ शीघ्रता लाने के लिये सुधार की आवश्यकता है। प्रसन्नता का विषय है कि सब के सहयोग से लगभग सब पुरानी लेख-याचिकाएं (writ petitions) तथा फौजदारी के मुकदमे निपटा दिये गये हैं। न्यायालयों से भ्रष्टाचार का शीघ्र मिटना अत्यन्त आवश्यक है और कुछ समय पूर्व के विधिक सम्मेलन (Lawyers' Conference) के इस क्षेत्र में सहयोग के प्रस्ताव का मेरी सरकार ने स्वागत किया है। विचार यह है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाय जो भ्रष्टाचार के निर्मूलन के उपायों के विषय में सुझाव दे।

अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी योजनाएं अनिवार्य रूप से इसी बात पर निर्भर हैं कि हमको कितना धन प्राप्त होता है। उत्पादक सामग्री बनाने वाले उद्योगों (capital industries) की विभिन्न योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिये कुछ दिन हुए तब मेरी सरकार ने जनता से ऋण की मांग की थी और यह हमारे सब के लिये बड़े संतोष का विषय है कि पहले दिन ही पर्याप्त ऋण आ गया और दूसरे दिन प्रातः काल ही मांग बन्द करनी पड़ी। कुल ७ करोड़ रुपये की मांग की गयी थी किन्तु कुल प्राप्त हुई धनराशि की मात्रा १२ करोड़ से भी अधिक है। इससे यह प्रकट होता है कि इस राज्य की तथा बाहर की जनता को हमारे वित्तीय प्रशासन में अत्यन्त विश्वास है और मेरी सरकार इस अवसर का उपयोग उन सब लोगों को धन्यवाद देने के लिये करती है जिन्होंने इस ऋण में इतनी उदारता से अंशदान दिया।

हमारी सरकार एक ओर तो राजस्व के नये स्रोतों की खोज का और दूसरी ओर प्रत्येक दिशा में मितव्ययता का अधिकतम प्रयत्न कर रही है। उत्तर प्रदेश मितव्ययिता समिति (Economy Committee) ने, जो विभिन्न विभागों के व्यय की जांच तथा मितव्ययता के सुझाव देने के लिये नियुक्त की गयी थी, अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत कर दिया है। इन सिफारिशों के लक्ष्य दोनों हैं, मितव्ययता तथा संबंधित विभागों में अधिक दक्षता उत्पन्न करने के लिये उनकी पुनर्व्यवस्था। यह रिपोर्ट विचाराधीन है और थोड़े ही दिनों में आपके समक्ष प्रस्तुत की जायगी।

हमारे प्रयासों की सफलता और आर्थिक समुन्नति के लक्ष्य की ओर हमारी प्रगति बहुत कुछ आन्तरिक और बाह्य शान्ति पर निर्भर है। मुझे यह कहते हुये बहुत हर्ष होता है कि राज्य की विधि और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति संतोषप्रद रही है। हमारे पुलिस-दल ने विधि-विरोधी तत्वों का, और विशेषतः डाकुओं का, मुकाबला प्रशंसनीय सफलता के साथ किया है। ग्रामीण जनता ने इस सम्बन्ध में पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। वास्तव में बिना इस प्रकार की सहायता के बहुत से कुख्यात लुटेरों और डाकुओं के गिरोहों को नष्ट करना संभव न हुआ होता। हमारे पुलिस दल ने बड़ा उच्च मनोबल बनाये रक्खा है। मेरी सरकार प्रशासन, अन्वेषण की रीतियों तथा अधीनस्थ पुलिस की सेवा-दशाओं के सुधार का दृढ़ता से प्रयास करती रही है। प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (P. A. C.) अपनी कर्त्तव्य-निष्ठा तथा संकटापन्न स्थिति में भी राज्य तथा देश के अन्य भागों में वीरता-प्रदर्शन के कारण विशेष बधाई की पात्र है।

मैंने उस विधायन कार्य का कुछ आभास पहले ही दे दिया है जिसकी कि आप द्वारा इस सत्र में पूरा किये जाने की अपेक्षा होगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७, उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८, तथा उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर भी, जो आपके सामने पहले से हैं, आपके विचार की अपेक्षा की जायगी। साथ ही अन्य विधेयकों पर, जैसे जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश भार तथा माप विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश

एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५८ और उत्तर प्रदेश गृह-रक्षक विधेयक, १९५८, जिनके कि इस सत्र में आप के सामने लाये जाने की सम्भावना है, आपसे विचार की अपेक्षा होगी। कुछ समय पहले धर्मस्व के नियमन तथा मन्दिरों के प्रबन्ध में सुधार करने के लिये एक विधेयक जनमत प्राप्त करने के लिये प्रकाशित किया गया था। यह विधेयक प्राप्त जनमत के अनुसार पुनः तैयार किया गया है और शीघ्र ही आप के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्रों में गृहस्थलों के पट्टों तथा अनुज्ञाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिये एक विधेयक विचाराधीन है, जो यदि हो सका तो इस सत्र में आपके सामने लाया जायगा। यह भी प्रस्ताव है कि व्यावसायिक संघों (trade unions) को रजिस्टर करने तथा रजिस्ट्री कृत एवं प्रतिनिधि व्यावसायिक संघों से सम्बद्ध विधि के कुछ विषयों को परिभाषित करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जाय।

खाद्यान्नों के छोटे व्यापारियों को बिक्री-कर में कुछ छूट देने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है। इसी उद्देश्य से सरकार, यदि आवश्यक हुआ तो, युक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। लोक-कल्याण राज्य की रूप रेखा धीमे-धीमे और दृढ़ता के साथ प्रकट हो रही है, किन्तु हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमने अपने ऊपर योजना के रूप में बहुत बड़ा कार्यभार ले रक्खा है, किन्तु हमारे साधन सीमित हैं। कमियों तथा गलतियों से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। तथापि हम यह समझ कर सन्तोष कर सकते हैं कि कभी भी किसी मानवकृति में दोषों का पूर्ण परिहार सम्भव नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे अन्तिम सफलता के विषय में कोई शंका नहीं है। हमारा पथ कठिन और बाधा पूर्ण हो सकता है। किन्तु यदि हम सब भेदभाव भुलाने का निश्चय कर लें और देशवासियों में उत्साह उत्पन्न करने का सम्मिलित प्रयास करें जिससे कि वे हमारी योजनाओं में पूर्णरूप से सहयोग दें, तो हमारी सफलता निश्चित है। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि अपने सभी कार्यकलापों में हमने लोकतन्त्रात्मक पद्धति का अनुसरण किया है और साम्यवादी समाज की स्थापना की ओर हमारी प्रगति हमारी जनता की पूर्ण सहमति और योगदान से ही होगी। हम किसी प्रकार के अतिनियन्त्रण (regimentation) अथवा मताग्रह (dogma) का उपयोग ठीक नहीं समझते। मेरे मुख्य मंत्री ने कई बार आप लोगों से अपील की है कि जहां तक लोक-कल्याणकारी कार्यों का प्रश्न है एक प्रकार का समझौता हो जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि आप अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके अपना पूरा समर्थन प्रदान करेंगे तथा उनकी अपील को हृदय से स्वीकार करेंगे। हमारे सम्मुख एक महत्वपूर्ण कार्य है और संयुक्त प्रयास से ही हम आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा निष्ठा की भावना जनसाधारण में उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, परिपक्व बुद्धि, गम्भीर विचार-विमर्श तथा प्रगाढ़ देश-प्रेम से लोक-कल्याण में अधिकतम योगदान करते रहेंगे। आप के प्रयत्न सर्वदा सफल हों।

जय हिन्द !

श्री अध्यक्ष—श्रीमान गर्वनर महोदय की आज्ञा से मैं दोनों सदनों के सदस्यों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में उनका अभिभाषण हो चुका है और ५५ मिनट उसमें लगे। तो अगर मनानीय सदस्य यह चाहते हों कि हिन्दी में भी पढ़ा जाय और आप तब तक बैठने को तैयार हों, तो मैं हिन्दी में पढ़ दूं। और नहीं तो.....

अनेक सदस्य—कोई आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो आप लोग नहीं चाहते। अभिभाषण दोनों सदनों में पढ़ दिया जायगा। मैं इस सदन में पढ़ दूंगा और सभापति अपने सदन में पढ़ कर सुना देंगे। माननीय राज्यपाल को कष्ट न दिया जाय कि वह हिन्दी का अभिभाषण सुनने के लिये और अधिक समय बैठे रहें।

(इस समय ११ बजकर ५६ मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक सभा-मंडप में दिन को २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की—

१—श्रीमती राजेन्द्र कुमारी,
२—श्री कमरुद्दीन।

श्री अध्यक्ष—अब विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जायगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् उसी दिन अन्य कार्यों के किये जाने पर आपत्ति

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, अब तक ऐसी प्रथा रही है कि जब भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में हुआ है तो उस दिन फिर सदन की कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज उस प्रथा के विपरीत और भी कार्यवाही हो रही है। मैं इस बारे में श्रीमन् की व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसी नयी बात क्यों हो रही है।

श्री अध्यक्ष—जहां तक प्रथा की बात है, सन् १९५३, ५४, ५५ और ५६ में ऐसी चीज हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद सदन स्थगित हो गया और फिर उसी दिन दूसरे वक्त हम बैठे। इस प्रकार से आज प्रथा के विरुद्ध कार्य नहीं हुआ। नियम ऐसा कोई है नहीं कि जिसके विरुद्ध यह बात पड़ती हो। इसलिये जो कार्यक्रम रखा गया है वह विधिपूर्वक है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। यह सही है कि सन् ५३, ५४, ५५ में ऐसा हुआ। लेकिन साधारण तौर पर यदि इस असेम्बली के पहले जो असेम्बली होती थी उसकी ओर अगर हम निगाह डालें और लोक सभा की पद्धति पर गौर करें तो राज्यपाल के संबोधन के बाद उस दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है, कारण यह है कि वह पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं जिस पर सदन के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे उस पर विचार करें और अपनी राय दें। इसीलिये यह समय दिया जाता है। यह समय जानबूझ कर ही रखा गया है। यद्यपि ३–४ साल से यह प्रथा नहीं रही है। लेकिन मान्यवर, मैं यह बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं माननीय नेता सदन से, श्रीमन् के द्वारा कि इस प्रकार की प्रथा यदि हम कायम करें तो उससे इस सदन के प्रति जो सेवा माननीय सदस्यों को करनी है, उसमें कुछ अच्छाई पैदा होगी बजाय इसके कि इस सदन के कार्य में कोई रुकावट पैदा हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम निश्चित था उसकी सूचना १०, १५ रोज पहले दे दी गयी थी और अगर कोई आक्षेप था तो सदस्यों को मुझे उस सम्बन्ध में बतलाना चाहिये था।

श्री देवनारायण भारतीय—यह सूचना जो एजेंडे में दी गयी है, मुझे आज ही मिली है। इसके पहले जो सूचना दी गयी थी उसमें केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में था और मुझे इसकी कोई सूचना नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास सूचना है कि इसकी सूचना ३ जुलाई को यहां से निकल गयी थी और आज २१ जुलाई है। उसमें दिया हुआ है कि २१ जुलाई को ११ बजे राज्यपाल का सम्बोधन होगा और लंच के बाद साधारण कार्यवाही होगी, यह दिया हुआ है। इसको आप देख लें तो आपको मालूम होगा कि यह ठीक है। विरोधी दल के नेता ने दूसरे तरीके से इस प्रश्न को रखा है.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—किस तारीख को भेजा गया था, यह बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—३ जुलाई को भेजा गया, यह तारीख पड़ी है कि बाद में ४, ५ तारीख को गया होगा, ऐसा मेरा अन्दाजा है। तो मैं इसको देखूंगा। पहली बात तो यह है कि मुझे भी इस प्रकार के कार्यक्रम के बारे में कोई आक्षेप हो उसका नोटिस मिल जाय और मुझे उसकी सूचना पहले से मिल जाय, तो मैं माननीय नेता सदन से उसके बारे में बातचीत करके कार्यक्रम में परिवर्तन कराने के लिये, अगर उचित होगा तो प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज की आपत्ति जो उठाई गई है, वह तो उचित नहीं है। आज तो निश्चित कार्यक्रम चलेगा ही। आइन्दा के लिये माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि उस पर माननीय नेता सदन भी विचार कर लें और जिस प्रकार से आम बहस बजट के वक्त पर या कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा या अभिभाषण हो, उसके ऊपर विचार करने के लिये सदस्यों को समय दिया जाना उचित है उसी तरह से अभिभाषण के पश्चात् सदस्यों को विचार के लिए समय मिलना उचित ही है। मैं समझता हूं कि कोई अनुचित बात मुझे वैसे दिखाई नहीं देती। लेकिन यह भी है, विरोधी दल के नेता ने जैसा कहा कि साधारणतः ऐसा होना चाहिये। कोई असाधारण परिस्थिति पैदा हो जाय उस समय तो कार्यक्रम उसी रोज लिया जा सकता है। इस सुझाव पर विचार माननीय नेता सदन कर लें और जो कुछ उनके विचार हों, मुझे अगर सूचित कर दें तो आइन्दा क्या प्रथा रहेगी, उस विषय में निश्चय करके मैं सदन को बतला दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आज के वास्ते भी तो ऐसा कर सकते हैं श्रीमन्, यदि माननीय नेता सदन इस पर राजी हो जायं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन जब इतने लोगों को कष्ट दिया गया और इस समय वे आज आये हैं तो फिर बिना काम खत्म किये हुए चले जायं यह अनुचित होगा, कोई ज्यादा काम भी तो नहीं है, घंटे भर का काम है, इसलिए यह अनुचित होगा कि मैं उसके लिये सदन की राय पूछूं।

श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वाराणसी के "आज" नामक हिन्दी दैनिक पत्र के १३ जुलाई के अंक में एक पत्र छपा है जो माननीय राजनारायण जी ने माननीय उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के पास भेजा, बतलाया गया है। उस पत्र के कुछ अंश ऐसे हैं जिससे स्पष्टतः मैं समझता हूं कि इस सदन का और उपाध्यक्ष महोदय का अपमान होता है और उनके विशेषाधिकार की अवहेलना होती है और इस प्रश्न को मैं यहां उठाना चाहता हूं।

आमतौर पर मैं यह मानता हूं कि विरोधी दल का यह कर्त्तव्य है कि वह सत्ताधारी पार्टी का विरोध करे, लेकिन जनतंत्र में मैं यह भी समझता हूं कि न्यायालय लोक सेवा आयोग....

श्री अध्यक्ष—क्या आप वह अंश पढ़ना चाहते हैं? आपके पास नहीं है?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं दिये देता हूं। मेरे पास है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—ये शब्द यह हैं जिन पर मुझे आपत्ति है "आपको स्मरण होगा कि विधान सभा की आन्तरिक कार्यवाहियों के संबंध में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जब मैंने आपसे कहा है कि अपने सम्मान की सुरक्षा के लिये अब आप इस्तीफा दें। मगर आपने उचित ध्यान नहीं दिया।" माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है कि विधान सभा

की आन्तरिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष महोदय को कोई भी पार्टी प्रभावित करना चाहे और यह कहे कि आपको अमुक प्रकार से कार्य करना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है। यह किसी भी पार्टी की तरफ से होता तब भी मैं यही कहता क्योंकि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग और न्यायालय ये ऐसी संस्थायें हैं जिनको जनतंत्र में पार्टियों से परे समझा जाता है। इसलिये उनके विशेषाधिकारों की अवहेलना ऐसी है कि उसका समाधान अवश्य होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजनारायण जी इसका समुचित समाधान कर देंगे अन्यथा आप इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें। इस पत्र की प्रतिलिपि भी मैंने राजनारायण जी के पास भेज दी थी, वह मुझे उन्होंने अभी दी है।

श्री अध्यक्ष—इसकी इजाजत देने के पहले मैं कुछ माननीय राजनारायण जी से जानकारी हासिल करना चाहूंगा। इस विषय में जो पत्र मेरे पास आया है उसका अभी अध्ययन नहीं किया है। माननीय राजनारायण जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या खुलासा है?

श्री राजनारायण—मैं पालीवाल जी के भावों का बहुत ही आदर करता हूं और पालीवाल जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिये और भी उनके भावों का आदर करता हूं, चाहे उससे सहमत होऊं या न होऊं।

श्रीमन्, यदि यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप टेक्निकलिटीज और बारीकियों में न जायं, कानून की बारीकी में न जायं, उसको सही तरीके से भावों में लें। इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा अगर मुझसे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है कि मैं किसी टेक्निकलिटी में जा कर अपने को बचाऊं, क्योंकि जब हमको जनतंत्र पद्धति को प्रतिष्ठित करना है तो हमको मामूली टेक्निकलिटी में जाकर किसी बड़े प्रश्न को छिपाना नहीं चाहिए। पालीवाल जी ने जिस अंश को पढ़ा, मैंने उसे जरूर लिखा और मैंने उसको अखबार में जरूर दिया है और जो मैंने अखबार में दिया उसे पूरी जिम्मेदारी से समझ कर दिया और यह समझ कर दिया है कि इससे उपाध्यक्ष के पद की या सदन की कोई अप्रतिष्ठा नहीं होती है।

श्रीमन्, पालीवाल जी का जब सुबह यह पत्र मुझे मिला कि उन्होंने सचिव, विधान मंडल को सूचित कर दिया है। मैंने फौरन बिना सोचने में एक मिनट देर लगाये पालीवाल जी को पत्र लिखा। मैं उसको आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :—

"माननीय पालीवाल जी,

नमस्कार, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आपने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। आप बुजुर्ग हैं। आपको सब शोभा देता है, मगर मैंने सदन या उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में कोई अपमानजनक बातें नहीं की हैं। उस समय राजनारायण त्रिपाठी जी सोशलिस्ट सदस्य थे, सोशलिस्ट सदस्य का कैसा व्यवहार सदन की आंतरिक कार्यवाहियों में होना चाहिये, इस सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी की नीतिरीति के मुताबिक मैं श्री रामनारायण जी सदस्य से कुछ कहने का हक रखता था। उसका केवल इतना ही अर्थ है, कृपया आप इससे अधिक अर्थ लेने का कष्ट न करें। मैं आपसे इस समय इतना ही निवेदन करूंगा। आशा है आप अब संतुष्ट हो गये होंगे कि मेरे वाक्यांश का अर्थ सदन का अपमान नहीं होता।"

श्रीमन्, लम्बा पत्र है।

श्री अध्यक्ष—आपने जो इस्तीफा देने के लिये लिखा है और चूंकि आपका पत्र है जिसे आपने पढ़ दिया उस सम्बन्ध में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप ने उनसे केवल सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये कहा या उपाध्यक्षता से इस्तीफा देने के लिये कहा?

श्री राजनारायण—मैंने पत्र में लिखा था "माननीय राम नारायण जी" मैंने उसमें उपाध्यक्ष नहीं लिखा। मैंने उनसे कहा कि अपने सम्मान की रक्षा के लिये आप इस्तीफा दें, उस समय हमारी मन्शा यही थी कि वह उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, इसमें छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उनसे यह कहा कि आप सदन में एक विशिष्ट पद पर आसीन होकर वहां की कार्यवाही संचालित करते हैं तो वहां पर आप की निष्पक्षता में किसी प्रकार की बाधा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह था कि आप सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, तो जो पार्टी की मान्यतायें हैं, जो उसका कार्यक्रम है उसको विधान सभा के सदस्य की हैसियत से आप अवश्य सदन में रखें। इस सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय समिति की हिदायतें हैं और हमें इस संबंध में उनसे कहने का पूरा हक है कि सोशलिस्ट पार्टी के आदेश और कार्यक्रम की आप पूर्ति नहीं कर पाये, चाहे किसी कारण विशेष से वह पूर्ति न कर पाते हों यह तो वही समझते होंगे, वह समझते हों कि चूंकि वह उपाध्यक्ष हैं इसलिये सदस्य होने के नाते जो जिम्मेदारी उन पर आती है उसको पूरा न कर पाते हों तो इस्तीफा दे दें। इसी प्रकार हम माननीय मुख्य मंत्री से भी कह देते हैं कि आप मुख्य मंत्री के पद पर उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं जितना अच्छा कार्य आप लेखक की हैसियत से कर सकते हैं और बाहर रह कर आप जनता का कल्याण कर सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप उदाहरण न दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम आप से भी कह देते हैं कि माननीय आत्माराम गोविन्द खेर अध्यक्ष पद पर रह कर उतना देश का हित नहीं कर पा रहे हैं जितना अधिक हित वह इस पद से हट कर कर सकते हैं ऐसा कहने का हक हमें है.....

श्री अध्यक्ष—इसमें तो लिखा है कि "विधान सभा की आन्तरिक कार्यवाही के संबंध में ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि जब हमने आपसे कहा है कि अपने सम्मान की सुरक्षा के लिये आप इस्तीफा दें"।

श्री राजनारायण—हमने श्री रामनारायण सदस्य से कहा है....

श्री अध्यक्ष—तो अब सफाई हो गई.....

श्री राजनारायण—हमारा मतलब यह था कि वह हमारे यहां के कार्यक्रम में भाग लें और जो यहां पर हमारी पार्टी द्वारा वाक-आउट्स और एडजर्नमेंट मोशन आदि आते हैं उनमें साथ दें, चूंकि हमारी नेशनल कमेटी ने यह हिदायत दी थी कि जब तक स्वस्थ सर्व पार्टियों की राय से परम्परा न बने तब तक सोशलिस्ट सदस्य या उपाध्यक्ष में वह पार्टी के मान्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में भाग लेने पर कोई फरक न करेगी। हमारी पार्टी ने यह चीज पहले से साफ कर दी है। सोशलिस्ट सदस्य होने के नाते हम श्री रामनारायण जी से यह आशा करते थे कि वह सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय समिति के आदेश का पालन करेंगे। उपाध्यक्ष होने के नाते हम ने कुछ नहीं कहा है.....

श्री अध्यक्ष—वह जो आपने कहा कि आप अपने सम्मान की रक्षा के लिये इस्तीफा दें, तो क्या आप के और उनके बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ था ?

श्री राजनारायण—कोई नहीं, सब बात जबानी हुई।

श्री अध्यक्ष—(श्री पालीवाल से) आपको कुछ और कहना है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजनारायण जी से एक बात जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो भेद किया है एक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य और उपाध्यक्ष पद में इस सम्बन्ध में वह जरा यह स्पष्ट कर दें कि किन-किन बातों के बारे में उन्होंने माननीय त्रिपाठी जी से यह कहा कि माननीय त्रिपाठी जी अपने सम्मान की सुरक्षा

क लिये इस्तीफा दे दें। वह दो तीन बातें बता दें तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये निर्णय लेना अधिक आसान होगा कि उन्होंने सदस्य की हैसियत से कहा था या उपाध्यक्ष की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि अब सदन का इस पर ज्यादा समय न लिया जाय क्योंकि उनको अभी वह बातें याद करने में भी समय लगेगा।

श्री राजनारायण—मुझे वह पूरी याद हैं।

श्री अध्यक्ष—आप याद पूरी तरह से कर लें।

श्री राजनारायण—मैं विधान की सब कार्यवाही ले आया हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके नोट कर रखिये और कल मुझे बता दीजिये।

श्री राजनारायण—मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—मुझे निर्णय देना है, जल्दबाजी में मैं कुछ करना नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—शायद पालीवाल जी खुद कहें हमें सुन कर के कि उन्हें कोई एतराज नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—आप बाद में बतला दीजियेगा, उतना समय सदन का बच जायगा।

श्री राजनारायण—उन्होंने तो जब हमसे इस विषय में उनकी बातचीत हुई थी तो कहा था कि "मैं संतुष्ट हो गया हूं"।

श्री अध्यक्ष—यह पालीवाल जी पर आपका दूसरा रिफ्लेक्शन है। खैर, मैं इसे कल लूंगा।

प्रदेश की गम्भीर खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास यह झारखंडेराय जी का कामरोको प्रस्ताव आया है कि "समस्त उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वी अंचल, इलाहाबाद, मिर्जापुर और बांदा जिलों में दिनोंदिन बिगड़ती एवं गंभीर खाद्य-स्थिति, जिसके कारण भुखमरी और अर्द्ध-भुखमरी की दशा उत्पन्न हो रही है, पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है"।

श्री मोतीलाल अवस्थी जी का भी इस तरह का प्रस्ताव है कि "बनारस, गोरखपुर कमिश्नरी, बांदा आदि प्रदेश के अन्य जिलों में खाद्य स्थिति चिन्ताजनक हो गयी है और अन्न संकट बढ़ गया है तथा प्रदेश के कई स्थानों पर खाद्य-स्थिति-जन्य भुखमरी से विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है।

अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है"।

तो जहां तक इसकी अर्जेंसी का सवाल है, क्योंकि यह आदरणीय सदन दो तीन महीने के बाद अब पहली मर्तबा बैठा है और खाद्य की समस्या के सम्बन्ध में बहुत कुछ चर्चा बाहर होती रही है और बड़ी गम्भीर स्थिति है। ऐसा बहुत से लोगों का खयाल है, अखबारों के जरिये से भी और व्याख्यानों के जरिये से भी लोगों ने ऐसी बात कही है; ऐसी परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण और अर्जेंट विषय तो हो जाता है, लेकिन यह बात जरूर है कि श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो आम बहस होगी उसमें यह विषय आ सकता है। लेकिन इस विषय पर काफी समय या पूरी तरह से केंद्रित लक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं, यह शंका का विषय है। यह बात मैं जरूर सोचता हूं कि जितना समय इस विषय की गम्भीरता के हिसाब से सदस्यों के बहस के लिए होना चाहिये वह चूंकि अनेक विषय अभिभाषण की बहस में आयेंगे इसलिए उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर मैं कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं तो दो ही घंटे

[श्री अध्यक्ष---]

मिलते हैं, उससे तो अभिभाषण में ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर कुछ अधिक समय देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यह उचित होगा कि माननीय मंत्री जी अगर इसके लिए एक आध रोज निश्चित कर लें और परिस्थिति बतला दें और उनके वक्तव्य पर विवाद हो जाय---क्योंकि फिर बार-बार यह विषय उठाने का सवाल नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कुछ अनुचित न होगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने खुद फरमाया कि इस मामले के ऊपर ४ दिन तक बहस में जिक्र आ सकता है और जाहिर है कि उसी सिलसिले में हम लोग भी, जो सरकार की नीति इन मामलात में है, जो कुछ हमने किया है और जैसी समस्या है, उसका सब जिक्र करेंगे। उसके बाद अगर आपको यह महसूस होता है कि अभी और ज्यादा तफसीली बहस की जरूरत है तो उसके बाद कोई भी तारीख सलाह-मशविरे से तय हो जायगी, उसके बाद फिर दोबारा भी बहस हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---कार्यक्रम के अनुसार इस पर तो तीन रोज की बहस है। तो तीसरे रोज इसको मैं ले लूंगा, तब तक यह प्रस्ताव स्थगित रहेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विवादार्थ समय बढ़ाने की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज, जैसा कि हमें मालूम हुआ है लेजिस्लेटिव कौंसिल में १०८ ही सदस्य हैं और वहां भी ३ दिन बहस होगी। विषय की गम्भीरता को देखते हुए उन्होंने समय बढ़ाया है और हम ४३० हैं तो मैं यह निवेदन कर दूं कि हमें कुछ दिन और बढ़ा दिये जायं तो यह अनुपयुक्त नहीं होगा। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और अन्य पार्टियों के नेताओं से भी निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप इसके लिये माननीय नेता सदन से बात कर लें। कौंसिल में तो तीन रोज के बजाय दो ही रोज दिये जाते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब तीन दिन हैं। एक कौंसिल के मेम्बर ने बताया था।

श्री अध्यक्ष---कौंसिल के मेम्बर ने बताया होगा, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि दो ही रोज हैं। जब ऐसी परिस्थिति हो कि बढ़ाना उचित हो तो इसके संबंध में माननीय नेता सदन से बातचीत कर लें और यदि यह मालूम हो कि सभी विरोधी पार्टियां उक्त राय में शामिल हैं, तो नेता सदन उस पर विचार कर लेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, गत वर्षों में यही प्रथा थी कि दो दिन बहस होती थी और मेम्बरों को भी याद होगा कि मैंने आप से और माननीय नेता सदन से निवेदन किया था और उस पर यह हुआ था कि अगली बार दो दिन के बजाय तीन दिन बहस होगी।

श्री अध्यक्ष---जब एक दिन बढ़ गया है तो फिर इस सुझाव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

खाद्य स्थिति से संबंधित प्रस्तावों के विषय में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव है क्या इसको फिर से पेश करने की जरूरत होगी या आप स्वयं ही ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष---मैं तो इसको इसीलिये स्थगित रख रहा हूं कि फिर से पेश करने की जरूरत न हो और मैं उसे फिर विचार में खुद ले लूंगा। अगर यह समझा गया कि लोग अपने विचार प्रकट नहीं कर सके तो मैं खुद ही कह दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर एक दिन बहस होगी या तीनों दिन ?

श्री अध्यक्ष---यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

कोपागंज टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ के कम्युनिस्ट चेयरमैन श्री मुस्तफा की हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव का है जो इस प्रकार है कि "गत १३ जुलाई, १९५८ को आजमगढ़ जिला में कोपागंज टाउन एरिया के कम्युनिस्ट चेयरमैन श्री मुस्तफा की राजनीतिक कारणों से निर्मम हत्या कर दी गई है। विरोधी दलों की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये भारी खतरा पैदा हो गया है। शासन का अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग पुलिस का पक्षपात एवं निष्क्रियता भी इसके लिये उत्तरदायी है।

इस महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक बात को लेकर जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः इस पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है"।

इस प्रस्ताव में जो कारण बताये गये हैं और पुलिस पर जो लांछन लगाये गये हैं, वह कोई निश्चित बातें नहीं हैं और इस पर जो कुछ कहना है वह आम बहस में कहा जा सकता है। इसलिये मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि इस पर अधिक समय देने की जरूरत होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष---नहीं, मैंने तो उसे आउट आफ आर्डर रूल किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, मैंने.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप कृपा कर बैठिये।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक कारणों से हत्या हुई है.....

श्री अध्यक्ष---आप बहस में सब कुछ कह सकते हैं कि किन कारणों से क्या हुआ।

जिला उन्नाव में कुछ जूनियर हाई स्कूलों के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब श्री भोखालाल जी का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है कि "अंतरिम जिला परिषद् उन्नाव ने जिले में १३० जूनियर हाई स्कूलों में से ५१ जूनियर हाई स्कूल तोड़ने का फैसला लिया है जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में अध्यापक भी निकाले जा रहे हैं। इन स्कूलों की स्थापना में जिले की तमाम जनता का अपार त्याग व बलिदान शामिल है। स्कूलों के टूटने से सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। परिषद् का यह फैसला जिले की शिक्षा की प्रगति पर एक सख्त कुठाराघात है। परिषद् के इस अप्रिय निर्णय से जिले की जनता, अध्यापकवर्ग व विद्यार्थियों में काफी क्षोभ उत्पन्न हो गया है।

अतः इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है"।

यह भी ऐसा विषय है कि इसके ऊपर आम बहस में कहा जा सकता है।

इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा गृह कर बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री कल्याणचन्द मोहिले का है जो इस प्रकार है कि "इलाहाबाद शहर में नगरपालिका प्रशासक द्वारा गृह कर की दरों की वृद्धि होने से जनता में बहुत असंतोष फैला है जिसका असर वहां की चार लाख जनता पर पड़ा है। इस टैक्स के विरोध में नगर में पूर्ण हड़ताल, सभायें, भूख हड़ताल और प्रदर्शन हुये। अब बढ़े हुये टैक्सों की की वसूली की ओर नगरपालिका अधिकारी अपने कदम उठा रहे हैं जिससे शहर की शान्ति भंग होने की भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाये इस पर विचार करने के हेतु सदन का का कार्य स्थगित करता है"।

यह भी विषय ऐसा है जिस पर यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण की आम बहस में हो सकता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह अवैध है।

सर्वश्री जयेन्द्रसिंह विष्ट, राजाराम अरोड़ा तथा नवाब मुहम्मद इस्माईल के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में ऐसे मौके पर बोलते हुए मैंने कहा था कि मुझे इस साल कई बार सदन के सामने ऐसी बातों की चर्चा करना पड़ता है जिनकी वजह से हम सब लोगों को निश्चय ही दुख होता है। दुर्भाग्यवश वह कड़ी अभी टूटी नहीं। आज भी मुझे सदन के सामने तीन गण्यमान्य व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में जिक्र करना पड़ता है जिनका इस सदन से सम्बन्ध रहा है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट हमारे सदस्य थे। टेहरी राज्य के प्रतिनिधि थे। ४२ वर्ष की उनकी उम्र थी। वह इस सदन में पहले पांच वर्ष तक इंडेपेंडेंट पार्टी के सदस्य के रूप में थे। इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में यहां थे। एम० ए०, एल-एल० बी०, बी० टी० थे। थोड़े दिनों तक उन्होंने टेहरी जिले के एक कालेज में अध्यापन का कार्य किया और अब वकालत कर रहे थे। थोड़ी उम्र थी। काम करने के दिन थे, लेकिन काल ने उनको हम से छीन लिया। वह कुछ दिनों से बीमार थे। यहीं लखनऊ में १० मई को हृदय की गति रुक जाने से उनका देहान्त हुआ।

दूसरे सज्जन जिनका मुझे जिक्र करना है श्री राजाराम अरोड़ा थे। ५३ वर्ष की उनकी उम्र थी। १९२५ में हिन्दू यूनिवर्सिटी से बी० एस-सी० करने के बाद वह सार्वजनिक कामों के क्षेत्र में आये। जेल भी गये। केवल राजनीतिक कामों में नहीं बल्कि सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी कामों में भी उनकी काफी दिलचस्पी थी। इस चुनाव से पहले पांच वर्ष तक वह दूसरे सदन में, कौंसिल के सदस्य थे। फिर उसके बाद इस सदन के सदस्य हुए थे। कुछ दिनों से बीमार थे। थ्राम्बोसिस आफ दि हार्ट की शिकायत थी, परन्तु बीमारी में भी वह जहां तक सम्भव था शरीर से, सार्वजनिक कामों में दिलचस्पी लेते रहे। उनका भी इसी लखनऊ में १८ मई को देहान्त हुआ।

तीसरे सज्जन जिनका जिक्र मुझे करना है वह नवाब मुहम्मद इस्माईल साहब थे। हमारे जो माननीय सदस्य इधर १९४६ के बाद इस सदन में आये हैं उनको तो शायद नवाब इस्माईल साहब से निजी रूप से परिचय का मौका नहीं होगा। लेकिन जो लोग पहले रह चुके हैं वह उनसे जरूर परिचित होंगे। नवाब इस्माईल उस वक्त राजनीतिक क्षेत्र में आये जब कि खिलाफत का आन्दोलन चला। थोड़े दिनों तक कांग्रेस में रहे। उसके बाद वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुस्लिम लीग में चले गये। मुझको भी इस सदन में १९३७ से लेकर १९३९ तक उनके साथ काम करने का मौका पड़ा है। राजनीतिक मतभेद चाहे किसी से भी कुछ रहा हो लेकिन उनकी शराफत के सभी लोग कायल थे। वह उस तहजीब, उस संस्कृति के प्रतीक थे जिस पर हम उत्तर प्रदेश वालों को गर्व है। राजनीतिक कारणों से अलग रहने पर भी, सभी लोगों के साथ, मेरठ जिले में और यों भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। जैसा मैंने निवेदन किया मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े प्रमुख सदस्य थे, उसके आल इंडिया नेताओं में थे, लेकिन यह खुशी की बात है कि जब देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया बल्कि यहीं भारत में रह गये। ७५ वर्ष की आयु में २८ जून को उनका देहान्त हो गया।

ये सभी सज्जन अपना परिवार छोड़ गये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप हम सब लोगों की समवेदना उनके दुखित परिवारों के पास पहुंचाने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख है कि आये दिन इस सदन में हमें अनेक साथियों की याद में, जो संसार छोड़ कर चले जाते हैं श्रद्धाञ्जलि अर्पित करनी पड़ती है। श्री जयेन्द्रसिंह जी विष्ट की असामयिक मृत्यु, जिसका स्वप्न में भी किसी को गुमान नहीं हो सकता था, उससे इस आदरणीय सदन की ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की बड़ी हानि हुई है। मुझे उनको जानने का अवसर थोड़े समय से प्राप्त हुआ था किन्तु कोई भी व्यक्ति जो उनके सम्पर्क में आता था एक विशेष प्रकार का असर और छाप विष्ट जी की उसके हृदय पर पड़ती थी।

श्री राजाराम जी अरोड़ा, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त था कि मेरी उनसे बहुत समय से बड़ी गाढ़ी मित्रता रही। राजनीतिक मतभेद होते हुये भी मेरे और उनके सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं आया। जब मुझे उनके निवास-स्थान अतरौली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने अपने साथियों से यह कहा कि राजाराम जी के यहां ठहरूंगा। राजाराम जी को कोई इत्तला नहीं थी कि मैं वहां जा रहा हूं। वह उस दिन वहां पर उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे मिल कर और पत्र द्वारा भी जिस खुशी का इजहार किया उससे मेरे मन पर एक विशेष प्रभाव पड़ा। वह बड़े ही संजीदा, नरमदिल और भलमनसाहत के नमूना थे। किसी से कितना ही मतभेद क्यों न हो वह कड़वी बात कभी नहीं कहते थे और न मैंने इस २५ साल की मित्रता में उनको कभी कड़वी भाषा का प्रयोग करते देखा। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। उनके निधन से हमारे प्रान्त से एक पुराना योग्य समाजवादी उठ गया।

नवाब इस्माईल के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हूं। नवाब साहब एक अपने ढंग के व्यक्ति थे और अपना सानी नहीं रखते थे। मुस्लिम लीग में होते हुए भी कभी ऐसी बात नहीं कहते थे जिससे किसी के हृदय पर चोट पड़े। देश के बटवारे के समय से वह राजनीतिक जीवन से बिल्कुल अलग हो गये थे और अपना समय परमात्मा की याद में गुजारते थे। थोड़े दिन पूर्व की बात है मुझे नवाब साहब की सेवा में हाजिर होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बातचीत के दौरान मैंने यह देखा कि कितनी ही तकलीफदेह बात क्यों न हो, लेकिन उसकी वजह से नवाब साहब के दिल में किसी के प्रति नाराजगी नहीं होती थी। वह मुझसे कहते रहे कि दरम्यानी सूरत में यह तकलीफें होती हैं, कोई घबड़ाने की बात नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की करेगा और लगन के साथ, जुटे रहने की, सतत प्रयत्न करने की जरूरत है। आज भी उनके वह शब्द मुझे याद हैं। नवाब साहब हमारे सूबे के प्रमुख व्यक्तियों में थे। वह इस असेम्बली के मेम्बर रहे और सेन्ट्रल असेम्बली के भी मेम्बर रहे और जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, उनका कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा गहरा सम्बन्ध था। उनके न रहने से हमारे प्रदेश की एक विशेष क्षति हुई है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सदन में इस तरफ के बैठने वालों की ओर से, मेरी ओर से जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं उन्हें सन्तप्त परिवार वालों के पास तक पहुंचा देने की कृपा करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय जयेन्द्रसिंह विष्ट, राजाराम जी और नवाब इस्माईल खां, इन तीन दिवंगत आत्माओं के सम्बन्ध में सदन के नेता और नेता विरोधी दल ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं। इन तीनों में से जयेन्द्रसिंह जी विष्ट को तो व्यक्तिगत रूप से जानने का मुझे सौभाग्य और सुअवसर अधिक नहीं मिला, लेकिन मैं राजाराम जी और नवाब साहब को अच्छी तरह से जानता हूं। बरसों तक वह दोनों ही, चाहे विरोधी कैम्पों में होने की हैसियत से या साथी होने की हैसियत से, मेरे साथ रहे और राजाराम जी कांग्रेस कार्यकर्ता होने की हैसियत से जब तक मैं कांग्रेस में था, बराबर साथ थे और उनके जो गुण माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बताये हैं, मैं जानता हूं, वह सही हैं। नवाब इस्माईल खां साहब जिस समय मुस्लिम लीग के प्रेसीडेंट थे उस समय मैं कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट था, और इस नाते हम लोगों की जानकारी भी होती थी और विरोध भी होता था और इसके अलावा केन्द्रीय असेम्बली में भी मैं और वह दोनों बहुत समय तक साथ-साथ सदस्य रहे और सौभाग्य से फीरोजशाह रोड पर नम्बर ५ के बंगले में मैं रहता था और उसके पास ही नम्बर ३ के बंगले में वह रहते थे और इस तरह से मुझे उनको नजदीक से जानने का और उनके पास रहने का सुअवसर मिल चुका है। मैं इन तीनों के सम्बन्ध में इस प्रार्थना को दोहराता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से और सदन की ओर से जो शोकोद्गार और हृदय की भावनाएं हमने प्रकट की हैं उनको उनके परिवारवालों के पास पहुंचा दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जयेन्द्रसिंह जी विष्ट, जिनकी असामयिक मृत्यु १० मई को हुई, के निधन से निश्चय ही हम सब लोगों को महान दुख है। एक ४२ वर्ष का नवयुवक एकाएक काल के गाल में चला जाय इससे प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति का दुखित होना अनिवार्य होता है। श्रीमन्, उनके गुणों से मैं जितना परिचित था उसको देखते हुए मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि उनके निधन से हमारा भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश का भी नुकसान हुआ और देश का भी। इनका दुखी परिवार इनके निधन के कष्टभार को वहन करने की शक्ति रखे, यही हमारी आशा और अभिलाषा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी और हमारे दल की ओर से उनके दुखी और सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदना और सहानुभूति भेजने की कृपा करें।

श्री राजाराम जी अरोड़ा के सम्बन्ध में मुझे विशेष जानकारी है। यह उस महान् शिक्षा संस्था से आये हैं, काशी विद्यापीठ से, जिससे मैं भी आया हूं और जहां का मैं भी स्नातक हूं। उनके सरल स्वभाव और मृदुभाषिता के लिये जो कुछ अन्य नेताओं ने कहा, मैं उसके समर्थन में हूं। मुझे जिस समय उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ, उस समय मैं अलीगढ़ जाने के लिये रास्ते में ही था। उस समय यकायक हमारे पास जब यह समाचार आया तो निश्चय ही हमें बहुत दुख हुआ। उनके सम्बन्ध में मेरी यही भावना है कि उनके परिवार को और उनसे सम्बन्धित लोगों को शक्ति प्राप्त हो कि उनकी मृत्यु के कष्ट को वहन कर सकें। हमारी और हमारे दल की ओर से सहानुभूति के यह उद्गार आप उनके पास भेजने की कृपा करें।

नवाब इस्माईल साहब के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री, त्रिलोकीसिंह जी और पालीवाल जी ने जो उद्गार प्रकट किये, मैं अपने को उनके साथ रखता हूं। सही है कि निजी तौर पर मैं उनसे कोई विशेष जानकारी नहीं रखता था परन्तु जब कि अनुभवी लोगों की आवश्यकता हमारे देश को अधिक हो उस समय उनके उठ जाने से हम सबको दुख होता है। इसलिये हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी समवेदना और सहानुभूति के उद्गार उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मान्यवर, श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट, राजाराम जी तथा नवाब मुहम्मद इस्माईल साहब के निधन पर नेता सदन, त्रिलोकी सिंह जी,

राजनारायण जी तथा पालीवाल जी ने जो बातें कहीं उनसे हम अपने को सम्बद्ध करते हैं और जनसंघ की ओर से तथा अपनी ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त तथा दुखी परिवारों को हम सबकी समवेदना भेजने का श्रीमन् कष्ट करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जयेन्द्रसिंह जी विष्ट को जानने का सौभाग्य मुझे पिछले ६ साल से हुआ और मरने के ५ दिन पहले ही मैं उनसे मिला था। उनके स्वास्थ्य की हालत देख कर मुझे यह बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वह ५ ही दिन में हमारे बीच से उठ जावेंगे, उनको भी ऐसा विश्वास नहीं था। उनके स्वास्थ्य में पिछले कुछ महीनों में काफी सुधार हो चुका था और हम सब लोगों को आशा थी कि वह हमारे बीच में फिर जनता की सेवा करने के लिये आ जावेंगे। सदन में जिस प्रकार से वे अपने विचार रखते थे उनसे उनका स्वभाव तथा सौजन्य दिखाई पड़ता था। जिस युवावस्था में वे गुजरे हैं ऐसी मौतें बहुत दुखदायी होती हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी सद्भावनायें और सहानुभूति आप उनके परिवार तक पहुंचा दें।

जहां तक कि राजाराम जी और नवाब मुहम्मद इस्माईल का सम्बन्ध है, मेरा उनसे निजी तौर पर कोई विशेष सम्बन्ध तो नहीं था लेकिन अरोड़ा जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पत्रों द्वारा या अपने मित्रों के द्वारा प्राप्त होती रही थी। मैं उनके गुणों को मानता हूं। माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं प्रकट की हैं मैं उनसे अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी भावनाएं आप उनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। नवाब साहब हमारे प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों में से थे। विचारों में अन्तर हुआ ही करता है लेकिन उनके गुणों के विरोधी लोग भी कायल थे। विभिन्न वर्गों में स्वार्थ की लड़ाई से विचारों में फर्क होना स्वाभाविक है, परन्तु उनकी याद करते हुये मैं चाहूंगा कि आप मेरी और हमारी पार्टी की ओर से उनके परिवार को समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री राजाराम जी अरोड़ा तथा नवाब मुहम्मद इस्माईल के निधन पर नेता सदन, विरोधी दल के नेता तथा अन्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, जो दुख और सहानुभूति और समवेदना प्रकट की हैं, जो भाव प्रकट किये हैं, उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट तो बहुत ही अल्प आयु के थे, नौजवान थे और पिछले ६ वर्षों से मेरा और उनका परिचय हुआ जब कि वह इस आदरणीय सदन के सदस्य हुये। उनके यहां व्यक्त विचारों से मैं कह सकता हूं कि वह बड़ी जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ बोलते थे। माननीय नेता सदन ने उनके और भी कार्यों के विषय में उनके सार्वजनिक और सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्धित जो कार्य थे, उनके बारे में जिक्र किया। ये सभी गुण जिस नवयुवक में हों उनका स्वर्गवास इतनी कम आयु में हो जाना बड़े दुख की घटना है। मैं उनकी बीमारी के दौरान में उनसे मिलता था। कभी-कभी मैं बलरामपुर अस्पताल जाता हूं अपना वजन तुलवाने के लिये, क्योंकि मैं भी बीमार रहा। वह मुझसे भी सलाह पूछते थे कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाय। मैंने देखा कि बलरामपुर अस्पताल में उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था। मैं शायद पिछली मई के प्रथम सप्ताह में उनसे मिला हूंगा, फिर दौरे पर चला गया। यकायक १० मई को मेरे वापस आने पर मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैं समझता था कि वह अच्छे होकर फिर सदन में आवेंगे। यह बड़े दुख की घटना हुई। उनके कुटुम्ब के प्रति सदन की समवेदना मैं पहुंचाऊंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस महान् दुख को सहन करने की शक्ति दे और उस महान् आत्मा को शांति दे।

[श्री अध्यक्ष]

राजाराम जी अरोड़ा का भी निधन अल्प अवस्था में ही हुआ, क्योंकि ५३ वर्ष की कोई ऐसी अवस्था नहीं थी कि जिसे कहा जाय कि वे बहुत बूढ़े थे। उनको थ्राम्बासिस की बीमारी थी। मुझे भी कई बार उन्होंने सलाह दी थी कि वह किस तरह से अच्छी होती है। उनके बताये हुये मार्ग से मुझे लाभ भी हुआ। वह हर एक के दुख में सदैव शामिल होते थे। जब हमारी पार्टी में वह सेक्रेटरी रहे मैं देखता था कि वह सब की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न किया करते थे। बड़े दिल के मुलायम, हरदिलअजीज और मिलनसार व्यक्ति थे। राजनीतिक क्षेत्र में जितने हमारे आन्दोलन हुए, उन्होंने उनमें भाग लिया। वे शैक्षणिक संस्थाओं तथा सामाजिक संस्थाओं में भी काम करते थे। विरोधी दल के नेता ने उनके लिये जो बात कही, उससे बढ़ कर और क्या ऊंचाई की बात हो सकती है कि उनके साथ मतभेद-होते हुए भी ऐसा एक दूसरे को लगता था कि वे एक ही कुटुम्ब के हों। आजकल विरोधी दलों के व्यक्तियों में ऐसी सद्भावना की बहुत कमी है। राजनीतिक मतभेदों में, अगर थोड़ा सा भी मतभेद हो जाता है तो हम एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं, लांछन लगाने लगते हैं। दूसरे दल वालों की बात ही दूर रही अगर अपने दल वाला भी अगर दूसरे गुट में हो और कोई गुटबन्दी हो जाती है तो भी बहुत सी बुरी-भली बातें एक दूसरे के बारे में कही जाने लगती हैं। जब ऐसी बातें समाज में पैदा हो रही हों और एक आदमी उनसे ऊंचा उठ कर विरोधी दल के लोगों से ऐसी आत्मीयता पैदा कर ले, इससे बढ़ कर उनके बारे में और कोई उदारता और ऊंचाई का प्रमाण नहीं हो सकता। ऐसे महान व्यक्ति के जाने से, मैं समझता हूं, दुख होना स्वाभाविक ही है। उनके कुटुम्ब के प्रति जो समवेदना और सहानुभूति इस आदरणीय सदन में व्यक्त की गयी है, उसको मैं उनके पास भेज दूंगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके कुटुम्ब को वह शक्ति और दृढ़ता दे जिससे वे इस महान दुख को सहने में समर्थ हो सकें।

नवाब मुहम्मद इस्माईल से मेरा दो, ढाई साल का सम्पर्क रहा। वे इस आदरणीय सदन के सदस्य थे और हम लोग भी थे। सन् १९३६–३७ में मैं इस सदन का सदस्य होकर आया था और उनको मैंने श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के कमरे में आते हुए, बैठे हुए और बातचीत करते हुए देखा था। चाहे कोई कांग्रेस वाला हो या और दल का हो, वे सब से बड़े प्रेम के साथ बातचीत करते थे। मुस्लिम लीग में होते हुए भी वे हर विषय पर हर दल के लोगों से प्रेम से बातचीत करते थे। इस आदरणीय सदन में भी जो तकरीरें उनकी होती थीं, उनमें भी मैंने कभी कटुता नहीं देखी। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा वे इस प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति और खासतौर पर लखनऊ की जो शराफत मशहूर है, उसके एक उच्चकोटि के नमूना थे जो उनके बर्ताव और चरित्र दोनों में दिखायी देता था। ऐसे साथी के अपने बीच में से चले जाने पर दुख ही हो सकता है। अगर कुछ और समय वे जीवित रहते तो हमारे प्रदेश का और भी हित होता। उनके कुटुम्बियों के प्रति जो समवेदना इस सदन द्वारा प्रकट की गयी है, उसको उनके परिवार वालों तक पहुंचा दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महान दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे।

अब हम तीनों दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट के लिये खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के हिन्दी रूपान्तर का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पठन

श्री अध्यक्ष—नियम के अनुसार श्री राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ने का कायदा है कि मैं उसको सदन क सामने पढ़ कर सुना दूं और इसका यही साधारण रीति से तरीका रहा है कि मैं

पहले कुछ वाक्य और अंतिम कुछ वाक्य पढ़ दिया करता हूं। मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य के पास हिन्दी की प्रति मिल चुकी होगी और कुछ लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा और कुछ लोग कल तक अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। लेकिन कार्यवाही में यह अभिभाषण पूरा छप जायगा और यह माना जायगा कि मैंने इसको पढ़ कर सुना दिया। तो मैं प्रथानुसार पहले पहला उसका पैराग्राफ पढ़ देता हूं—

"विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान मंडल के सदस्य गण, अपने अभिभाषण को प्रारम्भ करते हुए मैं विधान मंडल के माननीय उपस्थित सदस्यों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं हिन्दी बोलने में असमर्थ हूं। इस असमर्थता के रहते हुए भी मेरी सदैव उत्कट इच्छा रही है कि हिन्दी ही जन-साधारण की भाषा होगी।

अपना वर्तमान पद-भार सम्हालने के बाद पहली बार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिये इस समय यहां उपस्थित होना मेरे लिये बड़े सम्मान और गौरव का विषय है। मुझे विशेष हर्ष है कि इसके पहले मुझे राज्य के विभिन्न स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जहां पर मेरी भेंट विभिन्न जीवन-वृत्तियों वाले व्यक्तियों से हुई। इस राज्य की प्रत्येक वस्तु से, इसकी बहुमुखी एवं संपन्न परम्परा और संस्कृति से सम्बद्ध होने का मुझे वास्तविक गर्व है।

कुछ और कहने से पहले मुझे विधान मंडल के माननीय सदस्यों से क्षमा मांगनी है। इस अवसर पर सदन को अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में संबोधित करने में मुझे सर्वाधिक हर्ष होता। किन्तु अभाग्यवश भरसक कोशिश करने पर भी मुझे इसके लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं हो पायी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण मेरी कठिनाई को समझेंगे तथा बहुत कुछ चाहते हुये भी हिन्दी में अभिभाषण के लिये मेरी असमर्थता के लिये मुझे क्षमा करेंगे।"

और अब अन्त का पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं—

"भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। लोक-कल्याण राज्य की रूप रेखा धीमे-धीमे और दृढ़ता के साथ प्रकट हो रही है, किन्तु हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमने अपने ऊपर योजना के रूप में बहुत बड़ा कार्यभार ले रखा है, किन्तु हमारे साधन सीमित हैं। कमियों तथा गलतियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तथापि हम यह समझ कर संतोष कर सकते हैं कि कभी भी किसी मानवकृति में दोषों का पूर्ण परिहार संभव नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है मुझे अंतिम सफलता के विषय में कोई शंका नहीं है। हमारा पथ कठिन और बाधापूर्ण हो सकता है। किन्तु यदि हम सब भेदभाव भुलाने का निश्चय कर लें और देशवासियों में उत्साह उत्पन्न करने का सम्मिलित प्रयास करें, जिससे कि वे हमारी योजनाओं में पूर्णरूप से सहयोग दें, तो हमारी सफलता निश्चित है। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि अपने कार्यकलापों में हमने लोकतंत्रात्मक पद्धति का अनुसरण किया है और साम्यवादी समाज की स्थापना की ओर हमारी प्रगति हमारी जनता की पूर्ण सहमति और योगदान से ही होगी। हम किसी प्रकार के अतिनियंत्रण (regimentation) अथवा मताग्रह (dogma) का उपयोग ठीक नहीं समझते। मेरे मुख्य मंत्री ने कई बार आप लोगों से अपील की है कि जहां तक लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रश्न है एक प्रकार का समझौता हो जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि आप अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके अपना पूरा समर्थन प्रदान करेंगे तथा उनकी अपील को हृदय से स्वीकार करेंगे। हमारे सम्मुख एक महत्वपूर्ण कार्य है और संयुक्त प्रयास से ही हम आत्मनिर्भरता, आत्म-विश्वास तथा निष्ठा की भावना जन-साधारण में उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, परिपक्व बुद्धि, गम्भीर विचार-विमर्ष तथा प्रगाढ़ देश-प्रेम से लोक-कल्याण में अधिकतम योगदान करते रहेंगे। आपके प्रयत्न सर्वदा सफल हों।

जय हिन्द।"

सर्वश्री रामप्रसाद देशमुख, नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ तथा बलदेव सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—गत सत्र के समाप्त होने के उपरान्त और वर्तमान सत्र के आरम्भ होने तक श्री रामप्रसाद देशमुख, श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ तथा श्री बलदेव सिंह की गिरफ्तारी आदि की सूचनाएं जिलाधीश, अलीगढ़ और गोंडा से प्राप्त हुई हैं। इन गिरफ्तारियों से संबंधित सूचनायें विधान सभा के सदस्यों को पत्र द्वारा पहिले ही दी जा चुकी हैं। लेकिन मैंने यह सूचना और इस वक्त भी दे दीं हैं।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष—अब सचिव, विधान सभा, कुछ विधेयकों के बारे में जो कि अधिनियम बन गये हैं, घोषणा करेंगे।

सचिव, विधान सभा—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ अप्रैल, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ६ अप्रैल, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १२ अप्रैल, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ अप्रैल, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ६ अप्रैल, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३ मई, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० फरवरी, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ मार्च, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ८ मई, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३ अप्रैल, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अप्रैल, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ८ मई, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ फरवरी १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २५ मार्च, १९५८ की की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १५ मई, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया।

यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम० बी० आर०ए०एम०-१०-२९७१(३)टी-एम/३०-४८६२-टी-५७, दिनांक १० फरवरी, १९५८ ई०, संख्या एम०बी०आर०ए०एम०१२-३३१२-टी०एम०/३०-४८५९- टी-५६, दिनांक २७ मार्च, १९५८ ई०, तथा संख्या एम०बी०आर०ए०एम० ११-३२९६(३) टी०-एम०-३०-४८७२-टी-५७, दिनांक २७ मार्च, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर नियमावली, १९५७ में माल(ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५४२/१-स-४०५-सी-५७, दिनांक २३ अप्रैल, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—मैं उत्तर प्रदेश पंचायतराज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या यू० ओ० ११४५-प/३३-२५ ५६९-५७, दिनांक ८ मार्च, १९५८, संख्या ५६९२-प/३३-२(१८) (१)-५७, दिनांक मार्च, १९५८, संख्या १२७८-प/३३-२३१-५७, दिनांक २७ मार्च, १९८५, संख्या ५७३०-प/३३-७२३-५७, दिनांक ३१ मार्च, १९५८, तथा संख्या २५१३-प/३३-६२५-५७, दिनांक ८ मई, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*फाइनेन्स एकाउन्ट्स आडिट रिपोर्ट १९५५-५६ ऐण्ड दि आडिट रिपोर्ट १९५६ तथा ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स १९५५-५६ ऐण्ड दि आडिट रिपोर्ट १९५७, पार्ट २

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं फाइनेंस एकाउन्ट्स १९५५-५६ ऐण्ड दी आडिट रिपोर्ट १९५६ तथा एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५५-५६ ऐण्ड दी आडिट रिपोर्ट १९५७, पार्ट २, को सदन की मेज पर रखता हूं।

---

* छापे नहीं गये।

*उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अध्यादेश, १९५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--मैं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मैं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

*सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--मैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

*गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ पर संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदनार्थ अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

"कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ निर्दिष्ट किया गया था कि वह २०-१-५८ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। ३ फरवरी, १९५८ को सदन के निश्चयानुसार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि ४ महीने और बढ़ा दी गयी थी जो २० मई, १९५८ को समाप्त हो गयी। कुछ कारणवश समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है। अतः समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अवधि दुबारा ४ महीने के लिये और बढ़ा दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने यह निश्चय किया कि कुछ सज्जनों की राय उस बिल के सिलसिले में ले ली जाय। इसलिये आज उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी और समिति ने ही यह भी निश्चय किया था कि ४ महीने की और अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया जाय, उसकी इजाजत ली जाय।

श्री अध्यक्ष--श्री जगन्नाथ लहरी जी का पहला संशोधन है। उसके बारे में मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा कि अवधि के बारे में जो संशोधन है कि उसे और ४ महीने बढ़ा दी जाय, उसकी जगह आप चाहते हैं कि वह ४ दिन ही और बढ़ा दी जाय। यह आपका संशोधन है। यह जो आपका संशोधन है यह अवैध है क्योंकि २० मई तक तो इसकी मियाद थी तो आपके संशोधन के अनुसार वह २४ मई को ही समाप्त हो जावेगी इसलिए आपका संशोधन उल्टी गंगा बहाने वाला संशोधन है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता वह निरर्थक है।

---

*छापे नहीं गये।

दूसरा प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत यादव जी का है। वह भी ४ महीने की जगह १५ दिन मियाद बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें भी ५ जून को समय समाप्त हो जाता है। २० मई से १५ दिन ५ जून को समाप्त होते हैं। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---मेरा मंशा है ४ दिन और बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---तो आपको सोच समझ कर प्रस्ताव का अर्थ क्या निकलता है, समझ लेना चाहिये था। इसलिये यह आपका संशोधन गिर गया।

तीसरा संशोधन जो है यह गोविन्द सिंह विष्ट जी का है। यह इस प्रकार है कि "बिल ही विदड्रा कर लिया जाय"

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में जांच करते हुये ऐसा देखा कि जो वर्तमान परिस्थिति कुमायूं में है उसके बिल्कुल प्रतिकूल यह विधेयक है। प्रवर समिति में जो वोटिंग हुई उसमें बिल के बारे में तो यह हुआ चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य था या अपोजीशन का था·····

श्री अध्यक्ष---यह तो आपके सामने प्रस्ताव और रखा है कि इसकी मियाद ४ महीने बढ़ा दी जाय। अगर आप समझते हैं कि यह पारित न हो तो जब यह विधेयक प्रवर समिति से सदन में वापस आये तब आप उसका विरोध कर सकते हैं।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---सदन का अधिक समय क्यों लिया जाय, आप थोड़ा सा·····

श्री अध्यक्ष---मैं असंगत नहीं होने दूंगा, आप कृपया बैठ जायं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जरा देखा जाय कि इसकी अवधि २० मई, सन् ५८ को समाप्त हो गई। प्रस्तावक महोदय ने यह नहीं कहा कि २० मई से चार मास की अवधि और बढ़ा दी जाय। तो जिस दिन यह प्रस्ताव आ रहा है उस दिन से उनका आशय है कि ४ मास की बढ़ा दी जाय। आज वह प्रस्ताव लाये हैं और कह रहे हैं कि समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये दोबारा ४ मास की अवधि और बढ़ा दी जाय। आप जरा इसको स्पष्ट कर दें·····

श्री अध्यक्ष---यह तो स्पष्ट है कि जो अवधि आप ने पहले दी थी वह २० मई तक थी। अब जब वह समाप्त हुई उससे ४ मास की वह और चाहते हैं तो मतलब साफ है कि जब अवधि समाप्त हुई उससे ही ४ मास लिये जायेंगे, यही इसका अर्थ है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठता है कि वह अवधि तो २० मई को समाप्त हो गई और प्रस्ताव आ रहा है आज तो क्या ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो रिट्रासपेक्टिव एफेक्ट से हो? हम तो चाहते हैं कि यह बिल जल्द ही पारित हो और मैं इसके सिद्धांतों से भी सहमत हूं···

श्री अध्यक्ष---आप इसका विरोध कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि २० मई से २ मास और ५ रोज की अवधि बढ़ाई जाय तो यह परसों तक ही पारित हो सकता है लेकिन रिट्रासपेक्टिव एफेक्ट देने का सदन को पूर्ण अधिकार है, वह दे या न दे। यहां तक कि आप जिस विधेयक को पारित कर के अधिनियम बना सकते हैं उस तक के बारे में सदन यह तय कर लेता है कि फलां धारा का यह अर्थ समझा जायगा, हालांकि वह पहले दूसरी शक्ल में पास हो चुकती है। क्योंकि वह मियाद सदन के न बैठे रहने के समय समाप्त हो गई, इसलिये अब बैठने पर सदन को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने का पूर्ण अधिकार है, आप रात को दिन और दिन को रात भी तो कह सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि जो स्पष्टीकरण श्री राजनारायण जी ने मांगा है उसके उत्तर में आपने कहा कि इसके माने निश्चित रूप से यही हैं कि इसकी अवधि २० सितम्बर तक पूरी हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जी हां, २० सितम्बर तक का समय होता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं तो असल में इस प्रस्ताव में संशोधन करना चाहता था लेकिन कुछ इस तरह का कनफ्यूजन मालूम हुआ कि जिसकी वजह से संशोधन तो मैं उपस्थित नहीं करता लेकिन मैं अपनी भावना को जरूर रखना चाहता हूं। यह बिल काफी दिन से प्रवर समिति के सामने विचार के लिये मौजूद है और मुझे जहां तक जानकारी है और जिन कारणों का जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया कि गवाही आदि अभी लेना है और कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनके लिये समय की आवश्यकता है। उसी समिति ने शायद यह भी निर्णय किया था कि प्रवर समिति शायद उन इलाकों में कुछ दिन के लिये जाने का कष्ट करे और जो भिन्न-भिन्न मत हैं उनको जानने का कष्ट करे और जो कमियां वहां के हालात को देखते हुये विधेयक में हों उनको दुरुस्त कर दिया जाय। यह मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने यह फैसला कर लिया कि बाहर नहीं जायेंगे, तो यह दिक्कत उनके लिए थी।

श्री अध्यक्ष---देखिये प्रवर समिति की जो बातचीत है वह गुप्त रहती है, उसका जिक्र नहीं होना चाहिये।

श्री चरणसिंह---जो बात मेरे सिलसिले में कही जा रही है कि मैं इस वजह से नहीं गया और मैंने इरादा बाहर जाने का नहीं किया था इसलिए कमेटी के इस निश्चय का विरोध किया, यह बात भी गलत है। बिना मेरे दरियाफ्त किये....

श्री अध्यक्ष---मैं इसका जिक्र आने नहीं दूंगा। आप अपनी बात-चीत बाहर कीजिये।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि इस विधेयक को जल्दी पास होना चाहिए था। मैं इस अवसर पर यह अवश्य आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस समय मैं नहीं जानता हूं कि इसकी क्या आवश्यकता है। अनेक प्रकार के कानून जमीन के जारी हैं, एक प्रकार का कानून जारी नहीं है। जौनसार बावर का कुछ और है, तराई भाबर का कुछ और है, कुमायूं का कुछ और है, गवर्नमेंट स्टेट्स का कुछ और है।

श्री अध्यक्ष---यह तो असंगत है। जिस वक्त आपके सामने बिल आयेगा तब आप कहेंगे। आप तो समय के बढ़ाने के बारे में जो आपका विचार है वह कहिए।

श्री गेंदासिंह---मैं वही कह रहा हूं। मैंने संकेतमात्र कह दिया कि इस प्रकार के कानून हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस माननीय सदन ने यह उचित समझा कि कुमायूं के लिए जल्दी से कोई बिल ऐक्ट का रूप धारण कर ले ताकि जो असमंजस में लोग पड़े हुए हैं वह असमंजस दूर हो। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस कानून के बनाने के सिलसिले में खेतों की छीना-झपटी होती है और संकल्प-विकल्प में जमींदार और काश्तकार रहते हैं और हर एक अपने मन से विधेयक के भिन्न अर्थ लगाया करता और सोचा करता है कि इसमें अमुक परिवर्तन हो जायगा और इस तरह से जो जोरदातर आदमी होता है वह कमजोरों के ऊपर हमला करके जमीन छीनने की कोशिश करता है। यह मैं मानता हूं कि जमीन न छीनी जाय, इसके लिए हजार चेष्टाएं की गयीं, लेकिन पिछले कानून के बनने के वक्त से लेकर कानून के लागू होने के वक्त तक जो हमारे सारे प्रदेश में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है वह पहाड़ों में भी हो रहा है। इसलिए मैं बहुत अदब से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी कानून बनाना हो उसको जल्दी से जल्दी विधेयक से ऐक्ट का रूप दे देना चाहिए ताकि लोग संकल्प-विकल्प से निकल कर एक जगह खेती-बाड़ी कर सकें और अन्न उपजाने की कोशिश कर सकें।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक, १९५७ की प्रवर समिति के लिए ४ मास का समय बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि सन् १९५२ से इस सदन में कुमायूं की जमींदारी समाप्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। १९५६ में इस आदरणीय सदन के सम्मुख कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक प्रस्तुत भी हुआ और ४ सितम्बर, १९५७ को विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास करके इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, जिसे यह अधिकार दिया कि अधिक से अधिक २० जनवरी तक वह अपना प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दे। २२ सितम्बर, १९५७ को विधान परिषद् ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया। २७ सितम्बर को सरकारी सूचना भी इस सम्बन्ध में निकल चुकी थी, परन्तु हमें दुःख है कि २० जनवरी, १९५८ तक जो समय आदरणीय सदन और विधान परिषद् में प्रवर समिति को दिया गया था उसमें सदन के निश्चय की पूर्ण अवहेलना करते हुए विधेयक के एक भी क्लाज के ऊपर विचार तक नहीं किया गया बल्कि अन्य बातों में अपना समय व्यतीत किया गया। फिर ३ फरवरी, १९५८ को पुनः इस आदरणीय सदन के सम्मुख एक प्रस्ताव आदरणीय माल मंत्री ने प्रस्तुत किया जिसमें यह मांग की कि प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये चार मास का समय और दिया जाय। जहां तक मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला है मैं यह कह सकता हूं कि ५ मार्च, १९५८, ५ मई, १९५८ और २० मई, १९५८, इन तीन दिन को ही प्रवर-समिति की बैठक हुई और प्रवर समिति ने यह विधेयक जो कि ५० धाराओं का एक छोटा सा विधेयक है इसकी एक भी धारा पर विचार नहीं किया बल्कि विश्वस्त सूत्र से जो मुझे सूचना मिली है उसके आधार पर बतला रहा हूं—सबसे पहले कुछ सदस्यों ने तो यह प्रस्ताव पेश किया कि आदरणीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जो कि भारत सरकार में गृह मंत्री हैं उनको गवाही देने के लिए प्रवर समिति में बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह अन्दर की बातें हैं, उनको आप यहां नहीं कह सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं वापस लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ५० धाराओं के इस विधेयक की एक भी धारा पर इन १० महीनों के अन्दर प्रवर समिति ने विचार नहीं किया बावजूद इसके कि नगर निगम विधेयक जो जून १९५७ में इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और जो एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था, जिसमें ५७६ धारायें थीं उसने जैसा कि इसमें लिखा है "दिस बिल वाज कंसीडर्ड क्लाज बाई क्लाज" एक एक धारा पर विचार करके तीन महीने के अन्दर ही सितम्बर में इस आदरणीय सदन के सम्मुख अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि नगर निगम विधेयक जो कि ५७६ धाराओं का है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस असेम्बली के इतिहास में आज तक इतना बड़ा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया उसकी प्रवर समिति ने तो अपना प्रतिवेदन तीन महीनों में ही सदन में प्रस्तुत कर दिया लेकिन एक ५० धाराओं वाले विधेयक पर, जो कि कुमायूं जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में है, ९-१० महीने के अन्दर भी हमारी प्रवर समिति विचार नहीं कर सकी और उसे चार महीने के समय की अभी और आवश्यकता है। श्रीमन्, हमारे देश में गोआ आदि में जो विदेशी शासन है और जिसके बारे में हम बार-बार मांग करते हैं कि विदेशी शासन हमारे यहां से समाप्त हो जाना चाहिये लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे देश के प्रधान मंत्री को इस बात के लिये मजबूर करती हैं कि वहां पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन इस सदन के अन्दर जो यह विधेयक आता है

[श्री जगन्नाथ लहरी]
उसको पारित करने का अधिकार तो इस सदन के हाथ में है कि वह वहां जमींदारी खत्म कर दे। लेकिन आज तक इसका पता नहीं कि जबकि सन् ४६ में ही यह आदरणीय सदन इस प्रान्त से जमींदारी विनाश का प्रस्ताव पास कर चुका है और सन् ५० में इस सदन ने जमींदारी विनाश पर कानून पास कर दिया है। २ जुलाई, १९५२ से इस प्रदेश से जमींदारी की समाप्ति की घोषणा कर दी गयी लेकिन पहाड़ी जिलों के लिये पता नहीं वैसा कानून अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा है जैसा कि आदरणीय गेंदासिंह जी ने कहा, इस प्रदेश में जमींन के संबंध में अलग-अलग कानून बनाये गये हैं। प्रदेश के कुछ जिलों से तो २ जुलाई, १९५२ को जमींदारी खत्म हो गयी। आज उसको ६ वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया लेकिन पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस संबंध में सन् ५२ में प्रस्तुत होने वाला विधेयक सन् ५६ में प्रस्तुत हुआ और ४ सितम्बर १९५७ को इस आदरणीय सदन ने इस विधेयक को एक प्रवर समिति को दे दिया लेकिन हम आज तक उसके समाप्त करने के बारे में कोई कदम नहीं उठा सके। जैसा कि माल मंत्री जी ने बताया है कि प्रवर समिति द्वारा कुछ जिलों में दौरा करने व गवाहियां लेने की मांग की गई थी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमें गवाहियां लेनी ही थीं तो समाचारपत्रों द्वारा सूचना दी जा सकती थी और वह व्यक्ति जिनको गवाहियां देनी थी प्रवर समिति के सामने उपस्थित हो सकते थे। अब पता नहीं क्यों जमींदारों के चंगुल से बिचारे गरीब किसानों को छुड़ाने के लिये देर की जा रही है। इसके पीछे जरूर कोई शाजिस मालूम होती है। मैं जनता की भावना का आदर करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जब जमींदारी प्रदेश के एक भाग के लिये घातक है तो प्रदेश के हर एक भाग के लिये घातक है। पता नहीं जो जमींदारी प्रथा मैदानी इलाके के लिये घातक है तो पहाड़ों के लिये क्यों नहीं है?

इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि बिना समय को नष्ट किये यदि प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन देने में असमर्थ है तो इस विधेयक को सदन के सम्मुख रख कर इस पर विचार प्रारम्भ किया जाय। आज हमें एक क्षण का भी विलम्ब किये बिना जल्द से जल्द गरीब किसानों को जमींदारों के पंजों से छुड़ाना चाहिये। मैं चार महीने का समय बढ़ाने के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि कुमायूं के गरीब किसानों को शीघ्र से शीघ्र जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि अच्छा हो यदि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री जी उन कारणों को बतायेंगे जिनकी वजह से दो मर्तबा समय लेने पर भी यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका। लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि वह कौन से कारण पड़ गये जिनसे उन्हें इतना समय लेना पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि जब जमींदारी विनाश का कानून प्रदेश में लागू किया जाने वाला था तो उस पर भी इसी तरह से आवश्यकता से अधिक समय लिया गया था और उसका नतीजा यही हुआ कि जमींदारों ने लाखों एकड़ जमींन किसानों के हाथ से कानूनी तथा अन्य तरीकों से छीन ली। जमींदारी विनाश कानून के पास हो जाने के बाद के आंकड़े माननीय मंत्री जी के पास हैं और हम लोगों को भी यह बात मालूम हुई है और पार्लियामेंट में भी इस बात की शिकायत की जा चुकी है कि बेदखलियां स्वेच्छा द्वारा नहीं बल्कि कोअर्शन से की जा रही है और अब भी जारी हैं। जब जमींदारी समाप्त होने के बाद भी बेदखलियां जारी हैं तो पहले जो बेदखलियां हो गईं उनका कारण यही समझ में आता है कि इसी लिये देरी हुई। यही बात इसमें भी हो रही है। एक बार भूखे शेर को जगा देना और उसके हमला करने पर रक्षा न करना मैं समझता हूं कि अनुचित बात है। सरकार ने एक बार जमींदारी एबालीशन का बिल पेश करके इस क्षेत्र में खलबली पैदा करके अब जो समय बढ़ा रही है इससे उनका नुकसान हो रहा है जिनका नुकसान कराना सरकार नहीं चाहती है और उनका फायदा

हो रहा है जिनका सरकार फायदा कराना नहीं चाहती है। इससे गरीब किसानों का नुकसान हो रहा है। इसलिये इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और चाहता हूं कि प्रवर समिति द्वारा विचार न कराया जाकर सीधे इसको सदन के समक्ष रख दिया जाय।

श्री गोबिंद सिंह बिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के एक अदना सदस्य की हैसियत से जो बात मैंने सुनी उसका स्पष्टीकरण कर देना मैं उचित समझता हूं। मैं जहां अन्य बातों में, कई मर्तबा सरकार की गलत बातों का विरोध करता हूं वहां पर जहां सरकार की गलती न रही हो उसको स्वीकार करने को भी तैयार हूं—मैं उन सदस्यों में से हूं। जहां तक इसके विलम्ब का सवाल है माननीय माल मंत्री जी की वकालत न करते हुए इस सम्बन्ध में जो भ्रान्ति पैदा हो गयी है उसको दूर करना चाहता हूं। माननीय लहरी जी ने सेलेक्ट कमेटी की बैठक के सम्बन्ध में दो तीन तारीखों का जिक्र किया। उसमें हमने बहुमत से यह पास किया कि पहले तो पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, जिन्होंने पुराना जमींदारी विनाश बिल पायलट किया था, यहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे यू० पी० में जो कानून लागू किया पर्वतीय प्रदेश की अपनी अलग समस्या होने के कारण वहां वह कानून लागू नहीं किया। इसीलिए कि हमारी परिस्थिति भिन्न थी। जब यह बिल आया तो हमने माननीय राजस्व मंत्री से कहा कि अगर आप पहाड़ की परिस्थिति भी वही समझते थे जो मैदान की है तो आपने यह जो पुराना बिल ही ला कर रख दिया, यह उसी दिन लागू कर दिया होता। तो हमने यह अर्ज किया कि अच्छा हो कि आप इसमें संशोधन लाएं। उन्होंने कहा कि यह हमारी परिधि के बाहर की बात है। फिर हमारी तरफ से प्रस्ताव पास हुआ, बल्कि मंत्री जी ने तो विरोध किया कि यह सेलेक्ट कमेटी अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टेहरी में जाकर, सदर मुकामात में जाकर जो लोग वहां की परिस्थिति से वाकिफ हों, उनसे जानकारी हासिल करने के बाद तब इस बिल में जो करना हो करें। वहां जाकर गवाही हो। शायद इस सम्बन्ध में आप से भी पूछताछ हुई। जब कमेटी ने यह तय किया वहां हेडक्वार्टर में जा कर गवाही ली जाय, तो जहां तक मुझे मालूम हुआ है, माननीय अध्यक्ष ने शायद यह फरमाया, मैंने सुना है, जो गलत भी हो सकता है, आपने यह बात कही कि जब तक सदन इसकी इजाजत न दे—मैं नहीं जानता, यह बात सदन की बैठक में रखी जायगी। मुझे ऐसा इल्म हुआ। वरना समिति में ऐसी बात बहुमत से पास हो गयी थी कि वहां हेडक्वार्टर्स में जा कर गवाही ली जाय। जहां तक जमींदारी अबालिशन के उसूल का सवाल है वह बिलकुल ठीक है। उसे मैं भी मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप यह एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किस कारण देर हुई ?

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—चूंकि कुछ बातें उस वक्त कह दी गयीं....

श्री अध्यक्ष—आप देर को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन आप उसमें जो अन्दर की बातें हुई हैं उनको भी कह रहे हैं।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। Because we are vitally concerned.....

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में कृपया बोलिए।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—चूंकि यह कुमायूं के लिए मरने जीने का प्रश्न है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। चूंकि आपने इस विषय में माननीय लहरी जी को इजाजत दी, इसलिए उनके सवाल का मैं जबाव दे रहा हूं। पहाड़ की समस्या भिन्न है। अगर मैदान में कटहल होता है और उसके सम्बन्ध में कोई कानून बनाया जाय कि उसके बाग लगाए जायं तो पहाड़ में भी क्या आप कटहल लगाने को बाध्य करेंगे और हिमालय की चोटी पर कटहल लगायेंगे ? जमींदारी विनाश के हम सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है लेकिन वहां की परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। जमींदारी, हम लोग भी नहीं चाहते कि जमींदारी रहे। लेकिन जमींदारी हो तब

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

तो खत्म करो। हो ही नहीं तो किस को खत्म कर सकते हैं। यह ऐसा ही हो गया जैसे कम्युनिज्म का चोला लाकर हिन्दुस्तानी शरीर में फिट किया जाता है। रूस से एक कोट सिला कर यहां फिट किया जाता है। जब वह फिट नहीं आता तो कहा जाता है कुछ भूसा भर दो। अगर आदमी दुबला है तो भूसा भरा जाता है और अगर मोटा है तो कहते हैं कि आदमी को छील दो। इसी तरह से जो यहां के लिए बिल बना है उसे उठा कर पहाड़ में रख दिया। देर इसलिए हो गयी।

श्री अध्यक्ष—आप दोनों तरफ चलते हैं। इधर जस्टीफाई भी कर रहे हैं और उधर हमला भी कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ के विषय में इतनी गलतफहमी है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बिल में यह कहा गया है कि पहाड़ों पर कुओं का वितरण कैसे किया जायगा? बिल में सिंघाड़े वाली भूमि के संबंध में बात कही गई। पहाड़ में लोग सिंघाड़ा पहचानते तक नहीं, न यह वहां पैदा होता है। वहां नाक के रेंटे को सिंडाड़ा कहते हैं। ऐसा यह बिल है।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव तो सामने यह है कि इसके लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री गोविंद सिंह विष्ट—मैं इसी पर आ रहा हूं। हमने यह कहा कि यह इतना बढ़िया बिल है तो इसमें वहां के लोगों से पूछ लिया जाय। मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें कांग्रेस, पी० एस० पी० और जनसंघ, समाजवादी व स्वतंत्र दल वाले सभी थे। सभी पार्टी के लोगों ने इस पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है कि कमेटी के सदस्य उन जगहों में जायं जिन जगहों से इस बिल का सम्बन्ध है।

दूसरे देर इसमें इस वजह से लगी कि पहले तो यह समझा गया कि वहां जायेंगे फिर उसके बाद मंत्री जी ने बतलाया कि अध्यक्ष महोदय का हुक्म आ गया है बिला असेम्बली की इजाजत के वहां पर नहीं जा सकते हैं तो फिर एक क्वेश्चनियर ईशू किया गया और लोगों से सुझाव मांगे गये और सभी पार्टी के लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पहाड़ों पर जमीन का कायदा और मैदानों में जमीन का कायदा चाहे अलग-अलग हो लेकिन दोनों जगह की जमीन के संबंध में तर्क शास्त्र बहस में एक है। पहाड़ों के लिये तर्क अलग हो और मैदानों के लिये तर्क अलग हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिये आप कृपाकर असंगत न हों।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं सिर्फ डिले क्यों हुई इसको बता रहा हूं। इस क्वैश्चेनियर में डिले हो गई। मई, जून और जुलाई तो निकल गये। अगस्त और उसके बाद २० सितम्बर को इसकी अवधि समाप्त हो जायगी। इस बीच असेम्बली बैठ रही है। इस बीच इस पर मुकम्मिल विचार हो यह कैसे संभव है। दोबारा इसके लिये कुछ समय बढ़ाना पड़ेगा तभी इस पर ठीक तरीके से विचार हो सकेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिये और समय दिया जाय। कानून अगर आप बना रहे हैं तो फिर उसको विचार कर पास करिये जिससे वहां लोगों को असुविधा न हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये ज्यादा समय हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो भाषण दिया उससे मेरे मन में एक आशंका उत्पन्न हो गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय उस आशंका का निराकरण कर दें और वह यह है कि मुझे इस पर इतनी आपत्ति नहीं है कि इस बिल की अवधि २०सितम्बर तक बढ़ा दी जाय। उन्होंने

देरी का जो कारण बताया उससे मुझे आशंका यह है कि अंतिम बार यह अवधि नहीं बढ़ा रहे हैं, किन्तु बार-बार अवधि बढ़ाने का रोग आयेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अपनी ओर से स्पष्ट रूप से सदन को यह आश्वासन दें कि इस ४ महीने की अवधि बढ़ाने के बाद फिर अवधि बढ़ाने का तो अवसर नहीं आयेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्ताव पर जो विवाद हुआ उस संबंध में अनेक सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इस छोटे से विधेयक पर अनावश्यक समय बढ़ाया जा रहा है। माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट ने जो बहुत लम्बी कैफियत सुनाई उससे यह प्रकट हुआ कि इस विधेयक के बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वे अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। जितना समय इसके लिये लिया गया है क्या वह समय कम है? भूमि के संबंध में हमेशा यह बात मान ली गई है कि छोटे किसान दबे हुये और पीड़ित हैं। वे राहत चाहते हैं। मगर उनको राहत नहीं मिल पाती है जब कि तत्काल उनको राहत पहुंचाने और उनके लिये नियम बनाने की जरूरत है। और ज्यों ही नियमों के संबंध में ढीलढाल हुई, लोग ढीले हो जाया करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित है यद्यपि उसका समर्थन माननीय विष्ट जी ने किया है। वृहत् जोतकर विधेयक के संबंध में जब हमने दो-चार दिन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया तो उसका उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि प्रवर समिति को समय के अन्दर ही कानूनों को पास करके उपस्थित करना चाहिये, लेकिन वही मंत्री जी आज चार-चार महीने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उनको भी नियमों के संबंध में अधिक लाइट पाने की आवश्यकता है। किन्हीं मामलों में वह अधिक उतावले हो जाते हैं और किन्हीं में बहुत रिजिड। ऐसा मालूम होता है कि वह उन्हीं मामलों में उतावली दिखाते हैं कि जिनमें सरकार के कोष में धन जाने की बात होती है। वृहत् जोतकर विधेयक के संबंध में उन्होंने तीन दिन का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें वह चार महीने का समय मांग रहे हैं और इस कमेटी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। यह कमेटी अपने कार्य को पूरी तरह निभा नहीं रही है। इसमें माननीय विष्ट जी सरीखे योग्य व्यक्ति भी हैं किन्तु वह छोटे २ किसानों के हित को अधिक समझते हैं। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब छोटे किसानों से संबंधित विधेयक इस सदन में आयें तो उनमें देर न की जाय अन्यथा उनका लक्ष्य पीछे रह जायगा और दूसरे व्यक्ति अधिक लाभ उठा ले जायेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखें और कोई कानून बनाने से पहले आप अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से समझें। कानून आने के बाद बार-बार समय बढ़ाना और चार महीने की अवधि बढ़ाने के बाद चार दिन काम करना और फिर आराम करना या दो दिन कमेटी में बैठना और फिर आराम करना, इससे मैं समझता हूं कि किसानों का हित होने के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जब छोटे किसानों की बात सामने आये तो उसके लिये आप अपना सारा मस्तिष्क लगा दें और उसके साथ-साथ उनके निराकरण और निवारण की सारी बात आप अपने सामने रखें। मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी अथवा हमारी सरकार के मस्तिष्क में किसी बात की पूरी-पूरी पिक्चर नहीं होती। वह हमेशा पिक्चर को डेवलप करते हैं विरोधी पक्ष की बातें सुन कर और उसके आधार पर वह उसे बढ़ाते हैं उस समय तक जब तक कि उसमें ढीलढाल हो कर लोग उससे अन्यमनस्क हो जायं। मैं चाहूंगा कि उनके दिमाग में पिक्चर कंप्लीट हो और वह छोटे काश्तकारों के संबंध में अपनी नीति निश्चित और स्पष्ट कर दें। अतः इस विधेयक के लिये जो अवधि मांगी जा रही है मैं समझता हूं कि प्रवर समिति को अब यह अधिकार नहीं है। उसने अपने कर्त्तव्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

को इस समय में निभाया नहीं है और इसलिये अपना फैसला करके सरकार इस विधेयक को सदन में शीघ्रातिशीघ्र लाये। माननीय गेंदासिंह तथा श्री लहरी जी ने जो बातें कहीं, मैं उनका समर्थन करता हूं और अवधि बढ़ाना पसंद नहीं करता। प्रवर समिति अयोग्य साबित हो चुकी है और इसलिये उसे अब हमें अधिक समय नहीं देना चाहिये।

*श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्तसरन तीन बातें अर्ज करनी हैं। पहल तो एक मित्र ने यह कहा कि हमारे प्रदेश में भूमि संबंधी तरह-तरह के कानून हैं और एक ही कलम से एक ही साथ, एक दिन सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक हमें जमींदारी खत्म करनी चाहिये। मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करूंगा कि हमारा सूबा एक बहुत बड़ा सूबा है, दस, बीस जिलों का सूबा नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के हालात विद्यमान हैं, मुख्तलिफ किस्म की जमीनें, मुख्तलिफ किस्म की आबोहवा और इन दोनों से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के लैन्ड टेन्योर, जो बहुत पुराने जमाने से चले आते हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाका अलग, मैदानी अलग, फिर रियासतें, टेहरी गढ़वाल, रामपुर और बनारस, तीनों में लैन्ड टेन्योर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अंग्रेजी इलाके से बिलकुल भिन्न। इसके अलावा बुन्देलखंड की रियासतों का भी विलीनीकरण हुआ, उनके यहां भी अलग-अलग कानून थे। इसके अतिरिक्त उत्तर के पहाड़ी इलाकों में लैन्ड टेन्योर दक्षिण के पहाड़ी इलाकों, दुद्धी मिर्जापुर में कैमूर रेंज के दक्षिण का इलाका, इनमें अलग-अलग है। इसलिये यह कहना कि एक कलम से एक ही कानून लागू कर दिया जाता, यह बड़ा मुश्किल होता। यही नहीं प्रायः असंभव बात थी। अगर हम देहरादून से लेकर बलिया तक एक ही कानून बनाने का प्रयत्न करते तो सालों तो कानून को बनाने में ही लग जाते। इसलिये यही मुनासिब खयाल किया गया कि एक बहुत बड़े इलाके---मैदानी इलाके का कानून बना लिया जाय और बाकी जो पाकेट्स रह जाती हैं उनको धीरे-धीरे ले लिया जाय। बाकी जो यह रह गयी हैं, पाकेट्स ही हैं क्योंकि ९५ प्रतिशत इलाके में जमींदारी समाप्त हो चुकी है और कुल मिलाकर ५ प्रतिशत में समाप्त होनी है। यह मैं समझता हूं कि मुनासिब ही हुआ।

इसके अलावा मैं एक बात का और जिक्र करना भूल गया कि गवर्नमेंट के अपने आस्थान भी तराई में थे। ये ३२ थे और इनमें भी मुख्तलिफ कानून लागू थे। कुछ खत्म हुये हैं और कुछ खत्म नहीं हुये। मैं माननीय गेंदासिंह जी के उतावलेपन को समझता हूं। मैं केवल उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वे कभी कभी तो इस बात पर गौर किया करें कि जिस तेजी के साथ, जिस लगन के साथ, जिस तन्मयता के साथ इस सूबे में काम हुआ है और किस सूबे में हुआ है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह 'उतावलेपन' पार्लियामेंटरी शब्द है।

श्री अध्यक्ष---इसका प्रयोग तो दोनों ओर से ही होता रहता है और इसकी मांग भी रहती है। यह शब्द पार्लियामेंटरी है और कोई खराब शब्द भी नहीं है। कभी किसी जगह मौजूं न हो, तब दूसरी बात है।

श्री चरणसिंह---कई मित्रों ने भी यह कहा कि जब कभी भूमि व्यवस्था के बार म कोई कानून पेश किया जाय तो उसको जल्द ही फाइनेलाइज कर देना चाहिये क्योंकि जमींदारों और काश्तकारों का कोई रिश्ता होता है। इनमें काश्तकार प्रायः दबे हुये होते हैं और जमींदार का ऊपरी हाथ रहता है? काश्तकार को बेदखल करा दिया जाता है। इस तरह से खराबी पैदा हो जाती है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं लेकिन साथ ही माननीय मित्रों का ध्यान सन् ५४ में जो कानून इसी सदन के द्वारा पास किया गया था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। वह कानून कुमायूं के सिलसिले में पास किया गया था कि जो भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस समय काश्तकार हैं उनको सिवाय तीन हालतों के बेदखल नहीं किया जा सकता। वे तीन शर्तें यह हैं १—अदम अदायगी लगान, २—खेतों का दूसरे अगराज के लिये इस्तेमाल करना, ३—किसी दूसरे आदमी, शिकमी, को खिलाफ कानून उठा देना यानी समर्थ होते हुये भी शिकमी को दे दे। अगर वह असमर्थ है तो बेशक दे सकता है। लिहाजा ऐसी हालत में अगर यह कानून एक साल नहीं अगर दो या तीन सालों में भी पास होता है तो गरीब काश्तकार के बेदखल होने की आशंका नहीं है। अब इसी जैल में हमारे माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात फरमाई कि जब जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स का कानून बन रहा था तो बहुत से लोग बेदखल हो गये। ऐसा ही मजमून श्री झारखंडेराय जी ने भी कहा कि लाखों किसान बेदखल हो गये। पिछली बार तो उन्होंने कई लाख किसानों के बेदखल होने की बात कही थी, अबकी बार उन्होंने करोड़ों का जिक्र नहीं किया, यही बहुत है। पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र आया था। अध्यक्ष महोदय, हर सज्जन को अपनी अपनी राय रखने का हक है लेकिन इतनी दरख्वास्त मैं जरूर करूंगा कि जो बात कही जाय उसका कुछ न कुछ वास्ता थोड़ी सी उदारता, कुछ थोड़ा सा न्याय और इंसाफ से जरूर होना चाहिये।

जहां तक पार्लियामेंट में जिक्र आने की बात है, वह कुछ सूबों में काश्तकारों की बेदखली के संबंध में जिक्र आया था। मैं उस सूबे का नाम नहीं लेना चाहता कुछ पुराने काश्तकार जिनकी इस्टेबिलिटी हो चुकी है, जिनकी सेक्योरिटी आफ टेन्योर थी वे बेदखल हो गये...

श्री गोविंदसिंह विष्ट--किस प्रांत के किसान थे, जरा बतला दिया जाय।

श्री चरणसिंह—यह मुनासिब बात नहीं है। अगर जनाब भी उसी स्टेट के होते तो काश्तकारों को बेदखल करने के ही हक में होते।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि राइट आफ रिजम्पशन नहीं दिया। फिर बेदखली का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वह तो कानून का डिफेक्ट था, स्कीम का नुक्स था जिससे वे बेदखल हुये। ऐसे किसी को बेदखल करने का मंशा नहीं था। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, मैं अनेक बार यह कह चुका हूं कि यहां कोई काश्तकार बेदखल नहीं हुआ। कोई का मतलब यह नहीं है कि ८० लाख काश्तकारों में एक या दो काश्तकार बेदखल नहीं हुये, लेकिन किसी बड़ी संख्या में, १ परसेंट या ·१ परसेंट भी किसान बेदखल नहीं हुये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—बहुत से किसान बेदखल हुए हैं। फर्जी तौर से कानून का गलत ढंग से इस्तेमाल करके हजारों लाखों की संख्या में किसानों को बेदखल किया गया है।

श्री चरणसिंह--करोड़ों की संख्या भी आप बतला सकते हैं।

श्री उग्रसेन—अगर मौका दें तो हम सूबे में चल कर आपको दिखा सकते हैं।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां सेक्योरिटी आफ टेन्योर वाले टेनेंट्स के बेदखल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारे यहां सब टेनेंट्स तक नहीं बेदखल किये गये हैं। उन तक को हमने सीरदार बना दिया है और जो सब टेनेंट्स पुराने खतौनी में ट्रेसपासर माने जा चुके हैं, खतौनी और खसरा में या रिमार्क कालम में ५६ और ५९ में जिनका केवल नाम मात्र दर्ज है उनको भी हमने अपने खेत का मालिक बना दिया है। एक एकड़ वाले जमींदार को भी हमने रिजम्पशन का अधिकार नहीं दिया है, फिर बेदखली का क्या सवाल है। आधा एकड़ वाले किसानों को भी हमने अधिकार दे दिया है। लेकिन दस, पन्द्रह प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने राइट्स को डिस्क्लेम

[श्री चरणसिंह]

कर दिया। उन्होंने आकर कहा कि यह खेत हमारा नहीं है। हमने उनको बतलाया कि लीगली तुम्हारा राइट है, कागजात के अनुसार ५६–५९ में तुम्हारा कब्जा दिखलाया गया है, इसलिये तुम उसके लिये क्लेम कर सकते हो, इसके लिये कानूनी कोई रोक नहीं है। लेकिन उन्होंने आकर कहा कि यह नाम फर्जी है, हमारा अधिकार इस जमीन पर नहीं है। यह याद रखने की बात है कि दस, पन्द्रह परसेंट लोगों ने जिनका नाम दर्ज था उन्होंने डिस्क्लेम कर दिया। हमने बड़ी-बड़ी मीटिंग्स की जिनमें जाकर लोगों की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की और खुलेआम लोगों से कहा कि कागज में नाम दर्ज होने की वजह से जमीन पर तुम्हारा कब्जा दिया गया है और खेत पर तुम्हारा लीगल राइट है। अपने राइट की रक्षा के लिये, डिफेंस में तुम अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके लिये लाठी उठा सकते हो। तो इस तरह का बराबर प्रचार रहा, लेकिन बावजूद इसके कोई आदमी कहता है कि मेरा कब्जा नहीं था, मैं इसे डिसक्लेम करता हूं तो अधिकतर जो ट्रेसपासर्स थे उनको ही बेदखल किया गया। उनको अख्तियार भी है यह कहने का और उनमें कुछ लोग बेदखल भी किये गये। इस पर भी अगर कोई नुक्स रह गया हो तो उसे ठीक किया जा सकता है लेकिन यह जनरलाइज कर देना कि लाखों बेदखलियां हुईं यह ठीक नहीं।

तीसरी बात माननीय सदन के सामने यह अर्ज कर दूं कि ४ महीने की अवधि दी जाय या नहीं यह प्रस्ताव तो प्रवर समिति का है। अब वह प्रस्ताव किन हालात में उसने पास किया उसका जिक्र करना यहां मेरे लिये मुनासिब नहीं है। वह प्रस्ताव पास हो गया, चूंकि मैं उसका मेम्बर था, बल्कि वह प्रस्ताव मेरी ओर से ही था। सदन को यह समझ लेना चाहिये कि किसी काश्तकार को नुकसान नहीं हो रहा है। और फिर सर्वे आफ सेटिलमेंट आपरेशंस हो रहे हैं जब तक वे नहीं हो जायेंगे तब तक इस कानून को नाफिज भी नहीं किया जा सकेगा, इसलिये कोई नुकसान नहीं होता है ४ महीने हो जायं या ६ महीने हो जायं। मैं पहले आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि ये जो अल्फाज ४ महीने के हैं इनको ५ महीने कर दिया जाय। माननीय गोविन्दसिंह जो कहते हैं वह ठीक है। प्रश्नावली भेजी है १५ अगस्त तक जवाब चाहा है। यह समझा जाता है कि किसी जबानी शहादत की आवश्यकता नहीं होगी यह मेरी निजी राय है लेकिन अगर प्रवर समिति तय करती है तो मुमकिन है कि जबानी शहादत लेनी है तो फिर समय कम रह जायगा। २० सितम्बर तक फायनल रिपोर्ट पेश करना है। इसलिये २० अक्तूबर तक का समय मिल जाय तो मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष—अगर इसका जरा भी विरोध होगा तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको इसके लिये दूसरा प्रस्ताव लाना होगा।

श्री चरणसिंह—फिर बहस होने लगेगी।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मजबूरी है।

श्री चरणसिंह—माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि काश्तकार बेदखल हो रहे हैं। जल्दी होनी चाहिये। मैं केवल एक बात कहूंगा कि उनके पड़ोस में दाहिने हाथ मेम्बर बैठे हैं, वैसे नहीं, जाब्ते में नहीं, यहां पर नहीं, घर पर जाकर पूछें क्या बात है, क्यों देर हो रही है?

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि मैं विरोध करता हूं। न जाने किस बात का विरोध किया। लेकिन इसके उसूलों से मैं सहमत हूं यह भी उन्होंने कहा। मुझे कहावत याद आती है शेक्सपीयर की "My ladyship protested too much" इस बिल के सिद्धान्तों से मैं सहमत हूं इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं थी जब मेरे प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया या समर्थन किया, क्योंकि ४ महीने का समय था। इसके उसूलों से आप सहमत हैं। उनके दिल में शायद कुछ शंका है, क्योंकि कुछ लोगों का खयाल है कि कुमायूं जमींदारी का एबालिशन नारायणदत्त जी चाहते नहीं। इसलिये जाकर

उनको यह कहने की जरूरत पड़ी कि मैं इसके उसूलों से सहमत हूं। उसी तरह से वे सहमत हैं जिस तरह से हमारे भाई गोविन्दसिंह जी ने साफ बात कह दी कि जमींदारी है ही नहीं, एबालिशन का फिर क्या सवाल पैदा होता है लेकिन हम चाहते हैं कि जमींदारी एबालिश हो। गवर्नमेंट की पालिसी है कि इंटरमीडियरीज न रहें और जो आदमी टिलर आफ दी स्वायल हो उसके अधिकार पुष्ट किये जायं, उसका सीधा संबंध सरकार से हो। उसी पालिसी के मातहत यह बिल सरकार लाई है। इन शब्दों के साथ मुझे यह कहना है कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत देरी हो भी रही है तो किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। पहले ऐक्ट पास कर चुके हैं। कोई बेदखल नहीं हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—स्पष्टीकरण करने के लिये.....

श्री अध्यक्ष—आपने तो आज कोई भाषण दिया नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया।

श्री अध्यक्ष—आपने गलत सुना होगा, किसी दूसरे का नाम लिया होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा ही नाम लिया था, मैं थोड़ा सा बोला था।

श्री अध्यक्ष—आप बोले थे?

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था और उसके सिलसिले में जो कहा था उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मुझे यह देख कर दुख हुआ कि माल मंत्री जी जैसे पुराने पार्लियामेंटेरियन को भी भावना के वशीभूत होकर, उतावलेपन में आकर, आक्षेप करना पड़ा। यह उनको शोभा नहीं देता। मुझे उनसे शिकायत है कि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन यह उनकी पुरानी आदत है।

स्पष्टीकरण यह है। आपका कहना है कि घर में जाकर गैंदासिंह जी पूछें। सन् १९५२ से वह माल मंत्री हैं। क्या कारण है कि १९५२ से १९५६ तक कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक पेश नहीं किया गया? इसके बाद सन् १९५६ के हमारे भाषण यहां मौजूद हैं। सन् १९५७ में जब दुबारा विधेयक पेश किया गया तब के भाषण हैं। उनका कहना बिल्कुल निराधार है.....

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया है। लेकिन वह मेरे ऊपर आक्षेप करेंगे तो मैं पूरी प्रोसीडिंग्स दिखा सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—देर क्यों हो रही है इसकी जिम्मेदारी माननीय माल मंत्री जी की है, सरकार की है। ५ अप्रैल, १९५८ के दिन सेलेक्ट कमेटी की पहली बार मीटिंग बुलाई गई।

श्री अध्यक्ष—आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे ऊपर मंत्री जी आक्षेप लगा रहे हैं कि मैंने की। ५ अप्रैल, १९५८ के पहले सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई। दूसरी बात, मैं प्रवर समिति का सदस्य होने की वजह से....

श्री अध्यक्ष—यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो उन्होंने चार्ज लगाया उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उनके ऊपर दूसरा चार्ज नहीं लगा सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं वही कह रहा हूं। माननीय माल मंत्री जी ने जो मेरे ऊपर आक्षेप किया है वह स्वयं उन्हीं के ऊपर आता है। उनको मेरे कहने पर कुछ शक हो रहा है। उनको शेक्सपीयर के उदाहरण याद आ रहे हैं। लेकिन उनको यह भी याद रखना चाहिये कि "to be or not to be"। शेक्सपीयर मैंने भी पढ़ा है। मंत्री जी शेक्सपीरियन हैमलट हो रहे हैं। मेरा यही कहना है कि मंत्री जी हैमलेटियन ट्रेजेडी के शिकार न हों।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ निर्दिष्ट किया गया था कि वह २०-१-५८ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। ३ फरवरी, १९५८ को सदन के निश्चयानुसार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि ४ महीने और बढ़ा दी गई थी जो २० मई, १९५८ को समाप्त हो गई। कुछ कारणवश समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है। अतः समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अवधि दोबारा ४ महीने के लिये और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां जो कार्यालय में दिनांक २ मई, १९५८ को प्राप्त हो गई थीं सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर ५९-७३ पर।)

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर की पुनः संगठित परामर्शदात्री समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीटयूट, कानपुर की पुनः संघटित परामर्शदात्री समिति (ऐडवाइजरी कमेटी) में कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर की पुनः संघटित परामर्शदात्री समिति (ऐडवाइजरी कमेटी) में कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट में कार्य करने के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस, प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट में कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में कार्य करने के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में कार्य करने के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम प्रवर समिति में श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के स्थान पर श्री हुकुम सिंह विसेन के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के सदन से त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप नियम प्रवर समिति में एक स्थान रिक्त है, अतः उस स्थान के लिये श्री हुकुमसिंह विसेन, स्वास्थ्य मंत्री को निर्वाचित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव केवल औपचारिक है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावक महोदय से या सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी ने जब इस सदन से अपना पद त्याग किया था तो सदन की बैठक हो रही थी और उसके बाद बैठक स्थगित हो चुकी लेकिन उस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया जब कि यह सबको मालूम है कि यह नियम प्रवर समिति में बहुत दिन से पड़े हुये हैं और उनका काम भी पूरा नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में गलती और ढील सरकार की है या जो अन्य सज्जनों की ढिलाई है उसके सम्बन्ध में सरकार सचेत नहीं है, इस तरह से हर चीज को सरकार ढीलढाल कर के टाला करती है। इन नियमों का संकलन करने के लिये यह समिति इस सदन के आरम्भ काल से बनी थी और अब डेढ़ साल में वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इस सम्बन्ध में भी सरकार ढील को अपना रही है .....

श्री अध्यक्ष—आपको प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—हमारा विरोध केवल इस रूप में है कि यह चीज बहुत पहले आना चाहिये थी...

श्री अध्यक्ष—अच्छा बहुत ठीक, आप बैठ जायं।

प्रश्न यह है कि चूंकि श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के सदन से त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप नियम प्रवर समिति में एक स्थान रिक्त है, अतः उस स्थान के लिये श्री हुकुमसिंह विसेन स्वास्थ्य मंत्री, को निर्वाचित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष—अब कुछ नये सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं जिन को शपथ ग्रहण करना आवश्यक है, उनको मैं बुलाता हूं।

(श्री दर्शनसिंह ने शपथ ग्रहण की।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२१ जुलाई, १९५८।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५६ पर)

इंटरमीडियेट एजूकेशन संशोधन विधेयक, १९५७ पर उत्तर प्रदेश विधान मंडल की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हम संयुक्त प्रवर समिति के अधोहस्ताक्षरी सदस्यगण, जिन्हें इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ विचारार्थ भेजा गया था, इस प्रकार प्रतिवेदित करते हैं :—

२—संयुक्त प्रवर समिति की बैठकें विधान भवन, लखनऊ में २५, २६, २७ मार्च, ३ अप्रैल तथा २ मई, १९५८ को हुईं।

३—विधेयक पर खंडशः विचार करने के पूर्व कुछ सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि विधेयक के क्षेत्र का प्रसार किया जाना चाहिये जिससे कि बोर्ड के वर्तमान संविधान में परिवर्तन किये जा सकें तथा कतिपय स्वत्वार्थियों को भी, जिनका प्रतिनिधित्व अब तक बोर्ड में नहीं था, उसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इस बात की सूचना मिलने पर कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् एक अन्य व्यापक विधेयक जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बोर्ड का संविधान भी सम्मिलित है, प्रस्तुत किया जायगा, उक्त मांग पर अधिक जोर नहीं दिया गया।

४—इसके पश्चात्, उक्त समिति ने विधेयक पर खंडशः विचार किया। महत्वपूर्ण संशोधन जो वाद-विवाद के फलस्वरूप किये गये, निम्नलिखित हैं :—

(१) धारा १६–ए (१) में यह आवश्यक समझा गया कि प्रबन्ध समिति में किसी संस्था के दो अध्यापकों को विधेयक में उपबन्धित एक अध्यापक के स्थान पर प्रतिनिधित्व दिया जाय।

(२) धारा १६–ए (१) के अधीन एक नया खंड १६–ए (१–ए) के रूप में इस आशय से बढ़ाया गया है कि प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य, जब कि उसके वैयक्तिक आचरण से संबंधित कोई आरोप विचाराधीन हो, समिति की बैठक में न तो उपस्थित हो सकेगा और न अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग ही कर सकेगा।

(३) धारा १६–ए (२) और (३) में राज्य सरकार द्वारा निर्मित 'रूल्स' का उल्लेख था। इसके स्थान पर शब्द 'Regulations' रखना उचित समझा गया।

(४) धारा १६–बी (२) में समिति ने एक ऐसा उपबन्ध रखना वांछनीय समझा जिससे शिक्षा संचालक दोषी संस्थाओं के पास एक नोटिस भेजें जिससे कि तीन मास की अग्रेतर (further) अवधि के भीतर उन्हें योजना (Scheme) को प्रस्तुत करना पड़े। इस बात का उपबन्ध भी किया गया कि बढ़ायी गयी अवधि के समाप्त होने के पूर्व ये संस्थाय एक रिप्रेजेन्टेशन प्रस्तुत कर सकें, और शिक्षा संचालक द्वारा प्रशासन योजना (Scheme of Administration) प्रस्तुत करने के लिये उन्हें तीन मास की अग्रेत्तर अवधि दी जा सके।

(५) यह आवश्यक समझा गया कि एक नयी धारा १६–बी (३) बढ़ायी जाय जिससे शिक्षा संचालक को संस्थाओं द्वारा प्रशासन योजना प्रस्तुत न किये जाने पर संस्थाओं के विरुद्ध धारा १६–डी (३) के खंड (ए) अथवा (बी) के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो।

(६) धारा १६–सी (१) का आलेख पुनः तैयार किया गया है जिससे कि इसका अभिप्राय अधिक स्पष्ट हो जाय। योजना का अनुमोदन करने अथवा उसमें परिवर्तनों तथा परिष्कारों का सुझाव देने के लिये कालावधि निर्धारित करने के हेतु भी व्यवस्था की गयी है।

(७) धारा १६–सी (२) इस बात को स्पष्ट करने के अभिप्राय से कुछ परिवर्तित की गयी है कि शिक्षा संचालक भी प्रशासन की योजना को उसके मौलिक रूप में अनुमोदित कर सकता है, तथा इस आशय का एक परन्तुक जोड़ा गया है कि जहां पर शिक्षा संचालक कोई नया परिवर्तन अथवा परिष्कार करना चाहता हो तो वह संस्था को एक अवसर देगा कि एक निर्धारित अवधि के भीतर उसे एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

(८) धारा १६–डी (४) (बी) में शब्द 'has' तथा शब्द 'persistently' के बीच में शब्द 'wilfully or' इस अभिप्राय से बढ़ा दिये गये हैं कि जानबूझ कर किसी संस्था द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने की दशा में धारा १६–डी के उपबन्ध भी आकृष्ट किये जा सकें।

(९) समिति ने धारा १६–डी की उपधारा ४ के वर्तमान खंड (डी) को अनावश्यक समझ कर उसे निकाल दिया और उसके स्थान पर एक नया खंड 'डी' इस अभिप्राय से सम्मिलित कर दिया है कि जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि उपधारा ४ के अधीन संस्थाओं द्वारा प्रशासन की योजना प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा सकती है।

(१०) समिति ने इसे वांछनीय समझा कि धारा १६–डी की उपधारा ४ में आये हुए शब्द 'in consultation with the Board' निकाल दिये जायं, क्योंकि बोर्ड की बैठकें मुश्किल से वर्ष में दो या तीन बार ही होती हैं, तथा ऐसे मामलों में उनकी सहमति के लिये प्रतीक्षा करने से राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होगा।

(११) धारा १६–डी की उपधारा (४) के अन्त में एक प्रतिबन्धात्मक खंड इस आशय को जोड़ दिया गया है कि धारा १६–सी के अन्तर्गत प्रशासन की योजना के स्वीकार किये जाने की दशा में इस उप-धारा के अन्तर्गत खंड (डी) के अनुसार दिया गया आदेश वापस ले लिया जायगा :

(१२) समिति ने इसे वांछनीय समझा कि प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाध्यापकों के लिये चुनाव समिति के सदस्य के रूप में मंडलीय सूची (पैनेल) में शिक्षा संचालक द्वारा एक व्यक्ति के नामांकन की व्यवस्था के स्थान पर प्रबन्ध समिति को मंडलीय सूची (पैनेल) में से एक ऐसे सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार दिया जाय जो कि उस जिले का न हो जहां कि संस्था स्थित हो। धारा १६–ई (३) तदनुसार संशोधित कर दी गई है।

(१३) धारा १६–ए (१) का आलेख्य पुनः तैयार किया गया है। धारा १६–एफ की वर्तमान उपधारा (३) को कुछ परिवर्तन सहित धारा १६–एफ (१) के एक प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया गया है और एक प्रतिबन्धात्मक खंड और जोड़ा गया है जिसके द्वारा प्रबन्ध समिति को स्वयं प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों के छुट्टी जाने पर रिक्त स्थानों में अथवा अस्थायी रिक्त स्थानों में, निरीक्षक को सूचना देकर, नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है।

(१४) धारा १६–एफ (२) को इस अभिप्राय से परिवर्तित किया गया है कि उप-शिक्षा संचालक अथवा निरीक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के विषय में सम्बद्ध पत्रों की प्राप्ति होने पर अपना निर्णय दो सप्ताह के भीतर दे दें।

(१५) यह आवश्यक समझा गया कि शब्द 'and payment of salaries' धारा १६–जी की उपधारा (२) के खंड (बी) में जोड़े जायं तथा उक्त उपधारा के खंड (ई) में शब्द 'and service' जोड़ दिये जायं जिससे इन विषयों पर भी विशिष्ट विनियम बनाये जा सकें।

(१६) धारा १६ जो कि उपधारा ३ के खंड (ए) में इस आशय का परिष्कार कर दिया गया है कि निरीक्षक का निर्णय विनियम द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सूचित किया जायगा।

(१७) यह निश्चय किया गया कि धारा १६–जी की उपधारा (३) के खंड (सी) के वर्तमान उपबन्ध के स्थान पर क्षेत्रीय पुनरावेदन समिति (Regional Appellate Committee) द्वारा अपीलों के सुनने के लिये एक नया उपबन्ध रखा जाय, तथा उक्त उपधारा के खंड (डी) के स्थान पर एक नया खंड (डी) क्षेत्रीय पुनरावेदन समिति के विधान के लिये उपबन्धित किया गया है।

(१८) समिति ने आवश्यक समझा कि धारा १६–आई में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय जिससे कि शिक्षा संचालक राज्य सरकार की स्वीकृति से इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों को, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्राप्त अधिकारों को छोड़कर, दूसरों को सौंप सके।

(१९) समिति ने विधेयक के खंड ८ के उपखंड (३) में आंशिक परिवर्तन कर दिया है जिससे कि विधान मंडल उसके समक्ष रखे गये प्रथम विनियमों (regulations) में परिष्कार उस सत्र में कर सके जिसमें कि वे उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायं।

(२०) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रचलन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाइयों के निवारणार्थ एक नये खंड ९ का समावेश किया गया है।

(२१) विधेयक में कुछ अन्य शाब्दिक तथा आनुषंगिक संशोधन भी किये गये हैं। ये प्रतिवेदन से संलग्न संशोधित विधेयक में पाये जायंगे।

(२२) यह विधेयक १६ नवम्बर, १९५७ के उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था। हम लोगों की यह सम्मति है कि विधेयक में ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये हैं जिससे कि इसके पुनः प्रकाशन की आवश्यकता हो।

शिव कुमार लाल श्रीवास्तव
श्याम बिहारी बिरागी
तेज बहादुर
केशभान राय
नवल किशोर
इस्तफा हुसेन
शान्ति स्वरूप अग्रवाल
जगदीश प्रसाद
जगदीश शरण अग्रवाल
दीन दयाल शास्त्री
राम कुमार शास्त्री
अब्दुल रऊफ लारी
गौरी शंकर राय*
श्रद्धा देवी
दीप नारायण मणि त्रिपाठी
कामता प्रसाद विद्यार्थी
कन्हैयालाल †
कमलापति त्रिपाठी
कैलाश प्रकाश
राम नारायण त्रिपाठी
पी० सी० आजाद*

---

* विमति टिप्पणी के अधीन, जो कि संलग्न है।

† विमति टिप्पणी के अधीन, जो कि निर्धारित समय के भीतर नहीं प्राप्त हुई।

विमति टिप्पणी

इंटरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ का जो रूप है उसका उक्त विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य एवं कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवन के मूल्यांकन में हुये महत्वपूर्ण परिवर्तन परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करने का स्पष्ट उल्लेख उद्देश्य और कारण में है लेकिन विधेयक इस दिशा में मौन है। उद्देश्य में अनुशासन के पतन की भी चर्चा है लेकिन शिक्षण संस्थाओं के अनुशासन दृढ़ करने की ओर विधेयक का संकेत भी नहीं है। यही नहीं विधेयक के प्रयोजनों में एक प्रमुख प्रयोजन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वतोमुखी विकास भी है। सर्वतोमुखी विकास की दृष्टि से यह विधेयक अत्यन्त ही हास्यास्पद प्रतीत होता है।

इन्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट सन् १९२१ में बना था। उस समय प्रदेश में विद्यालयों की संख्या कम थी तब से अब शिक्षण संस्थाओं की संख्या में प्रचुर वृद्धि हो गयी है। इस संगठन में आमूल परिवर्तन की आवयकता है। इंटरमीडिएट बोर्ड का ढांचा अत्यन्त ही अप्रजातांत्रिक एवं अव्यवस्थित है। यह बोर्ड आज की परिस्थिति में अपना कार्य संचालन करने में पूर्ण रूपेण असफल है। आज के युग में बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा संचालक का होना अत्यन्त ही अनुचित है। बोर्ड में विशेषतौर से प्रबन्ध समितियों द्वारा चालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। आज भी बोर्ड में व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार अनुचित है। आवश्यकता तो यह है कि इस बोर्ड को भंग करके नई विधि से इस कार्य का संचालन हो।

अध्यापकों का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध समिति में १ से बढ़ा कर दो कर दिया गया। यह कदम उचित है लेकिन प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिये। बिना चुनाव के उचित प्रतिनिधित्व असम्भव है।

अध्यापकों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अन्तिम निर्णय विभागीय अधिकारियों के हाथ है। इसके स्थान पर अगर अनुभवी शिक्षा विशारदों की समिति जो सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के अवकाश प्राप्त लोग एवं अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्रियों द्वारा गठित हो उसके हाथ होना चाहिये। सरकारी अधिकारियों के हाथ पूर्ण अधिकार रखने से शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार का जो केन्द्रीकरण होगा वह सभी वर्तमान प्रजातांत्रिक मान्यताओं के प्रतिकूल होगा।

सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, अन्य सुविधायें तथा काम करने के समय में समानता स्थापित करने की व्यवस्था न कर सकने के कारण यह विधेयक निष्प्राण-सा है, समान कार्य के लिये समान सुविधा का सिद्धान्त अत्यन्त आवश्यक है।

मेरी बुद्धि में विधेयक की इस सीमित परिधि में भी उपरोक्त सुधार संभव है।

गौरीशंकर राय

दिनांक २-५-१९५८ ई०

विमति टिप्पणी

सन् १९५७ ई० का इंटरमीडिएट एजुकेशन संशोधन विधेयक जो एक संयुक्त प्रवर समिति के अधीन किया गया वास्तव में यह विधेयक अध्यापकों की दशा के सुधारने के हेतु एक कदम है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की दशा में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि प्रदेश के ८० प्रतिशत से अधिक प्राइवेट संस्थाओं को सरकार की ओर से अधिक अनुदान तथा धन की सहायता मिले ताकि इन संस्थाओं के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि तथा समय पर वेतन आदि मिलन का आयोजन हो सके। इस विधेयक में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। इसके विपरीत इस विधेयक में संयुक्त प्रवर समिति द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण तब्दीलियां हुई हैं मेरे अपने विचार से उनमें से कुछ इस विधेयक की परिधि (scope) के बाहर की हैं, जैसे—

१—शिक्षा संस्थाओं के विधान में परिवर्तन करना जो कि Societies Act, 1860 के अनुसार बना हुआ है।

२—अध्यापकों को प्रबन्ध के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने और कार्यकारिणी में भेज कर संस्था के आन्तरिक कार्यों में उलट-फेर करने की आज्ञा देने से प्रबन्ध-कर्ताओं और अध्यापकों के बीच मनमुटाव बढ़ने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी धारायें भी इस विधेयक में हैं जिनके बने रहने से शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन का लोप हो जायगा। उदाहरण के तौर पर प्रबन्धकों से अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार छीन लेना। इस प्रकार की धारा से तो आज जो अनुशासन की कमी संस्थाओं में पायी जाती है वह और बढ़ेगी और जिसका परिणाम यह होगा कि शिक्षा का नैतिक स्तर और अधिक गिर जायगा।

कुछ धारायें इस विधेयक में ऐसी हैं जो विभागीय अधिकारियों को प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की खुली छूट देती है। यह संभव हो सकता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध ठीक न हो किन्तु अधिकतर प्राइवेट शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जिनका प्रबन्ध ठीक है। यदि उनके परीक्षाफल की तुलना सरकारी शिक्षा संस्थाओं के परीक्षा-फल से की जाय तो कहीं अच्छा रहता है। ऐसी दशा में कुछ शिक्षा संस्थाओं के कुप्रबन्ध की सजा सारी शिक्षा संस्थाओं को देना कुछ अधिक उचित प्रतीत नहीं होता।

कुछ धारायें अनुचित भी हैं—जैसे १५ कार्यकारिणी के सदस्यों से दो अध्यापकों और एक मुख्य अध्यापक को लेने पर बाध्य करना आदि। इस प्रकार की धाराओं से अध्यापकों और प्रबन्ध-कर्ताओं के बीच जो आज प्रेम और सद्भावनायें हैं वह समाप्त हो जायेंगी।

सबसे बड़ा अभाव इस विधेयक में यह है कि उन ८० प्रतिशत प्राइवेट संस्थाओं के प्रबन्धकों का इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा जो इन संस्थाओं का संचालन और संगठन कर रहे हैं। मेरे विचार से हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड में दो तिहाई सदस्य प्रबन्ध-कर्ताओं द्वारा चुने हुये होने आवश्यक हैं ताकि उनके अनुभवों से बोर्ड अवगत हो सके और जो कठिनाइयां उन्हें इन संस्थाओं के संचालन में प्रतीत होती हैं उन्हें वह बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।

प्रतापचन्द्र आजाद,
सदस्य, विधान परिषद्।

दिनांक ११-५-५८ ई०

इन्टमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ। समिति द्वारा बढ़ाया गया अंश रेखांकित है तथा जिस स्थान पर कुछ अंश निकाला गया है वहां कोष्ठक [× ×] रख कर तदनुसार अंकित कर दिया गया है।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त इण्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा २ का संशोधन।

२—इण्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खण्ड (ए) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (एए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*aa*) 'Director' means the Director of Education, Uttar Pradesh."

(२) खण्ड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (बी बी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*bb*) 'Inspector' means the District Inspector of Schools and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the duties of the Inspector."

(३) खण्ड (डी) के पश्चात निम्नलिखित एक नये खण्ड (डीडी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*dd*) 'Regional Deputy Director, Education' means the Deputy Director of Education in-charge of a region and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the duties of a Regional Deputy Director.

(४) खण्ड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (एफ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*f*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(क) खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

"(*a*) the Director (*ex officio*) *Chairman* ;"

(ख) खण्ड (ओ) निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ३ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ३–ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ में धारा ३–ए का समावेश।

"3-A. The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest :

Removal of member.

Provided that the State Government shall before removing a member as aforesaid give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal."

५—मूल अधिनियम की धारा ७ के खण्ड (९) में शब्द "The Department of Public Instructions" "के स्थान पर शब्द" "The Director" रखा जाय।

यू० पी० एक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ७ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ९ में :—

शब्द "he" तथा "his" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "it" तथा "its" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ९ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें १६–ए, १६–बी, १६–सी, १६–डी, १६–ई, १६–एफ, १६–जी, १६–एच तथा १६–आई के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

यू० पी० एक्ट संख्या २, १९२१ में नई धाराओं १६–ए से १६–आई का बढ़ाया जाना।

"16-A. (1) Notwithstanding anything in any law, document, or decree or order of a Court, or other instrument, there shall be a Scheme of Administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every institution whether recognized before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957. The Scheme shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Headmaster or the Principal, as the case may be, of the institution and [XX] two teachers thereof, who shall be selected by rotation according to seniority, in the manner to be prescribed by regulations, shall be *ex officio* members of the Committee of Management with a right to vote.

Scheme of Administration.

[××] यह अंश संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है।

(1-A) No member of the Committee of Management shall either attend a meeting of the Committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(2) The Scheme of Administration shall also describe, subject to any [× ×] regulations, the respective powers, duties and functions of the Headmaster or the Principal, as the case may be [× ×] and Committee of Management in relation to the institution.

(3) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority there shall be a separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the [× ×] regulations for any class of in stitutions.

(4) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or changes in the Scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director.

(5) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with sub-section (1) to sub-section (4) and sections 16-B and 16-C.

16-B. (1) In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 16-C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for recognition.

(2) If an institution which is already recognized at the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, fails to comply with the provision of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director may in his discretion either allow a further period, not exceeding twelve months, or make an order withdrawing the recognition and thereupon the institution shall, notwithstanding anything in this Act, be deemed to have ceased to be a recognized institution.

16-C. (1) The Director may either approve the draft Scheme of Administration submitted under section 16-B, or suggest any alteration or modification therein. Whenever the Director shall so suggest any alteration or modification in the scheme, he shall send a copy of the same to the institution giving his reasons therefor and requesting the institution to make representation, if any, within a time to be specified.

[× ×] यह अंश संयुक्त अवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है।

(2) The Director shall consider any representation made in accordance with the provision of sub-section (1) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to the alteration and modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper :

Provided that where the Director proposes to make a new alteration or modification in the Scheme of Administration he shall give an opportunity to the institution to make a representation to him within such period of time as may be prescribed.

Inspection of recognized institution, and removal of defects.

16-D. (1) The Director may cause a recognized institution to be inspected from time to time.

(2) The Director of Education may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherewise.

(3) If the management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by the management—

(*a*) refer the case to the Board for withdrawal of recognition ; or

(*b*) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (4).

(4) If on the receipt of a recommendation under sub-section (3) the State Government is satisfied that—

(*a*) the affairs of the recognized institution are being mismanaged ; or

(*b*) the management of the institution has wilfully or persistently failed in the performance of its duties ; or

(*c*) the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration ; or

(*d*) [××] the draft of the Scheme of Administration has not been submitted within the time allowed.

It may [××] by order make provision—

(i) for exercising control over such institution by authorizing any person (hereinafter referred to as an 'Authorized Controller'), to exercise with respect to such institution and its management for such period as may be specified by the Government such functions of control as may be speci-

[××] यह अंश संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है।

in force, be conducted and carried on in accordance with any directions given by the Authorized Controller in accordance with the provisions of the order, and every person having any function of Management of such institution shall comply with such directions ; and

(ii) for any incidental or supplementary matter which appears to the State Government necessary or expedient for the purpose of the order.

The period for which an order under this sub-section is made may be extended by the State Government from time to time.

(5) Where the Management or any person having any function of management does not comply with or refuses to carry out any direction given by the Authorized Controller under and in accordance with the order under sub-section 4, the Authorized Controller may, with the previous approval of the State Government and for such period as the State Government may fix, take over the management of the institution including management of the land, buildings, funds and other assets belonging to or vested in the institution, to the exclusion of the Management or any such person and whenever the Authorized Controller so takes over the management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the Management would have if the institution were not taken over under sub-section (4) or this sub-section.

(6) No person who is appointed Authorized Controller under clause (i) of sub-section (4) shall be personally liable for acts done by him in good faith in performance of the duty entrusted to him.

(7) Any order made or directions given under sub-section (4) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution.

(8) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (*a*) of sub-section (3) and no order made or direction given under sub-section (4) or (5) shall be called in question in any Court.

(9) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law.

Appointment of teachers.

16-E. (1) Qualifications for appointment as Principals, Headmasters and teachers of different subject at different stages of the course shall be prescribed by regulations:

Provided that the Board may after considering the report of the Director exempt any person from the requirements of minimum qualifications having regard to his experience, education and other attainments.

(2) There shall be constituted in every recognized institution a Selection Committee for the purpose of selecting candidates for appointment as teachers in the institution. The head of the institution shall be an *ex officio* member of the Committee.

(3) There shall likewise be constituted a Selection Committee of three members for the selection of Principal or Headmaster [× ×] of the institution. The Committee shall include as member [× ×] a person not belonging to the district in which the institution is located, selected by the Committee of Management out of the Regional Panel referred to in sub-section (4).

(4) The Director shall prepare for each region a panel of persons to act as nominated members in the Selection Committee referred to in sub-section (3).

(5) The constitution of the Selection Committee referred to in sub-section (2) and (3), the conduct of business at their meetings, the preparation of Regional Panels and other matters shall be prescribed by Regulations.

16-F(1)[× ×] Subject to the provisions hereinafter specified no person shall be appointed as a Principal, Headmaster or teacher in a recognized institution unless he—

(*a*) possesses the prescribed qualifications or has been exempted under sub-section (1) of section 16-E,

(2) The names of selected candidates shall be forwarded for approval, in the case of a teacher, by the Principal or Headmaster to the Inspector, and, in the case of Principal or Headmaster, by the Chairman of the Selection Committee to the Regional Deputy Director of Education. A statement showing the names, qualifications and other particulars as may be prescribed, of all candidates who may have applied for selection shall also be sent.

(3) If the Inspector in case of a teacher and the Deputy Director in case of Principal or Headmaster is satisfied that for any institution no candidate who possesses all the prescribed qualifications is available for appointment or that because of the occurrence of the vacancy during the currency of the School session no selection according to the procedure prescribed above is immediately possible without

[× ×] यह अंश संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है।

involving delay which is likely to be detrimental to the institution, he may permit the institution to employ as a temporary measure any suitable person provided that no such temporary appointment shall be made for more than one year in case of a teacher or extending beyond the end of the school session except in a leave vacancy in case of Principal or Headmaster.

4) Where the Regional Deputy Director of Education or the Inspector, as the case may be, disapproves for reasons to be recorded in writing, of any name proposed under sub-section (1), the Management may, within three weeks of the receipt of the disapproval, make a representation against it to the Director in the case of a Principal or Headmaster and to the Regional Deputy Director of Education in the case of a teacher, and the decision of the Director or the Regional Deputy Director as the case may be in the matter shall be final.

(5) Where the recommendation made under sub-section (2) has been disapproved and the representation of the Management if any under sub-section (4) has been rejected, the Selection Committee shall proceed to select and recommend another name for approval as provided under sections 16-E and 16-F. If the selection so made is again disapproved and representation if any, against the disapproval has not been accepted, the Regional Deputy Director in case of a teacher and the Director in case of a Principal or Headmaster may appoint any qualified person out of the list of the candidates applying for the vacancies and such appointments shall be final.

Conditions of service of teachers.

16-G. (1) Every [××] person employed in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement, between the Management and [××] such employee in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the Regulations may provide for—

(*a*) the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment, including suspension pending enquiry and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice,

(*b*) the scales of pay, and payment of salaries,

(*c*) transfer of service from one recognized institution to another,

---

[××] यह अंश संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है ।

(*d*) grant of leave and Provident Fund and other benefits, and

(*e*) maintenance of record of work, and service.

(3)(*a*) No Principal, Headmaster or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service, except with [××] prior approval in writing of the Inspector. The decision of the Inspector shall be communicated within the period to be prescribed by regulations.

(*b*) The Inspector may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the management :

Provided that in the cases of punishment, before passing orders, the Inspector shall give an opportunity to the Principal, the Headmaster or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

(*c*) An appeal against the order of the Inspector according approval in cases of removal, discharge, dismissal or reduction in rank or emoluments may be made to the Regional Deputy Director of Education within one month from the date of such order being communicated to the parties concerned and the Regional Deputy Director of Education may after such enquiry as he considers necessary confirm the order or set aside or modify it.

(*d*) The order passed by the Regional Deputy Director of Education may be revised by the Director on the application of the party aggrieved made within one month of the receipt of the order of the Regional Deputy Director of Education. The order of the Director in revision shall be final.

(4) An order made or decision given by the competent authority under sub-section (3) shall not be questioned in any COURT and the parties concerned shall be bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may be specified therein.

(5) In this section and in sections 16-E and 16-F the powers conferred on or the duties assigned to the Inspector and the Regional Deputy Director of Education shall, in the case of institutions for girls, be respectively exercised or discharged by the Regional Inspectress of Girls' Schools and the Deputy Director of Education for Women.

[××] यह अंश संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है।

Exemption of certain classes of institutions from the operation of certain sections.

16-H. (1) The provisions of sections 16-A, 16-B, 16-C, sub-sections (2) to (7) of section 16-D and of sections 16-E, 16-F and 16-G shall not apply to recognized institutions maintained by the State Government or the Central Government.

(2) In the case of recognized institution maintained by a local body the State Government may declare that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alterations, modifications or additions as it may make.

16-I. [X X] Subject to the approval of the State Government the Director may, by a notification in the official *Gazette*, delegate all or any of powers conferred upon him by or under this Act except the powers which he exercises as Chairman of the Board to an officer or officers of the Education Department not lower in rank than a Deputy Director of Education."

संक्रमण कालीन उपबन्ध।

८—(१) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर, १६–ए से १६–आई तक की धाराओं के अन्तर्गत विषयों के सम्बन्ध में विनियम बनाये और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम उस समय तक प्रचलित रहेगा जब तक इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्यवाही करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बने समस्त विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायंगे और जब तक कि इस प्रयोजन के लिये कोई दूसरा दिनांक न निर्दिष्ट किया जाय, वे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

(३) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये समस्त विनियम बनने के बाद यथा-शीघ्र विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिये प्रस्तुत किये जायंगे, और ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो कि विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह इस प्रकार प्रस्तुत किये जायें।

कठिनाई निवारण उपबन्ध।

९—इस अधिनियम के प्रचलन से सम्बद्ध किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा यह निदेश कर सकती है कि यह अधिनियम, उस अवधि के भीतर जो कि इस आदेश में नियत की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हों जैसे कि वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभावी होगा और किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ वह कोई ऐसा अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से बारह मास बाद कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायगा।

[X X] यह अंश संयुक्त प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य की माध्यमिक शिक्षा, इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१, द्वारा अधिशासित है, जो ३५ वर्ष पूर्व बना था। तब से शिक्षा संस्थाओं की संख्या में प्रचुर वृद्धि हो गई है और सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवन के मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की अभ्याप्ति के स्तर तथा उनके भाव एवं अनुशासन में बहुत पतन हुआ है। शिक्षा की गिरती हुई दशा को रोकने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि अध्यापकों के लिये सेवा की उचित दशाओं की व्यवस्था की जाय, अध्यापकों तथा प्रबन्धक वर्ग के मध्य में सम्बन्ध-साम्य स्थापित किया जाय तथा प्रबन्धक वर्ग को अपनी संस्थायें अधिक दक्षता से चलाने की सुविधा प्रदान की जाय और इन उपायों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वतोमुखी विकास किया जाय। उक्त प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ का संशोधन किया जाय।

इसलिये यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७६ एल० ए०—१९५८—८३५।